



भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक
का
राजस्व क्षेत्र पर प्रतिवेदन
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए



लोकहितार्थ सत्यानिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



छत्तीसगढ़ शासन
वर्ष 2019 का प्रतिवेदन संख्या 02

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए

(राजस्व क्षेत्र)

छत्तीसगढ़ शासन

वर्ष 2019 का प्रतिवेदन संख्या 02

अनुक्रमणिका

	कंडिका	पृष्ठ
प्रस्तावना		iii
विहंगावलोकन		v
अध्याय—1: सामान्य		
परिचय	1.1	1
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.2	1
बकाया राजस्व का विश्लेषण	1.3	8
लेखापरीक्षा के प्रति शासन/विभागों की प्रतिक्रिया	1.4	9
लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये विषयों पर कार्यवाही करने की प्रक्रिया का विश्लेषण	1.5	12
लेखापरीक्षा परिणाम	1.6	16
इस प्रतिवेदन का क्षेत्र	1.7	16
अध्याय—2: वाणिज्यिक कर		
कर प्रशासन	2.1	17
आंतरिक लेखापरीक्षा	2.2	18
लेखापरीक्षा परिणाम	2.3	18
पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुसरण	2.4	19
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में संक्रमण के लिए तैयारी	2.5	20
कर का अवरोपण	2.6	25
घोषणा पत्रों के अभाव में केन्द्रीय विक्रय कर (के.वि.क.) अधिनियम के अंतर्गत कर का रियायती दर से मान्य किया जाना	2.7	26
केन्द्रीय विक्रय कर (के.वि.क.) अधिनियम के अंतर्गत बगैर संवैधानिक पत्र के पारगमन विक्रय पर कर की छूट को मान्य किया जाना	2.8	27
कर के गलत दर के अनुप्रयोग से प्रवेश कर की कम वसूली	2.9	28
अध्याय—3: मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस		
कर प्रशासन	3.1	29
आंतरिक लेखापरीक्षा	3.2	29
लेखापरीक्षा परिणाम	3.3	30
पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुसरण	3.4	30
अस्वीकार्य छूट	3.5	31

अध्याय—4: वाहनों पर कर		
कर प्रशासन	4.1	33
आंतरिक लेखापरीक्षा	4.2	33
लेखापरीक्षा परिणाम	4.3	34
पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुसरण	4.4	34
वाहन स्वामियों से मोटर यान कर की अप्राप्ति	4.5	35
अध्याय—5: करेतर प्रप्तियाँ		
अनुभाग क: वानिकी तथा वन्य प्राणी (प्राप्तियाँ)		
कर प्रशासन	5.1	37
आंतरिक लेखापरीक्षा	5.2	37
लेखापरीक्षा परिणाम	5.3	38
पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुसरण	5.4	38
पारगमन शुल्क की कम वसूली	5.5	39
वन उत्पाद और निरीक्षण शुल्क के मूल्य की अवसूली / अनारोपण	5.6	40
अनुभाग ख: खनिज प्राप्तियाँ		
कर प्रशासन	5.7	40
आंतरिक लेखापरीक्षा	5.8	41
लेखापरीक्षा परिणाम	5.9	42
पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुसरण	5.10	42
औसत वार्षिक रॉयल्टी की गलत गणना के फलस्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण	5.11	42
एल्युमिनियम का गलत मूल्य लिए जाने के फलस्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण	5.12	43
अध्याय—6: वानिकी तथा वन्य प्राणी (व्यय)		
लेखापरीक्षा परिणाम	6.1	45
क्षतिपूर्ति वनीकरण, कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा) के अंतर्गत वृक्षारोपण के लिए अपात्र स्थानों का चयन	6.2	45
पूर्व में उपचार किये गये कूपों में सहायक प्राकृतिक पुनरुत्पादन (ए.एन.आर.) कार्य पर अनियमित एवं परिहार्य व्यय	6.3	47
वृक्षारोपण पर परिहार्य व्यय	6.4	48
परिशिष्ट		51
शब्दकोष		57

प्रस्तावना

31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्त) अधिनियम, 1971 के मुख्य राजस्व प्राप्त करने वाले राजस्व क्षेत्र के विभागों के राजस्व प्राप्तियाँ एवं व्यय की लेखापरीक्षाओं के महत्वपूर्ण परिणामों को प्रस्तुत करती है।

प्रतिवेदन में उल्लेखित प्रकरण, जो वर्ष 2017–18 की अवधि के दौरान अभिलेखों की नमूना जाँच के समय ध्यान में आए, साथ ही जो पूर्ववर्ती अवधि में ध्यान में आए थे परन्तु जिन्हें पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका था; इस प्रतिवेदन में जहां आवश्यक है वहां पर वर्ष 2017–18 के बाद की अवधि का लेखापरीक्षा के प्रकरणों को भी सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा का कार्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है।

विहंगावलोकन

विंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में एक कंडिका 'वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में संक्रमण के लिए तैयारी' सहित बिक्री, व्यापार आदि पर कर, मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस, वाहनों पर कर, खनिज प्राप्तियाँ एवं वानिकी तथा वन्य प्राणी से संबंधित 14 कंडिकायें सम्मिलित हैं। इस प्रतिवेदन का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 49.50 करोड़ है, जिसमें से ₹ 39.66 करोड़ कर का अवरोपण/अनारोपण, मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस में अस्वीकार्य छूट, मोटर यान कर की अवसूली, मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का अवरोपण एवं ₹ 9.84 करोड़ अनियमित एवं परिहार्य व्यय से संबंधित था। विभागों द्वारा ₹ 16.64 करोड़ के प्रेक्षणों को स्थीकारते हुए ₹ 0.56 करोड़ की वसूली की गयी।

राशि ₹ 11.03 करोड़ से संबंधित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का विभागों द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया, जिसमें मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का अवरोपण (₹ 1.75 करोड़), चयनित क्षेत्र के उपचार में बिना रोपण कार्य के अनियमित एवं अधिक व्यय (₹ 4.51 करोड़) एवं ऐसे क्षेत्र जहाँ पहले से कार्य किया जा चुका था, में सहायक प्राकृतिक पुनरुत्पादन पर किया गया परिहार्य व्यय (₹ 3.97 करोड़) सम्मिलित है।

कुछ मुख्य प्रेक्षणों का संकलन नीचे वर्णित है:

1. सामान्य

राज्य शासन की वर्ष 2016–17 की कुल प्राप्तियाँ ₹ 53,685.25 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2017–18 में कुल प्राप्तियाँ ₹ 59,647.08 करोड़ थी। राज्य शासन का वर्ष 2017–18 का संग्रहीत राजस्व ₹ 26,235.10 करोड़ था (कुल राजस्व प्राप्तियों का 43.98 प्रतिशत); भारत सरकार से प्राप्तियों का हिस्सा ₹ 33,411.98 करोड़ (कुल राजस्व प्राप्तियों का 56.02 प्रतिशत) था।

(कंडिका 1.2.1)

राजस्व मदों स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क, माल तथा यात्री कर, वाहन कर एवं राजस्व और आपदा प्रबंधन में वास्तविक प्राप्तियाँ बजट अनुमान के विरुद्ध 1.67 से 72.97 प्रतिशत तक कम रही जबकि नई आबकारी नीति, 2017 के सफल कार्यान्वयन के कारण राज्य आबकारी की वास्तविक प्राप्तियाँ बजट अनुमान से 27.95 प्रतिशत अधिक थी। नई आबकारी नीति के कारण छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया, जिससे अवैध मदिरा की बिक्री में कमी आयी एवं मदिरा पर काउंटर वैलिंग ड्यूटी का आरोपण हुआ।

(कंडिका 1.2.2)

31 मार्च 2018 की स्थिति में बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य उत्पाद शुल्क, विद्युत कर तथा शुल्क, वाहन कर, स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क, एवं खनिज प्राप्तियों से ₹ 3,545.13 करोड़ बकाया थे, जिसमें से ₹ 1,314.56 करोड़ पाँच वर्ष से भी अधिक समय से लंबित थे।

लेखापरीक्षा ने शासन को समय–समय पर समीक्षा और बकाया के परिसमापन के लिए बकाया राजस्व का डेटाबेस बनाने के लिए अनुशंसा (लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2016–17) की थी परंतु शासन ने अनुशंसा का पालन नहीं किया क्योंकि यह देखा गया कि वन एवं राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग कोई भी सूचना प्रदाय करने में विफल रहे एवं उपरोक्त छ: विभागों के राजस्व की बकाया राशि पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 2,690.26 करोड़ से बढ़कर ₹ 3,545.13 करोड़ हो गई।

(कंडिका 1.3)

निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) के विश्लेषण में प्रकट हुआ कि वर्ष 1994–95 से 2017–18 के दौरान विभागों को जारी 2,600 निरीक्षण प्रतिवेदनों के 10,592 कंडिकाओं जिसमें राशि ₹ 9,194.44 करोड़ के सम्भावी राजस्व सन्निहित है, जुलाई 2019 तक बकाया थे। वर्ष 2017–18 के दौरान जारी किये गये लेखापरीक्षा के 81 निरीक्षण प्रतिवेदनों में से 49 निरीक्षण प्रतिवेदनों (60.49 प्रतिशत) के प्रथम उत्तर भी कार्यालय प्रमुख से प्राप्त नहीं हुए।

(कंडिका 1.4.1)

वर्ष 2017–18 के दौरान दो लेखापरीक्षा समिति बैठकों का आयोजन किया गया। 141 कंडिकाओं के चर्चा के विरुद्ध केवल 52 कंडिकाओं का निराकरण किया जा सका।

(कंडिका 1.4.3)

अवधि 2017–18 में राजस्व अर्जित करने वाले विभागों द्वारा 87 नस्तियाँ/दस्तावेज लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये, जो खतरों का सूचक है। फलस्वरूप लेखापरीक्षा द्वारा संव्यवहारों की सत्यता की प्रमाणिकता नहीं की जा सकी तथा धोखाधड़ी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता।

(कंडिका 1.4.4)

जोखिम मूल्यांकन के आधार पर लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2017–18 के दौरान वाणिज्यिक कर, राज्य आबकारी, मुद्रांक एवं पंजीयन फीस, भू–राजस्व, विद्युत पर कर तथा शुल्क, खनिज प्राप्तियाँ, वाहनों पर कर एवं वानिकी तथा वन्य प्राणी के 501 ईकाईयों में से 81 ईकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई। लेखापरीक्षा द्वारा कर, शुल्क एवं फीस का अवरोपण/अनारोपण, राजस्व की हानि, अनियमित/परिहार्य व्यय आदि के 22,998 प्रकरणों में कुल सन्निहित राशि ₹ 4,227.27 करोड़ की अनियमितताएँ इंगित की गई। संबंधित विभागों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों में दर्शायी गई अवनिर्धारणों एवं अन्य कमियों के 17,162 प्रकरणों में सन्निहित राशि ₹ 702.81 करोड़ को स्वीकार किया गया एवं 446 प्रकरणों में केवल ₹ 1.93 करोड़ की वसूली की गई।

(कंडिका 1.6)

2. वाणिज्यिक कर

वर्ष 2007–08 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (कंडिका 2.4) पर लोक लेखा समिति द्वारा 26 मार्च 2015 को 22वां प्रतिवेदन में अपनी अनुशंसा देते हुए कहा कि विभाग उन प्रकरणों में, जहाँ फॉर्म 'एफ' के संदेहास्पद सत्यता के आधार पर कर छूट का दावा/प्रदान किया गया था, तत्काल कर वसूल करें। इसके आगे, वर्ष 2009–10 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (कंडिका 2.15.2) पर लोक लेखा समिति द्वारा 4 जनवरी 2018 (57वीं प्रतिवेदन) में अपनी अनुशंसा देते हुए कहा कि विभाग नारियल तेल में कर पर स्पष्ट निर्देश जारी करे ताकि भ्रम से बचा जा सके और तत्काल कर की वसूली करें। हालांकि विभाग द्वारा लोक लेखा समिति के दोनों कंडिकाओं पर अनुशंसा का अनुपालन नहीं किया गया (जुलाई 2019)।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि विभाग लोक लेखा समिति द्वारा दिये गये अनुशंसाओं का अनुपालन सुनिश्चित करे।

(कंडिका 2.4)

कुल 30 सर्किलों में से सात चयनित सर्किलों में संक्रमणकालीन क्रेडिट मामलों की जाँच में देखा गया कि डीलरों को उनके वैट रिटर्न में दिखाए गए आगत कर छूट के अतिरिक्त ₹ 2.70 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति दी गई, 15 करदाताओं ने पिछले छः महीनों के लिए तिमाही रिटर्न जमा नहीं किए, लेकिन अनियमित रूप से

₹ 2.40 करोड़ के आईटीसी का दावा किया एवं एक करदाता ने, जो जीएसटी व्यवस्था के पूर्व वैट, केंद्रीय उत्पाद और सेवा कर में पंजीकृत नहीं था, ट्रान-1 के माध्यम से अनियमित रूप से ₹ 19.60 लाख आईटीसी अग्रेनीत किया।

(कंडिका 2.5.5.1)

निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा 12 प्रकरणों में वैट की कम दर लागू की गई, जिसके परिणामस्वरूप कर की राशि ₹ 3.26 करोड़ का अवरोपण हुआ। इसके अलावा ₹ 6.51 करोड़ का शास्ति भी आरोपणीय है।

(कंडिका 2.6)

निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा 32 व्यवसायियों के 34 प्रकरणों में बगैर घोषणा पत्र फॉर्म 'सी' के रियायती दर पर कर मान्य किए जाने से केन्द्रीय विक्रय कर की राशि ₹ 6.40 करोड़ का अवरोपण।

(कंडिका 2.7)

निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा पाँच व्यवसायियों के छ: प्रकरणों में बिना वैधानिक ई-1 एवं सी फॉर्म के कर की छूट प्रदाय की गयी जिसके परिणामस्वरूप कर की राशि ₹ 2.31 करोड़ का अवरोपण हुआ।

(कंडिका 2.8)

निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा आठ व्यवसायियों के 12 प्रकरणों में स्थानीय क्षेत्र के बाहर से मालों के प्रवेश पर कर के गलत दर के अनुप्रयोग से प्रवेश कर की राशि ₹ 6.45 करोड़ की कम वसूली।

(कंडिका 2.9)

3. मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस

उप पंजीयक, जांजगीर द्वारा मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की छूट की अधिसूचना वापस लेने के बाद वसूली करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की अस्वीकार्य छूट ब्याज सहित ₹ 1.11 करोड़।

(कंडिका 3.5)

4. वाहनों पर कर

पाँच क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों (क्षे.प.अ.)/अतिरिक्त क्षे.प.अ. (अ.क्षे.प.अ.)/जिला परिवहन अधिकारी (जी.प.अ.) द्वारा वाहन मालिकों से मोटर यान का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने में विफल रहने से 1,138 वाहन स्वामियों से ₹ 2.60 करोड़ का कर एवं शास्ति ₹ 2.84 करोड़ बकाया रहा।

(कंडिका 4.5)

5. करेतर राजस्व

क. वानिकी तथा वन्य प्राणी (प्राप्तियाँ)

खनिज साधन विभाग के साथ वन क्षेत्रों से निकाले और ले जाने वाले खनिजों की मात्रा के आंकड़ों के मिलान के लिए विभाग ने कोई प्रणाली विकसित नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व ₹ 42.88 लाख की कम वसूली हुई।

(कंडिका 5.5)

ख. खनिज प्राप्तियाँ

उप संचालक, रायपुर द्वारा उत्पादन अवधि के औसत उत्पादन, जैसा कि खनन योजना में दर्शाया गया है, को लेने के बजाये संपूर्ण लीज अवधि को ध्यान में लिया गया जिसके कारण औसत वार्षिक रॉयल्टी की गणना गलत हुई, परिणामस्वरूप राशि ₹ 0.76 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 5.11)

जिला खनि अधिकारी, कवर्धा ने औसत वार्षिक रॉयल्टी की गणना हेतु पट्टे के अनुबंध (मार्च 2017) के समय एल्युमीनियम के मूल्य को लेने के बदले आवेदन (अक्टूबर 2016) के समय लागू मूल्य को गणना में लिया जिसके फलस्वरूप औसत वार्षिक रॉयल्टी की गणना गलत हुई जिसके कारण राशि ₹ 0.99 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 5.12)

6. वानिकी तथा वन्य प्राणी (व्यय)

दो वनमंडलाधिकारियों ने क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु अपात्र स्थानों का चयन किया, चयनित क्षेत्र के उपचार पर वृक्षारोपण कार्य किये बिना ही ₹ 3.73 करोड़ का अनियमित व्यय किया एवं अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (राज्य कौम्पा) द्वारा निर्धारित नार्म्स से कम पौधों का रोपण कर ₹ 0.79 करोड़ का अधिक व्यय किया गया।

(कंडिका 6.2)

वनमंडलाधिकारी, कोंडागाँव (दक्षिण) द्वारा ऐसे क्षेत्र में सहायक प्राकृतिक पुनरुत्पादन पर ₹ 3.97 करोड़ का परिहार्य व्यय किया, जहां पूर्व में कार्य निष्पादित किया जा चुका था।

(कंडिका 6.3)

वनमंडल की कार्य आयोजना के अनुसार वृक्षारोपण प्रतिबंधित होने के बावजूद ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत संरक्षित कार्यवृत्त में वनमंडलाधिकारी, सरगुजा द्वारा वृक्षारोपण पर ₹ 1.36 करोड़ का परिहार्य व्यय।

(कंडिका 6.4)

अध्याय 1:

सामान्य

अध्याय-1: सामान्य

1.1 परिचय

यह अध्याय छत्तीसगढ़ (छ.ग.) शासन की प्राप्तियों की प्रवृत्ति, बकाया करों¹ जो वसूली हेतु लंबित है का विश्लेषण, लेखापरीक्षा के प्रति शासन/विभागों की प्रतिक्रिया और इससे निपटने के लिए विभागीय तंत्र प्रस्तुत करता है।

1.2 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.2.1 छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संग्रहित कर तथा करेतर राजस्व, राज्य को दिये गये विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के हिस्से का निवल आगम एवं सहायता अनुदान जो भारत सरकार से वर्ष 2013–18 के दौरान प्राप्त हुए, तालिका 1.1 में वर्णित हैं:

तालिका 1.1: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

स. क्र	विवरण	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18
1.	राज्य शासन द्वारा संग्रहित राजस्व					
	• कर राजस्व	14,342.71	15,707.26	17,074.86	18,945.21	19,894.68
	विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत	10.04	9.51	8.71	10.95	5.01
	• करेतर राजस्व	5,101.17	4,929.91	5,214.79	5,669.25	6,340.42
	विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत	10.51	-3.36	5.78	8.71	11.84
	योग	19,443.88	20,637.17	22,289.65	24,614.46	26,235.10
2.	भारत सरकार से प्राप्तियाँ					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के हिस्सा का निवल आगम	7,880.22	8,363.03	15,716.47	18,809.16	20,754.81 ²
	• सहायता अनुदान ³	4,726.16	8,987.81	8,061.59	10,261.63	12,657.17
	योग	12,606.38	17,350.84	23,778.06	29,070.79	33,411.98
3.	राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 एवं 2)	32,050.26	37,988.01	46,067.71	53,685.25	59,647.08
4.	1 का 3 से प्रतिशत	61	54	48	46	44

(स्रोत: छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे)


¹ वाणिज्यिक कर, आबकारी, ऊर्जा, परिवहन, पंजीयन और खनिज साधन विभाग

² विस्तृत विवरण के लिए कृपया छत्तीसगढ़ शासन के वर्ष 2017–18 के वित्त लेखे में लघु शीर्ष द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखे का विवरण पत्र क्रमांक 14 ‘कर राजस्व’ देखें। लघु शीर्ष 901–राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सों के आकड़े, जो वित्त लेखे में ‘क–कर राजस्व’ के अंतर्गत लेखांकित हैं, एवं जिसमें मुख्य शीर्ष 0005–केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर, 0008–एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, 0020–निगम कर, 0021–आय पर निगम कर से भिन्न कर, 0032–धन कर, 0037–सीमा शुल्क, 0038–संघ उत्पाद शुल्क, 0044–सेवा कर एवं 0045–वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क सम्मिलित हैं, को राज्य द्वारा वसूल की गई राजस्व प्राप्तियों में से हटा दिया गया है और इस विवरण पत्रक में विभाज्य संघीय करों में राज्य के हिस्से में शामिल किया गया है।


³ केंद्र प्रयोजित योजना, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश जिसमें विधानसभा हो, को वित्त आयोग अनुदान एवं अन्य स्थानांतरण/अनुदान (इसमें भारत सरकार से प्राप्त वस्तु एवं सेवा कर पर क्षतिपूर्ति भी शामिल) है।

तालिका 1.1 दर्शाती है कि कर राजस्व और करेतर राजस्व के संबंध में औसत वार्षिक विकास दर 2013–18 के दौरान क्रमशः 8.84 प्रतिशत और 6.70 प्रतिशत थी।

वर्ष 2017–18 के राज्य के राजस्व प्राप्तियों के विभिन्न विच्छेदों का चित्रमय प्रदर्शन चार्ट 1.1 में दिया गया है:



1.2.2 वर्ष 2017–18 के लिए कर राजस्व के विभिन्न विच्छेदों का चित्रमय प्रदर्शन चार्ट 1.2 में दिया गया है:



प्रशासनिक विभागों द्वारा प्रस्तावित बजट अनुमान (ब.अ.), वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित ब.अ. और 2013–18 की अवधि के दौरान संग्रहीत कर राजस्व की वास्तविक प्राप्तियाँ तालिका 1.2 में दी गई हैं:

तालिका 1.2: शासन द्वारा संग्रहित कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

संक्र.	राजस्व शीर्ष		2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	वर्ष 2016–17 की तुलना में 2017–18 वृद्धि (+) या कमी (-) का प्रतिशत	वर्ष 2017–18 के वास्तविक प्राप्तियों एवं बजट अनुमान के अंतर का प्रतिशत
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	प्रस्तावित ब.आ.	8,010.49	9,118.94	9,270.93	10,198.02	10,441.02		
		अनुमोदित ब.आ.	8,436.00	9,800.00	10,998.00	11,928.37	13,444.70		
		वास्तविक	7,929.51	8,428.61	8,908.36	9,927.21	6,449.60		
2.	राज्य वस्तु एवं सेवा कर ⁴	प्रस्तावित ब.आ.	लागू नहीं						
		अनुमोदित ब.आ.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	3,212.82		
		वास्तविक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	4,386.56 ⁵		
उप—योग (1 एवं 2)		प्रस्तावित ब.आ.	8,010.49	9,118.94	9,270.93	10,198.02	10,441.02	(+)9.16	लागू नहीं ⁶
		अनुमोदित ब.आ.	8,436.00	9,800.00	10,998.00	11,928.37	16,657.52		
		वास्तविक	7,929.51	8,428.61	8,908.36	9,927.21	10,836.16		
3.	राज्य उत्पाद शुल्क	प्रस्तावित ब.आ.	2,589.00	2,646.91	3,200.00	3,360.00	3,832.50	(+)17.73	(+)27.95
		अनुमोदित ब.आ.	2,575.00	3,150.00	3,528.00	3,870.00	3,168.50		
		वास्तविक	2,549.15	2,892.45	3,338.40	3,443.51	4,054.01		
4.	विद्युत कर तथा शुल्क	प्रस्तावित ब.आ.	715.00	1,196.00	1,400.00	1,420.00	1,521.00	(+)12.94	(+)2.36
		अनुमोदित ब.आ.	820.00	1,100.00	1,400.00	1,575.00	1,650.00		
		वास्तविक	1,020.44	1,312.93	1,372.84	1,495.48	1,688.95		
5.	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	प्रस्तावित ब.आ.	1,000.00	1,100.00	1,200.00	1,320.00	1,425.00	(-)1.15	(-)22.74
		अनुमोदित ब.आ.	1,150.00	1,250.00	1,350.00	1,485.00	1,550.00		
		वास्तविक	990.24	1,023.33	1,185.22	1,211.35	1,197.47		
6.	माल तथा यात्री कर ⁷	प्रस्तावित ब.आ.	1,102.44	1,087.26	1,080.62	1,188.68	1,196.94	(-)64.36	(-)72.97
		अनुमोदित ब.आ.	1,192.00	1,335.00	1,441.80	1,563.77	1,767.06		
		वास्तविक	945.44	981.88	1,040.26	1,340.35	477.66		
7.	वाहन कर	प्रस्तावित ब.आ.	618.58	699.63	761.83	950.40	1,050.00	(+19.77	(-)1.67
		अनुमोदित ब.आ.	731.38	800.00	864.00	954.11	1,200.00		

⁴ वर्ष 2013–14 से 2016–17 के लिए मुख्य शीर्ष “राज्य वस्तु एवं सेवा कर” के प्रस्तावित, अनुमोदित और वास्तविक कालम में दिये गए आंकड़े को ‘लागू नहीं’ दर्शाया गया है क्योंकि राज्य वस्तु एवं सेवा कर 01 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। राज्य वस्तु एवं सेवा कर के पूर्व की अवधि 01.04.2017 से 30.06.2017 तथा बाद की अवधि 01.07.2017 से 31.03.2018 तक है। वस्तु एवं सेवा कर में केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर जैसे की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, औषधीय और शौचालय तैयारी अधिनियम के तहत लगाया गया उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क (सी.वी.डी), सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क (एस.ए.डी), राज्य अप्रत्यक्ष कर जैसे की मूल्य संवर्धित कर, केन्द्रीय बिक्री कर, प्रवेश कर, मनोरंजन कर एवं क्रय कर को शामिल किया गया है।

⁵ राज्य वस्तु एवं सेवा कर में राशि ₹ 4,386.56 करोड़ के प्राप्ति के अतिरिक्त, भारत सरकार से अवधि 2017–18 में राज्य वस्तु एवं सेवा कर पर क्षतिपूर्ति राशि ₹ 1,483.00 करोड़ प्राप्त हुए थे।

⁶ बजट अनुमान पूरे वर्ष के लिए तैयार किया गया था परंतु 01 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर लागू हुआ, इसलिए 2017–18 की वास्तविक प्राप्ति की तुलना बजट अनुमान से नहीं किया जा सकता है।


⁷ 2017–18 की अवधि के दौरान माल तथा यात्री कर का प्रमुख भाग (93.68 प्रतिशत) प्रवेश कर से है, जिसे समाप्त कर 01.07.2017 से वस्तु एवं सेवा कर में सम्मिलित कर दिया गया है।

		वास्तविक	651.07	703.48	829.22	985.27	1,180.01			
8.	भू-राजस्व	प्रस्तावित ब.आ.	292.21	459.45	468.80	496.80	550.00	(-)11.37	(-)25.60	
		अनुमोदित ब.आ.	376.00	460.00	496.80	550.00	600.00			
		वास्तविक	226.06	331.56	363.84	503.66	446.41			
9.	अन्य राजस्व ⁸ कर	प्रस्तावित ब.आ.	24.16	33.73	32.29	35.28	33.83	(-)63.50	(-)65.30	
		अनुमोदित ब.आ.	19.91	31.26	7.25	37.85	40.38			
		वास्तविक	30.80	33.02	36.72	38.38	14.01			
योग		प्रस्तावित ब.आ.	14,351.88	16,341.92	17,414.47	18,969.18	20,050.29	(+)5.01	(-)25.30	
		अनुमोदित ब.आ.	15,300.29	17,926.26	20,085.85	21,964.10	26,633.46			
		वास्तविक	14,342.71	15,707.26	17,074.86	18,945.21	19,894.68			

(झोत: वित्त विभाग द्वारा दी गई जानकारी, छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे और छत्तीसगढ़ शासन की बजट पुस्तिका के अनुसार बजट अनुमान)

जुलाई 2017 में वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन के बाद, राज्य के समग्र राजस्व प्रतिशत के संदर्भ में 12.84 प्रतिशत और वास्तविक रूप से ₹ 2,433 करोड़ (वस्तु एवं सेवा कर के क्षतिपूर्ति राशि ₹ 1,483 करोड़ सहित) की वृद्धि हुई। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि वस्तु एवं सेवा कर कार्यान्वयन से राजस्व संग्रह में पर्याप्त वृद्धि हुई।

1.2.3 वर्ष 2017–18 में शासन द्वारा विभिन्न करेतर राजस्व प्राप्तियों का चित्रमय प्रदर्शन चार्ट 1.3 में दर्शाया गया है।



2013–18 की अवधि के दौरान उठाए गए करेतर राजस्व का विवरण तालिका 1.3 में दर्शाया गया है:

⁸ 'अन्य' में वर्ष 2017–18 के दौरान निम्नलिखित राजस्व मदों में वास्तविक प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं: होटल प्राप्ति कर (₹ 3.70 करोड़); आय और व्यय पर अन्य कर (₹ 0.17 करोड़) और वस्तुओं और अन्य सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क (₹ 10.14 करोड़)।

तालिका 1.3: शासन द्वारा उदग्रहीत करेतर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

संक्र.	राजस्व शीर्ष		2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	वर्ष 2016–17 की तुलना में 2017–18 वृद्धि (+) या कमी (-) का प्रतिशत	वर्ष 2017–18 के वास्तविक प्राप्तियों एवं बजट अनुमान के अंतर का प्रतिशत	
1	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	ब.आ.	3,510.00	4,100.00	7,000.00	5,500.00	5,600.00	(+)18.59	(-)12.30	
		वास्तविक	3,236.01	3,572.68	3,709.52	4,141.47	4,911.44			
2	वानिकी तथा वन्य प्राणी	ब.आ.	450.00	520.00	500.00	550.00	600.00	(-)28.13	(-)51.47	
		वास्तविक	405.91	348.72	409.75	405.15	291.17			
3	व्याज प्राप्तियाँ	ब.आ.	364.14	323.40	260.67	249.38	137.25	(+14.75	(+31.47	
		वास्तविक	380.91	171.89	108.23	157.24	180.44			
4	वृहद सिंचाई	ब.आ.	340.31	413.55	389.34	586.47	703.68	(+5.46	(-)34.45	
		वास्तविक	339.82	410.95	502.17	437.35	461.23			
5	लघु सिंचाई	ब.आ.	853.04	561.50	277.47	288.34	288.34	(-)32.69	(-)57.78	
		वास्तविक	407.81	127.23	121.91	180.84	121.73			
6	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	ब.आ.	14.18	14.80	16.22	15.93	29.33	(+13.03	(+79.20	
		वास्तविक	19.84	20.16	43.15	46.50	52.56			
7	लोक निर्माण कार्य	ब.आ.	12.80	18.93	21.77	43.72	73.70	(+32.03	(-)26.34	
		वास्तविक	21.21	39.21	42.73	41.12	54.29			
8	अन्य प्रशासनिक सेवायें	ब.आ.	19.29	16.06	30.40	23.69	65.43	(+8.59	(-)39.16	
		वास्तविक	38.20	36.45	65.52	36.66	39.81			
9	अन्य सामाजिक सेवायें	ब.आ.	1.00	10.00	6.26	4.30	30.00	(-)39.32	(-)41.93	
		वास्तविक	64.34	41.74	29.15	28.71	17.42			
10	शिक्षा, खेल कूद, कला तथा संस्कृति	ब.आ.	4.01	4.65	5.65	7.60	6.97	(-)36.58	(+146.05	
		वास्तविक	6.78	30.78	13.07	27.04	17.15			
11	अन्य करेतर प्राप्तियाँ ⁹	ब.आ.	503.23	201.73	155.21	150.71	169.50	(+15.56	(+13.97	
		वास्तविक	180.34	130.10	169.59	167.17	193.18			
योग		ब.आ.	6,072.00	6,184.62	8,662.99	7,420.14	7,704.20	(+11.84	(-)17.70	
		वास्तविक	5,101.17	4,929.91	5,214.79	5,669.25	6,340.42			

(स्रोत: छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे और छत्तीसगढ़ शासन की बजट पुस्तिका के अनुसार बजट अनुमान)

⁹ अन्य करेतर प्राप्तियों में वर्ष 2017–18 में निम्न मदों में वास्तविक प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं: लाभांश तथा लाभ (₹ 4.80 करोड़); लोक सेवा आयोग (₹ 10.72 करोड़); पुलिस (₹ 17.08 करोड़); जेल (₹ 6.38 करोड़); लेखन सामग्री तथा मुद्रण (₹ 3.43 करोड़); पेशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूली (₹ 10.33 करोड़); विविध सामान्य सेवायें (₹ -0.29 करोड़); परिवार कल्याण (₹ 0.06 करोड़); जल पूर्ति तथा सफाई (₹ 7.99 करोड़); आवास (₹ 3.94 करोड़); नगर विकास (₹ 31.37 करोड़); सूचना एवं प्रचार (₹ 0.06 करोड़); श्रम तथा रोजगार (₹ 20.61 करोड़); सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (₹ 3.46 करोड़); फसल कृषि कर्म (₹ 12.22 करोड़); पशुपालन (₹ 7.02 करोड़); मछली पालन (₹ 4.45 करोड़); खाद्य भंडारण तथा भांडागारण (₹ 0.68 करोड़); सहकारिता (₹ 2.57 करोड़); अन्य कृषि कार्यक्रम (₹ 1.33 करोड़); अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम (₹ 8.40 करोड़); मध्यम सिंचाई (₹ 5.91 करोड़); ऊर्जा (₹ 0.03 करोड़); ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग (₹ 4.83 करोड़); उद्योग (₹ 10.55 करोड़); नगर विमानन (₹ 0.30 करोड़); सड़क तथा पुल (₹ 2.46 करोड़) एवं अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें (₹ 12.49 करोड़)।

छत्तीसगढ़ वित्त संहिता खण्ड-1 के नियम 192 के अनुसार, प्रशासनिक विभागों द्वारा प्रदाय किये गये जानकारी के आधार पर वित्त विभाग अनुमानित प्राप्तियों एवं व्ययों के विवरण को तैयार एवं प्रस्तुत करने हेतु उत्तरदायी है। वित्त विभाग को प्रदाय किये गये विवरणों के सही होने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रशासनिक विभाग का है।

वर्ष 2017–18 के छ: मुख्य प्रशासनिक विभागों¹⁰, के राजस्व अनुमानों के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित बजट अनुमान बिक्री, व्यापार आदि पर कर, वाहन कर, विद्युत कर तथा शुल्क, स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क, माल तथा यात्री कर एवं भू-राजस्व के अन्तर्गत प्रशासनिक विभागों द्वारा प्रस्तावित बजट अनुमान से अत्यधिक था। परिणामस्वरूप आबकारी विभाग एवं विद्युत कर तथा शुल्क को छोड़कर शेष विभागों में प्राप्ति, बजट अनुमान के विरुद्ध 1.67 से 72.97 प्रतिशत तक कम रहा जबकि आबकारी विभाग में प्राप्ति, बजट अनुमान की तुलना में बहुत अधिक (27.95 प्रतिशत) थी।

आबकारी विभाग के वर्ष 2017–18 से संबंधित राजस्व अनुमानों की लेखापरीक्षा द्वारा जाँच (अगस्त 2019) की गई क्योंकि आबकारी विभाग द्वारा प्रस्तावित बजट एवं वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित बजट में उल्लेखनीय भिन्नता थी।

लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि विभाग ने वर्ष 2016–17 के संशोधित अनुमान के आधार पर वर्ष 2017–18 के लिए बजट अनुमान तैयार किया और वर्ष 2016–17 के संशोधित अनुमानों की तुलना में बजट अनुमान को पाँच प्रतिशत बढ़ा दिया। आगे विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई 26 इकाईयों में से 20 इकाईयों द्वारा प्रस्तावित बजट अनुमान के परीक्षण पर यह देखा गया कि अधीनस्थ कार्यालयों ने वर्ष 2016–17 के संशोधित अनुमानों कि तुलना में सात प्रतिशत कि वृद्धि कर बजट अनुमान (2017–18) का प्रस्ताव किया था। परंतु वित्त विभाग ने विभाग के प्रस्तावित बजट अनुमान को 17.33 प्रतिशत कम कर दिया। प्रमुख सचिव, वित्त (जुलाई 2019) एवं अन्य स्तरों पर लेखापरीक्षा द्वारा बारम्बार औपचारिक अनुरोध करने के बावजूद वित्त विभाग द्वारा अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किये जाने से लेखापरीक्षा द्वारा इतने अधिक अंतर के औचित्य को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

संबंधित विभागों द्वारा अंतर के कारणों का उल्लेख निम्नानुसार है:

(अ) वर्ष 2016–17 की तुलना में वर्ष 2017–18 में प्राप्तियों के अंतर के कारण:

कर राजस्व:

बिक्री, व्यापार आदि पर कर एवं राज्य वस्तु एवं सेवा कर: वृद्धि (9.16 प्रतिशत) 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन होने के कारण हुई।

राज्य उत्पाद शुल्क: वृद्धि (17.73 प्रतिशत) नई आबकारी नीति 2017 के सफल क्रियान्वयन के कारण हुई। नई आबकारी नीति के कारण छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया, जिससे अवैध मदिरा की बिक्री में कमी आयी एवं मदिरा पर काउंटर वैलिंग डियूटी का आरोपण हुआ।

विद्युत कर तथा शुल्क: वृद्धि (12.94 प्रतिशत) उद्योगों द्वारा विद्युत के खपत में वृद्धि, उद्योगों से लंबित राशि की वसूली एवं 2017–18 में विद्युत ऊर्जा प्रभार में वृद्धि के कारण हुई।

माल तथा यात्री कर: कमी (64.36 प्रतिशत) प्रवेश कर का वस्तु एवं सेवा कर में सम्मिलित होने के कारण हुई।

¹⁰ वाणिज्यिक कर, आबकारी, पंजीयन, ऊर्जा, परिवहन और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

वाहन कर: वृद्धि (19.77 प्रतिशत) वाहनों के पंजीयन में वृद्धि (13 प्रतिशत), तिमाही कर एवं जीवनकाल करों में वृद्धि होने के कारण हुई।

भू-राजस्व: कमी (11.37 प्रतिशत) नक्सल एवं सूखा (21 जिलों के 96 तहसील) प्रभावित स्थानों से राजस्व की वसूली न होने, डायर्सन/नजूल प्रकरणों में कमी एवं दर पुनरीक्षण नहीं होने के कारण हुई।

करेतर राजस्व

अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग: वृद्धि (18.59 प्रतिशत) विगत वर्ष की तुलना में कोयला (2.88 प्रतिशत), लौह अयस्क (11.19 प्रतिशत) और चूना पत्थर (13.89 प्रतिशत) के उत्पादन में वृद्धि के कारण हुई।

वानिकी तथा वन्य प्राणी: कमी (28.13 प्रतिशत) 13 संभागों में कार्य आयोजना की मंजूरी नहीं मिलने के कारण हुई जिससे कूपों में कार्य निष्पादित नहीं किया जा सका।

लघु सिंचाई: कमी (32.69 प्रतिशत) कुछ तहसीलों में सूखे की घोषणा के कारण हुई जहाँ जल शुल्क की वसूली रोक दी गई थी।

चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य: वृद्धि (13.03 प्रतिशत) आवास सुविधाओं और दवाओं की बिक्री आदि के बदले में रोगी से प्राप्त राजस्व के कारण हुई।

अन्य सामाजिक सेवायें: कमी (39.32 प्रतिशत) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के पोषण और कल्याण से संबंधित विभिन्न योजनाओं से संबंधित राशि के कम जमा होने के कारण हुई।

शिक्षा, खेल कूद, कला तथा संस्कृति: मैसर्स एवरोन एजुकेशन लिमिटेड से ₹ 3.44 करोड़ की सुरक्षा निधि को वर्ष 2016–17 में जब्त कर लिया गया था। इसलिए विगत वर्ष के दौरान वास्तविक प्राप्तियाँ अधिक थी और इस वर्ष प्राप्तियों में कमी (36.58 प्रतिशत) आयी।

(ब) वर्ष 2017–18 में ब.अ. एवं वास्तविक प्राप्तियों में अंतर के कारण:

कर राजस्व:

राज्य उत्पाद शुल्क: वृद्धि (27.95 प्रतिशत) नई आबकारी नीति 2017 के सफल कार्यान्वयन के कारण हुई। नई आबकारी नीति के कारण छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया, जिससे अवैध मदिरा की बिक्री में कमी आयी एवं मदिरा पर काउंटर वैलिंग डियूटी का आरोपण हुआ।

स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क: कमी (22.74 प्रतिशत) पाँच डिस्मिल से कम भूमि का पंजीकरण न होने एवं भुइयां¹¹ अभिलेख के साथ मानचित्र-खसरा के मिलान न होने के कारण हुई।

माल तथा यात्री कर: कमी (72.97 प्रतिशत) प्रवेश कर का वस्तु एवं सेवा कर में सम्मिलित होने के कारण हुई।

भू-राजस्व: कमी (25.60 प्रतिशत) नक्सल एवं सूखा (21 जिलों के 96 तहसील) प्रभावित स्थानों से राजस्व की वसूली न होने, डायर्सन/नजूल प्रकरणों में कमी एवं दर पुनरीक्षण नहीं होने के कारण हुई।

करेतर राजस्व:

अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग: ब.अ. के विरुद्ध कमी (12.30 प्रतिशत) कोयला, चूना पत्थर और बॉक्साइट के उत्पादन लक्ष्य की गैर-उपलब्धि के कारण हुई।

¹¹ भुइयां छत्तीसगढ़ राज्य का एक भू-अभिलेख कम्प्यूटरीकरण परियोजना है।

वानिकी तथा वन्य प्राणी: ब.अ के विरुद्ध कमी (51.47 प्रतिशत) 13 संभागों में कार्य योजना को मंजूरी नहीं मिलने के कारण हुई, जिसके कारण नियत कूपों में कार्य निष्पादित नहीं किया गया।

वृहद् एवं लघु सिंचाई: ब.अ के विरुद्ध क्रमशः 34.45 प्रतिशत और 57.78 प्रतिशत की कमी कुछ तहसीलों में सूखे की घोषणा के कारण हुई जहाँ जल शुल्क की वसूली को रोक दिया गया था।

चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य: वृद्धि (79.20 प्रतिशत) आवास सुविधाओं और दवाओं की बिक्री आदि के बदले में रोगी से प्राप्त राजस्व के कारण हुई।

1.3 बकाया राजस्व का विश्लेषण

31 मार्च 2018 की स्थिति में छ: विभागों का बकाया राजस्व ₹ 3,545.13 करोड़ था, जिसमें ₹ 1,314.56 करोड़ (37.08 प्रतिशत) पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया था, जैसा कि तालिका 1.4 में वर्णन किया गया है:

तालिका 1.4: बकाया राजस्व

(₹ करोड़ में)

संक्र.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2018 तक बकाया राशि	31 मार्च 2018 तक पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	बकाया प्रकरणों की वस्तु—स्थिति/चरण के संबंध में विभाग का उत्तर
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2,459.64	1,074.29	अदालतों में लंबित मामले (₹ 240.56 करोड़); बकाया करदाताओं की चल/अचल संपत्तियों की जानकारी की अनुपलब्धता (₹ 223.93 करोड़); न्यायालय से रोक (₹ 572.66 करोड़); बीमार उद्योग (₹ 7.55 करोड़); अपलेखन (₹ 2.20 करोड़); अपील एवं संशोधन में लंबित (₹ 123.75 करोड़); फर्मों का व्यवसाय बंद (₹ 375.44 करोड़); अन्य राज्यों को जारी किए गए आर आर सी (₹ 209.81 करोड़) और वृत्त कार्यालयों द्वारा ₹ 703.74 करोड़ की वूसूली की प्रक्रिया चल रही है। विभाग ने आगे कहा (अप्रैल 2019) कि बकाया राजस्व की वसूली भू—राजस्व संहिता के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। विभाग ने आगे कहा (अगस्त 2019) कि ₹ 1385.35 करोड़ जो विगत पाँच वर्षों के दौरान अर्जित किया गया है, उनके कर निर्धारण आदेशों में कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा अतिरिक्त मांग के कारण था।
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	51.20	26.49	राजस्व वसूली प्रमाणपत्र (आरआरसी) जारी किया (₹ 47.03 करोड़); उच्च न्यायालय द्वारा रोक (₹ 4.17 करोड़)। विभाग ने कहा (मार्च 2019) कि जिलों द्वारा भू राजस्व संहिता के प्रावधानों के अनुसार राजस्व की बकाया राशि की वसूली की जा रही है।
3.	विद्युत कर तथा शुल्क	951.63	189.58	आरआरसी जारी (₹ 211.53 करोड़); न्यायालयों में लंबित (₹ 192.01 करोड़)। विभाग द्वारा शेष राशि ₹ 548.09 करोड़ की स्थिति नहीं दी गई।
4.	वाहन कर	27.72	8.06	न्यायालयों में लंबित (₹ 0.84 करोड़)। विभाग ने ₹ 26.88 करोड़ की शेष राशि की स्थिति प्रदान नहीं की। इसके अलावा, विभाग ने कहा कि परिवहन

				अधिकारी नियमित रूप से वाहन मालिकों को बकाया कर का भुगतान करने के लिए नोटिस देते हैं। बकाया कर की वसूली के लिए चेक-पोस्ट / उड़न दस्ता के अधिकारियों को बकाया करदाताओं की सूची दी गई है।
5.	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	54.17	15.37	आरआरसी जारी (₹ 45.00 करोड़); न्यायालयों में लंबित (₹ 3.70 करोड़); न्यायिक/अपीलीय / उच्च न्यायालय द्वारा रोक (₹ 5.47 करोड़)। इसके अलावा, विभाग ने कहा कि जिला पंजीयक (जि.प.) द्वारा मांग के आधार पर वसूली की कार्रवाई की जा रही है।
6.	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	0.77	0.77	विभाग ने कहा कि विशेष अभियान द्वारा खनन अधिकारियों को बकाया वसूलने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा, सचिव, खनिज साधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की समीक्षा बैठक में, जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि अत्यंत पुराने बकाया राशि के अपलेखन के लिए प्रस्ताव भेजें।
योग		3,545.13	1,314.56	

(स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा प्रदायित जानकारी)

लेखापरीक्षा ने अनुशंसा (लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2016–17) की थी कि विभागों द्वारा समय समय पर बकाया वसूली के परिसमापन एवं उसकी समीक्षा हेतु डेटाबेस तैयार किया जाना चाहिए, लेकिन शासन ने अनुशंसा का पालन नहीं किया क्योंकि यह देखा गया कि वन और राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग (आरडीएम) बकाया वसूली (2017–18) से संबंधित किसी भी जानकारी को प्रदान करने में विफल रहा एवं विगत वर्ष की तुलना में उपरोक्त छ: विभागों के राजस्व का बकाया ₹ 2,690.26 करोड़ से बढ़कर ₹ 3,545.13 करोड़ हो गया।

1.4 लेखापरीक्षा के प्रति शासन/विभागों की प्रतिक्रिया

1.4.1 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

शासकीय विभागों एवं कार्यालयों के लेखापरीक्षा समाप्ति उपरांत संबंधित कार्यालय प्रमुख को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किया जाता है तथा उसकी प्रति संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को प्रेषित की जाती है, ताकि उस पर सुधारात्मक कार्यवाही एवं निगरानी की जा सके। गंभीर वित्तीय अनियमिततायें विभाग के प्रमुख और शासन को प्रतिवेदित की जाती हैं।

31 मार्च 2018 तक कि स्थिति में जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण में पाया गया कि 2,600 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 10,592 कंडिकायें जिसमें राशि ₹ 9,194.44 करोड़ के सम्बावी राजस्व सन्निहित है, जूलाई 2019 तक बकाया थे। विभागवार लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का विवरण नीचे तालिका 1.5 में दर्शित है:

तालिका 1.5: विभागवार लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	विभाग का नाम	राजस्व की प्रकृति	नि.प्र. का प्रकार	बकाया नि.प्र. की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	सन्निहित राशि		
1.	वाणिज्यिक कर	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	राज.	488	3,255	595.11		
			व्यय	40	74	5.95		
2.	आबकारी विभाग	राज्य उत्पाद	राज.	147	363	2,100.91		
		मनोरंजन कर	राज.	94	149	4.10		
		उत्पाद एवं मनोरंजन कर	व्यय	34	63	27.63		
3.	पंजीयन विभाग	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	राज.	241	660	99.33		
			व्यय	7	19	3.81		
4.	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन	भू—राजस्व	राज.	596	1,884	1,100.87		
			व्यय	47	120	13.82		
5.	परिवहन	वाहन कर	राज.	179	1,350	208.45		
			व्यय	46	101	0.21		
6.	खनिज साधन	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	राज.	170	685	1,412.24		
			व्यय	36	64	308.46		
7.	वन	वानिकी तथा वन्य प्राणी	राज.	379	1,123	1,265.23		
			व्यय	435	2,119	934.72		
8.	ऊर्जा	विद्युत कर तथा शुल्क	राज.	18	81	1,757.00		
			व्यय	5	17	5,333.35		
9.	अन्य कर विभाग	अन्य प्राप्तियाँ	राज.	288	1,042	651.20		
			व्यय	1	10	0.13		
			राज.	2,600	10,592	9,194.44		
			व्यय	651	2,587	6,628.08		
			योग	3,251	13,179	15,822.52		

राज.—राजस्व

वर्ष 2017–18 के दौरान जारी किये गये लेखापरीक्षा के 81 निरीक्षण प्रतिवेदनों से 49¹² निरीक्षण प्रतिवेदनों (60.49 प्रतिशत) के प्रथम उत्तर कार्यालय प्रमुख से प्राप्त नहीं हुए हैं।

अनुशंसा:

शासन ऐसे तंत्र पुरःस्थापित करे जिससे यह सुनिश्चित हो कि विभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों पर शीघ्र प्रतिक्रिया कर, सुधारात्मक कार्यवाही करे एवं लेखापरीक्षा के साथ मिलकर काम करे ताकि निरीक्षण प्रतिवेदनों का निराकरण शीघ्र किया जा सके।

1.4.2 तथ्यात्मक विवरण एवं प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर शासन की प्रतिक्रिया

महालेखाकार द्वारा सभी संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर ध्यान आकर्षित करने हेतु भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित होने वाली प्रारूप कंडिकाओं के माध्यम से प्रेषित किया जाता है, जिसका उत्तर छ: सप्ताह

¹² वाणिज्यिक कर—13; परिवहन—05; वन—15; पंजीयन—03; विद्युत—01; आबकारी—02; राजस्व एवं आपदा प्रबंधन—02 और खनिज साधन—08

के भीतर देने हेतु निवेदन किया जाता है। शासन/विभागों से उत्तर अप्राप्ति के संबंध में इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की संबंधित कंडिकाओं के अंत में इंगित किया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा विभाग को जारी किए गए 110 तथ्यात्मक विवरण में से 60 तथ्यात्मक विवरणों (54.55 प्रतिशत) के उत्तर (जुलाई 2019) प्राप्त नहीं हुए।

13 कंडिकाओं तथा वस्तु एवं सेवा कर में संक्रमण की तैयारी जो इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है, संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को 2017–18 में भेजा गया। हालांकि, लेखापरीक्षा को शासन (जुलाई 2019) से आठ प्रारूप कंडिकाओं (57.14 प्रतिशत) के जवाब नहीं मिले। कंडिकाओं में विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों के जवाब जहाँ भी प्राप्त हुए हैं, उन्हें इस प्रतिवेदन में उचित रूप से शामिल कर टिप्पणी की गई है।

1.4.3 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

शासन द्वारा लेखापरीक्षा समिति की स्थापना, निरीक्षण प्रतिवेदन और निरीक्षण प्रतिवेदनों की कंडिकाओं के निराकरण की प्रगति की निगरानी और प्रगति को त्वरित करने के लिए की जाती है।

वर्ष 2017–18 के दौरान लेखापरीक्षा समितियों की बैठकों के आयोजन का विवरण तालिका 1.6 में दर्शित है।

तालिका 1.6: लेखापरीक्षा समिति की बैठक के आयोजनों का विवरण

विभाग	कुल आयोजित और तिथिवार बैठकों की संख्या	चर्चा की गई नि.प्र./कंडिकाओं की संख्या	कुल निराकृत नि. प्र./कंडिकाओं की संख्या	निराकृत कंडिकाओं का प्रतिशत	राशि (₹ लाख में)
वाणिज्यिक कर	1 (26 / 4 / 2017)	61	01 / 09	14.75	3.81
परिवहन	1 (15 / 11 / 2017)	80	निरंक / 43	53.75	232.56
योग	2	141	01 / 52	36.88	236.37

वर्ष 2017–18 के दौरान वाणिज्यिक कर एवं परिवहन विभाग के दो लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का आयोजन किया गया। वाणिज्यिक कर विभाग के मामलों में 61 कंडिकाओं पर चर्चा की गयी और नौ कंडिकाओं का निराकरण किया गया। परिवहन विभाग के मामलों में 80 कंडिकाओं पर चर्चा की गयी और 43 कंडिकाओं का निराकरण किया गया।

अनुशंसा:

शासन समस्त विभागों को निर्देशित करे कि समय–समय पर लेखापरीक्षा समिति बैठकों का आयोजन कर, लंबित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का निराकरण करे एवं सुनिश्चित करे कि लंबित कंडिकाओं के निराकरण हेतु लेखापरीक्षा को प्रासंगिक अभिलेख अद्यतन कर प्रस्तुत करें।

1.4.4 लेखापरीक्षा हेतु अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया जाना

कर राजस्व/करेतर राजस्व कार्यालयों का स्थानीय लेखापरीक्षा का कार्यक्रम अग्रिम में तैयार किया जाता है और विभागों को सूचना भेज दी जाती है जिससे विभाग लेखापरीक्षा जाँच हेतु प्रासंगिक अभिलेख तैयार कर सके।

अवधि 2017–18 में 4,117 में से 87¹³ कर निर्धारण नस्तियां, विवरणियाँ, प्रतिदाय, दस्तावेज, पंजियां एवं अन्य प्रासंगिक अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त तथ्य

¹³ वाणिज्यिक कर– 85 प्रकरण, वन (व्यय) – 01 और खनन– 01

को निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित कर विभागों के सचिवों को प्रेषित किया गया था। उक्त किसी भी प्रकरण में कर के प्रभाव की गणना नहीं की जा सकी। लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना खतरों का सूचक है क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा संव्यवहारों के सत्यता की प्रमाणिकता नहीं की जा सकी तथा धोखाधड़ी की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता।

अनुशंसा:

शासन ऐसे कदम उठाये जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभागीय अधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत हो विशेषकर जब पर्याप्त सूचना दी जा चुकी हो एवं ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करे, जो लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं।

1.4.5 लेखापरीक्षा पर अनुसरण—सारांश स्थिति

वित्त विभाग द्वारा जारी किए गये निर्देशानसुआर, सभी विभागों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित सभी कंडिकाओं के व्याख्यात्मक उत्तर (विभागीय टिप्पणी) छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिवालय को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधान सभा पटल पर प्रस्तुत होने की स्थिति से तीन माह के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) की समाप्ति वर्ष 31 मार्च 2009 से 31 मार्च 2017 तक की 218 कंडिकाओं (निष्पादन लेखापरीक्षा को सम्मिलित कर) को राज्य विधानसभा में मार्च 2010 एवं जनवरी 2019 के मध्य प्रस्तुत किया गया।

वर्ष 2004–05 से 2016–17 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 12 कंडिकाओं¹⁴ की विभागीय टिप्पणी राज्य के राजस्व विभागों (राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, खनिज साधन, परिवहन, आबकारी एवं वन विभाग) से प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 2019)।

लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) द्वारा 2002–03 से 2016–17 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की 171 चुनिंदा कंडिकाओं में से 127 कंडिकाओं का चर्चा हेतु चयन किया गया था एवं वर्ष 2002–03 से 2010–11 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 50 कंडिकाओं पर अनुशंसा दी गयी। परंतु 2010–11 एवं 2017–18 के मध्य 17¹⁵ अनुशंसाओं पर संबंधित विभागों से जूलाई 2019 तक कार्रवाई टीप (ए.टी.एन.) अप्राप्त है।

1.5 लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये विषयों पर कार्यवाही करने की प्रक्रिया का विश्लेषण

निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से उठाये गये मुद्राओं को संबोधित करने हेतु प्रणाली का विश्लेषण विगत 10 वर्षों की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित कंडिकाओं एवं निष्पादन लेखापरीक्षा के कार्यवाही हेतु मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग का मूल्यांकन कर इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

अनुवर्ती कंडिका 1.5.1 से 1.5.3 के अन्तर्गत मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग के विगत 10 वर्षों में ऐसे प्रकरण जो स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पाये गये एवं ऐसे प्रकरण जो वर्ष 2008–09 से 2012–13 एवं 2014–15 से 2015–16 के दौरान लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित किये गये का आंकलन कर चर्चा की गयी है।

1.5.1 मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग के निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

¹⁴ 2004–05 (01) एवं 2016–17 (11)

¹⁵ खनिज साधन–01; आबकारी–02; ऊर्जा–01; परिवहन–03; वाणिज्यिक कर–06; जल संसाधन–02 एवं वन–02

विगत 10 वर्षों के दौरान जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की सारांश स्थिति, इन प्रतिवेदनों में शामिल कंडिकाओं और 31 मार्च 2018 के अनुसार उनकी स्थिति नीचे तालिका 1.7 में दर्शायी गयी है:

तालिका 1.7: निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	वर्ष	नि. प्र. के प्रकार	प्रारंभिक शेष			जोड़			निराकृत			अंतिम शेष		
			नि. प्र.	कंडिकायें	राशि	नि. प्र.	कंडिकायें	राशि	नि. प्र.	कंडिकायें	राशि	नि. प्र.	कंडिकायें	राशि
1.	2008–09	राज.	238	615	24.53	28	76	6.80	18	81	2.56	248	610	28.78
2.	2009–10	राज.	248	610	28.78	19	29	1.38	21	31	1.35	246	608	28.81
3.	2010–11	राज.	246	608	28.81	28	70	6.26	13	49	1.09	261	629	33.98
4.	2011–12	राज.	261	629	33.98	10	49	4.27	14	36	1.71	257	642	36.54
5.	2012–13	राज.	257	642	36.54	8	20	0.44	60	156	6.95	205	506	30.03
6.	2013–14	राज.	205	506	30.03	25	134	56.77	5	20	1.35	225	620	85.44
		व्यय	0	0	0.00	4	10	1.81	0	0	0	4	10	1.81
7.	2014–15	राज.	225	620	85.44	7	35	0.92	0	4	0.18	232	651	86.18
		व्यय	4	10	1.81	0	0	0.00	0	0	0.00	4	10	1.81
8.	2015–16	राज.	232	651	86.18	4	19	3.27	0	0	0	236	670	89.45
		व्यय	4	10	1.81	0	0	0.00	0	0	0.00	4	10	1.81
9.	2016–17	राज.	236	670	89.45	14	90	11.07	0	9	0.51	250	751	100.01
		व्यय	4	10	1.81	0	0	0.00	0	0	0.00	4	10	1.81
10.	2017–18	राज.	250	751	100.01	5	28	3.22	0	0	0	255	779	103.23
		व्यय	4	10	1.81	3	9	2.00	0	0	0.00	7	19	3.81

शासन पुरानी कंडिकाओं के निराकरण हेतु विभाग एवं महालेखाकार के मध्य लेखापरीक्षा समिति बैठकें आयोजित करता है। तथापि विभाग द्वारा वर्ष 2017–18 में कोई भी लेखापरीक्षा समिति बैठक आयोजित नहीं की गयी।

1.5.2 स्वीकृत प्रकरणों की वसूली

विगत 10 वर्षों में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल की गई कंडिकायें जो मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग द्वारा स्वीकृत की गई तथा वसूल की गई राशि नीचे तालिका 1.8 में वर्णित है:

तालिका 1.8: स्वीकृत प्रकरणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सम्मिलित की गई कंडिकाओं की संख्या	राशि	स्वीकृत कंडिकाओं की संख्या	स्वीकृत कंडिकाओं की राशि	वसूल की गई राशि
2008–09	4	1.59	2	1.14	0.39
2009–10	1	2.17	निरंक	निरंक	0.80
2010–11	4	1.87	2	0.61	0.17
2011–12	6	0.97	निरंक	0.06	निरंक
2012–13	1	80.40	निरंक	67.63	0.20
2014–15	5	1.28	निरंक	0.01	0.07

2015–16	4	1.91	निरंक	निरंक	निरंक
योग	25	90.19	4	69.45	1.63

1.5.3 शासन/विभागों द्वारा स्वीकृत अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई

महालेखाकार द्वारा की गयी निष्पादन लेखापरीक्षा (नि.ले.प.) का प्रारूप संबंधित विभाग/शासन को उनसे उत्तर प्राप्त करने के अनुरोध के साथ उनको सूचनार्थ प्रेषित किया जाता है। इन नि.ले.प. पर बहिर्गमन सम्मेलन में भी विचार विमर्श किया जाता है तथा विभागों/शासन के मत को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित किया जाता है।

वर्ष 2012–13 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित निष्पादन लेखापरीक्षा “मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का आरोपण एवं संग्रहण” के अनुशंसाओं पर अनुपालन एवं मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग से मार्च 2019 में प्राप्त उत्तर नीचे तालिका 1.9 में वर्णित है:

तालिका 1.9: अनुशंसाओं की स्थिति का विवरण

संख्या	अनुशंसाओं का विवरण	स्थिति
1.	शासन को बजट मैन्युअल के प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप बजट अनुमान की तैयारी सुनिश्चित करनी चाहिए।	विभाग ने कहा कि वे प्रावधानों और मार्गदर्शिकाओं का पालन कर रहे हैं। हालांकि, सरकार द्वारा अनुमोदित ब.अ. की तुलना में 2017–18 के दौरान वास्तविक प्राप्ति 22.74 प्रतिशत कम थी।
2.	विभाग बकाया राजस्व की वसूली के लिए तत्काल कदम उठाये, जो एक बढ़ती प्रवृत्ति दर्शा रहा है।	विभाग ने कहा कि उन्होंने राजस्व की बकाया राशि को वसूलने के लिए जिलों को निर्देश जारी किए हैं। हालांकि, विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2017–18 में राजस्व के बकाया में 214 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।
3.	शासन संबंधित अधिकारियों द्वारा विहित निरीक्षण/स्थल निरीक्षण में संहितीय प्रावधानों/निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त निगरानी तंत्र स्थापित करने बाबत विचार करें।	विभाग ने कहा कि उन्होंने जिला पंजीयक (जि.प.)/उप पंजीयक (उ.प.) को निर्देश दिया है कि संहितीय प्रावधानों/निर्देशों के अनुसार निर्धारित मासिक निरीक्षण/स्थल निरीक्षण करें और हर महीने उसकी समीक्षा की जा रही है।
4.	शासन एक उचित तंत्र अपनाने पर विचार कर सकती है जिससे लोक कार्यालयों का सामयिक निरीक्षण और अन्य दूसरे विभागों से आवश्यक समन्वय सुनिश्चित हो जिससे मुद्रांक शुल्क प्राप्त हो सके।	विभाग ने कहा कि निर्धारित तंत्र अस्तित्व में है। जिला स्तर पर अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि उक्त तंत्र को लागू करें और मुद्रांक शुल्क (मु. शु.) का संग्रह सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्यवाही करें।
5.	शासन औद्योगिक नीति के शर्तों की पूर्ति के संबंध में मुद्रांक शुल्क की छूट देने के पहले उद्योग विभाग और पंजीकरण विभाग के मध्य उचित समन्वय स्थापित करें।	विभाग ने कहा कि उद्योग विभाग के समन्वय से कार्यवाही की जा रही है। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि यह सुनिश्चित करने के लिए तंत्र उपलब्ध नहीं है क्योंकि मु.शु. के अनियमित छूट के मामलों को लगातार देखा गया है।
6.	शासन एक ऐसे तंत्र की स्थापना करे जिसमें मुद्रांक शुल्क की छूट से संबंधित	विभाग ने कहा कि उक्त तंत्र अस्तित्व में है। यद्यपि तंत्र अस्तित्व में है, छूट की शर्त का पालन नहीं किया जा रहा है क्योंकि

सं. क्र.	अनुशंसाओं का विवरण	स्थिति
	विवरण/लिखत समयावधि में प्रस्तुत की जावे।	लेखापरीक्षा द्वारा ऐसे मामले देखे गये जहां उद्योगों को अनियमित छूट प्रदान की गई है।
7.	शासन राजस्व के हित में जिला पंजीयक द्वारा निर्णीत आदेशों की पुनरीक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाये।	विभाग ने कहा कि तंत्र अस्तित्व में है जिसमें यदि उप पंजीयक (उ.प.), जिला पंजीयक (जि.प.) के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो उ.प., मडल आयुक्त या राजस्व बोर्ड में अपील कर सकता है।
8.	शासन स्पष्ट प्रावधान एवं मुख्य मार्ग का मापदण्ड, लिखतों का पंजीयन जहाँ एक क्रेता द्वारा एक विक्रेता से भूमि क्रय को दो अलग—अलग लिखतों में निष्पादित किया जाता है तो मार्गदर्शिका में स्पष्ट प्रावधन जारी करें, जिससे सम्पत्ति के बाजार मूल्य निर्धारण बाबत् राजस्व की सुरक्षा की जा सके।	विभाग ने कहा कि तंत्र अस्तित्व में है और मुख्य सङ्क के मापदण्ड के प्रावधान प्रत्येक वर्ष के मार्गदर्शिका में उल्लेखित है। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया है कि इसी तरह के कंडिका अभी भी देखे जा रहे हैं और प्रत्येक वर्ष के मार्गदर्शिका में मुख्य सङ्क के स्पष्ट प्रावधानों और मापदण्ड को शामिल नहीं किया जा रहा है।
9.	शासन जब एक से अधिक विक्रेताओं द्वारा एक दस्तावेज से भूमि विक्रय किये जाने पर बाजार मूल्य निर्धारण हेतु स्पष्टीकरण जारी करें।	विभाग ने कहा कि तंत्र अस्तित्व में है और त्वरित कार्रवाई के लिए कानूनी प्रावधानों का उल्लेख प्रत्येक वर्ष के मार्गदर्शिका में किया गया है। हालांकि, इसी तरह के कंडिका अभी भी पायी जा रही है।
10.	निधि के अवरुद्ध न होने के परिपेक्ष्य में शासन मुद्रांक के उपयोग पर अवधिवार निगरानी के लिए तंत्र के विकास पर विचार करें।	विभाग ने कहा कि तंत्र अस्तित्व में है।
11.	आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करें ताकि राजस्व वसूली समय से हो और मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस का अनारोपण/कम आरोपण को टाला जा सके।	विभाग ने कहा कि तंत्र अस्तित्व में है और सख्त अनुपालन के लिए निर्देश (फरवरी 2019) फिर से जारी किए गए हैं।
12.	विभागों के बीच आवश्यक समन्वय स्थापित करे ताकि छूट प्रमाण पत्र जारी करने पर मुद्रांक शुल्क के भुगतान पर राजस्व हानि को टाला जा सके।	विभाग ने कहा कि नियम/प्रावधानों में प्रावधान/निर्देश मौजूद हैं। इसके बावजूद, लेखापरीक्षा ने देखा कि विभाग द्वारा अनियमित छूट की अनुमति दी गई है।
13.	मुख्य मार्ग के मापदण्ड, जब एक क्रेता द्वारा भूमि दूसरे विक्रेता से क्रय कर दस्तावेजों का पंजीयन और निष्पादन दो अलग भागों में करने पर आवश्यक स्पष्टीकरण जारी करें और जिला पंजीयकों द्वारा आवधिक पुनरीक्षण संबंधी निर्देश जारी करें।	विभाग ने कहा कि पंजीयन अधिनियम, नियमों और मार्गदर्शिका में उसी प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं जिनकी समय—समय पर समीक्षा की जा रही है। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया है कि इसी तरह के कंडिका अभी भी देखे जा रहे हैं और प्रत्येक वर्ष के मार्गदर्शिका में मुख्य सङ्क के स्पष्ट प्रावधान और मानदण्ड को शामिल नहीं किया जा रहा है।

1.6 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2017–18 के दौरान वाणिज्यिक कर, राज्य आबकारी, मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस, भू—राजस्व, विद्युत कर तथा शुल्क, खनिज प्राप्तियाँ, वाहन कर एवं वानिकी तथा वन्य प्राणी के 81 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी। लेखापरीक्षा द्वारा कर, शुल्क एवं फीस के अवरोपण/अनारोपण, राजस्व की हानि, अनियमित/परिहार्य व्यय आदि के 22,998 प्रकरणों में कुल सन्निहित राशि ₹ 4,227.27 करोड़ की अनियमिततायें देखी गई। संबंधित विभागों द्वारा अवनिर्धारणों एवं अन्य कमियों के 17,162 प्रकरणों में सन्निहित राशि ₹ 702.81 करोड़ को स्वीकारते हुए 446¹⁶ प्रकरणों में राशि ₹ 1.93 करोड़ की वसूली की गयी।

1.7 इस प्रतिवेदन का क्षेत्र

इस प्रतिवेदन में “वस्तु एवं सेवा कर में संक्रमण की तैयारी” पर एक लेखापरीक्षा सहित 14 कंडिकाओं में सन्निहित राशि ₹ 49.50 करोड़ सम्मिलित है। विभागों द्वारा ₹ 16.64 करोड़ के प्रेक्षणों को स्वीकार करते हुए राशि ₹ 0.56 करोड़ की वसूली की गयी। विभागों द्वारा ₹ 11.03 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिये गये, जिसमें से मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का अवरोपण (₹ 1.75 करोड़), बिना किसी वृक्षारोपण कार्य के चयनित क्षेत्र के उपचार पर अनियमित और अधिक व्यय (₹ 4.51 करोड़) एवं उस क्षेत्र में सहायक प्राकृतिक पुनरुत्पादन पर परिहार्य व्यय, जहां पहले से ही कार्य निष्पादित किया गया था (₹ 3.97 करोड़) आदि सम्मिलित हैं। इसका वर्णन आगामी अध्याय 2 से 6 में किया गया है।

अधिकांश लेखापरीक्षा प्रेक्षण ऐसे प्रवृत्ति के समान त्रुटियों/लोप को दर्शाते हैं, जो राज्य शासन के विभागों के अन्य वैसे इकाईयों में हो सकते हैं, जिसे नमूना जाँच में सम्मिलित नहीं किया गया है। शासन/विभागों को अन्य इकाईयों का आंतरिक जाँच कर सुनिश्चित करना चाहिए कि विभाग नियमों एवं आवश्यकता अनुसार कार्य कर रहे हैं।

¹⁶ वाणिज्यिक कर विभाग (19 प्रकरण) = ₹ 58.24 लाख, परिवहन विभाग (424 प्रकरण) = ₹ 128.93 लाख और पंजीयन विभाग (03 प्रकरण) = ₹ 5.79 लाख

अध्याय 2:


वाणिज्यिक कर

अध्याय 2: वाणिज्यिक कर

2.1 कर प्रशासन

वाणिज्यिक कर विभाग शासन स्तर पर प्रमुख सचिव के द्वारा प्रशासित होता है। आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग का प्रमुख होता है, जिसकी सहायता हेतु चार अतिरिक्त आयुक्त (अति. आ.), 12 उपायुक्त (उ. आ.), 26 सहायक आयुक्त (स.आ.), 72 वाणिज्यिक कर अधिकारी (वा.क.अ.), 121 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी (स.वा.क.अ.), एवं 174 वाणिज्यिक कर निरीक्षक (वा.क.नि), जो कि छत्तीसगढ़ मूल्य सर्वाधिकरण कर (छ.ग.मु.सं.क.) अधिनियम, 2005 में निहित किये गये कार्यों के अनुसार कार्य करते हैं। उपरोक्त स्वीकृत पदों के विरुद्ध विभाग में नौ उ.आ., 19 स.आ., 67 वा.क.अ., 31 स.वा.क.अ. एवं 117 वा.क.नि. कार्यरत थे। इसके अतिरिक्त मुख्यालय में प्रवर्तन शाखा है जिसकी अध्यक्षता आयुक्त करते हैं, जिसमें एक संयुक्त आयुक्त, एक उ.आ., एक स.आ. और दो निरीक्षक जो आकस्मिक निरीक्षण करते हैं एवं कर की चोरी का पता लगाते हैं। रायपुर और बिलासपुर में दो क्षेत्रीय शाखायें हैं। विभाग का संगठनात्मक संरचना चार्ट 2.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.1: संगठनात्मक संरचना



वाणिज्यिक करों की प्राप्तियाँ (30 / 06 / 2017 तक) निम्न प्रावधानों के अंतर्गत प्रशासित होती हैं:

- छत्तीसगढ़ मूल्य सर्वाधिकरण कर अधिनियम, 2005
- छत्तीसगढ़ मूल्य सर्वाधिकरण कर नियम, 2006
- केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956

- केन्द्रीय विक्रय कर (पंजीकरण एवं आवर्त्त) नियम, 1957
- छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम, 1976
- राज्य शासन एवं विभाग द्वारा समय समय पर जारी नियम, परिपत्र, छूट, अधिसूचनायें एवं निर्देश।

01 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागु किया गया और उक्त कर निम्न प्रावधानों के तहत प्रशासित है:

- छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017
- छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017

2.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग ने नियोजित इकाईयों की संख्या, लेखापरीक्षा की गई इकाईयों की संख्या और आंतरिक लेखापरीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों को प्रस्तुत नहीं किया। हालांकि विभाग ने कहा (मई 2019) कि लेखापरीक्षा कार्य के सुचारू संचालन के लिए, राज्य शासन के निर्देश पर 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट को अनुबंध पर रखा गया था। लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि वाणिज्यिक कर विभाग में समर्पित आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई (आ.ले.इ.) काम नहीं कर रहा था।

अनुशंसा:

शासन कर निर्धारण, उद्ग्रहण और सभी बकाया राजस्व के संग्रह की सुरक्षा के लिए एक आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई का गठन करें।

2.3 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 2017–18 में लेखापरीक्षा द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के कुल 55 इकाईयों में से 25¹ इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई जिसमें 24,043 (11,667 स्व–कर निर्धारण और कर निर्धारण प्रकरण 12,376) प्रकरणों में से 6,155 (3,123 स्व–कर निर्धारण और कर निर्धारण प्रकरण 3,032) प्रकरणों की जाँच 25 इकाईयों में की गई जो कि चुने गये इकाईयों के कुल प्रकरणों का 25.60 प्रतिशत था। वर्ष 2016–17 में विभाग द्वारा कुल ₹ 11,267.56 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया जिसमें से निरीक्षण किये गये इकाईयों द्वारा ₹ 5,503.05 करोड़ संग्रहण किया गया, जो कि कुल राजस्व का 48.84 प्रतिशत था। इसके अतिरिक्त जनवरी से अप्रैल 2019 के मध्य “वस्तु एवं सेवा कर में संक्रमण की तैयारी” पर एक कंडिका संकलित किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा 491 प्रकरणों (181 स्व–कर निर्धारण और 310 कर निर्धारण प्रकरण) में राशि ₹ 79.60 करोड़ के अनियमिततायें पाई गई, जो कि तालिका 2.1 में निम्न श्रेणियों में वर्णित है:

¹ वा.क.अ.–1, रायगढ़; वा.क.अ.–1, रायपुर; वा.क.अ.–2, रायपुर; वा.क.अ.–3, रायपुर; वा.क.अ.–4, रायपुर; वा.क.अ.–5, रायपुर; वा.क.अ.–8, रायपुर; वा.क.अ.–9, रायपुर; वा.क.अ.–2, दुर्ग; वा.क.अ.–1, बिलासपुर; स.आ.–3, दुर्ग; उ.आ., सं–1, बिलासपुर; स.आ.–2, दुर्ग; स.आ.–5, रायपुर; स.आ., कोरबा; उ.आ., दुर्ग; स.आ.–1, दुर्ग; स.आ.–3, रायपुर; उ.आ. (मुख्यालय), रायपुर; वा.क.अ., राजनन्दगाँव; स.आ.–1, वृत्त–9, रायपुर; स.आ.–4, रायपुर; स.आ., रायगढ़; वा.क.अ.–3, दुर्ग; स.आ., रायपुर (वृत्त–6,7 और 8)

तालिका 2.1: लेखापरीक्षा परिणाम

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	"वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में संक्रमण के लिए तैयारी" पर कंडिका	1	5.30
2.	कर का अवरोपण/अनारोपण	109	14.00
3.	छूट/कमी का गलत प्रदान किया जाना	73	23.20
4.	कर के गलत दर का अनुप्रयोग	25	11.12
5.	करयोग्य आवर्त का गलत निर्धारण	26	5.70
6.	अन्य अनियमिततायें ²	258	25.58
	योग	492	84.90

विभाग द्वारा 39 प्रकरणों में राशि ₹ 1.50 करोड़ के अवनिर्धारण को स्वीकार करते हुए पाँच प्रकरणों में ₹ 14.71 लाख की वसूली की गई। शेष प्रकरणों में लेखापरीक्षा द्वारा विभाग से अनुशीलन किया जा रहा है।

वर्ष 2017–18 में सात प्रारूप कंडिकायें जिनमें 93 प्रकरणों में राशि ₹ 37.77 करोड़ सम्मिलित है, जारी किये जाने के उपरान्त विभाग द्वारा 49 प्रकरणों में राशि ₹ 10.34 करोड़ के अवनिर्धारण को स्वीकारते हुए 14 प्रकरणों में राशि ₹ 0.44 करोड़ की वसूली की गई।

2.4 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुसरण

अवधि 2012–17 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा द्वारा 28 कंडिकाओं में राशि ₹ 54.83 करोड़ के विभिन्न आक्षेप लिये गये, जिसमें से विभाग द्वारा ₹ 12.68 करोड़ के आक्षेपों को स्वीकारते हुए ₹ 1.23 करोड़ की वसूली की गई।

लोक लेखा समिति द्वारा वर्ष 2002 से 2012 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के चर्चा हेतु 30 कंडिकाओं का चयन किया गया एवं समिति द्वारा वर्ष 2002–03, 2005–06 से 2007–08 और 2009–10 के 12 कंडिकाओं पर अनुशंसा प्रदान की गई। हालांकि वर्ष 2002–03, 2005–06 एवं 2006–07 की सिर्फ़ छः कंडिकाओं पर ही कार्रवाई टीप प्राप्त हुई है।

वर्ष 2007–08 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (कंडिका 2.4) पर लोक लेखा समिति द्वारा 26 मार्च 2015 (22वां प्रतिवेदन) में अपनी अनुशंसा देते हुए कहा कि जहाँ संदेहास्पद फॉर्म 'एफ' के आधार पर कर की छूट का दावा/प्रदान किया गया था, विभाग तत्काल कर की वसूली करे। आगे, वर्ष 2009–10 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (कंडिका 2.15.2) पर लोक लेखा समिति द्वारा 4 जनवरी 2018 (57वीं प्रतिवेदन) में अपनी अनुशंसा में कहा गया कि विभाग नारियल तेल में कर पर स्पष्ट निर्देश जारी करें ताकि भ्रम से बचा जा सके और तत्काल कर की वसूली करें। हालांकि विभाग द्वारा लोक लेखा समिति के दोनों कंडिकाओं में अनुशंसा का अनुपालन नहीं किया गया (जुलाई 2019)।

अनुशंसा:

विभाग पहले के वर्षों के प्रकरणों पर वसूली में तेजी लायें और लोक लेखा समिति द्वारा दी गई अनुशंसाओं का अनुपालन सुनिश्चित करें।

² अधिक/अस्वीकार्य आगत कर की छूट; आवर्त में क्रेडिट नोट या छूट प्राप्त को सम्मिलित न किया जाना, श्रम घटक का सम्मिलित न किया जाना, इत्यादि के आक्षेप, अन्य अनियमितताओं में सम्मिलित है।

2.5 वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में संक्रमण के लिए तैयारी

2.5.1 प्रस्तावना

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), वस्तुओं एवं सेवाओं पर पूरे देश में एक एकीकृत अप्रत्यक्ष कर³ 01 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। जीएसटी को केन्द्र (सीजीएसटी) और राज्यों (एसजीएसटी)/केन्द्र शासित प्रदेशों (यूटीजीएसटी) दोनों द्वारा एक साथ कर योग्य घटना अर्थात् वस्तु एवं सेवा की आपूर्ति (मानव उपभोग के लिए शराब और पाँच निर्दिष्ट पेट्रोलियम उत्पादों⁴ को छोड़कर) पर लगाया जाता है। आगे, एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) अंतर-राज्य वस्तु या सेवा (आयात समेत) की आपूर्ति पर लगाया जाता है और केन्द्र को आईजीएसटी लगाने का एकाधिकार है। जीएसटी लागू होने से पहले, मूल्य संवर्धित कर (वैट), वस्तु की राज्य के अंदर बिक्री पर छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 और केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) को वस्तुओं के अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य पर सीएसटी अधिनियम, 1956 के अनुसार लगाया जाता था।

वस्तु एवं सेवा कर परिषद (जीएसटीसी), जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 279-अ के तहत गठन किया गया था, की सिफारिश पर केन्द्र, राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा जीएसटी से संबंधित प्रावधानों को विनियमित किया जाता है, जिसमें केन्द्र और सभी राज्यों से प्रतिनिधित्व शामिल है। राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 और छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017 को अधिसूचित किया (जून 2017) और 01 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू किया।

वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) एक निजी कंपनी के रूप में भारत सरकार द्वारा सूचना प्रोद्योगिकी सेवायें प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया। यह करदाताओं को पंजीकरण, कर का भुगतान और रिटर्न दाखिल करने के लिए फ्रंट-एंड आईटी सेवायें प्रदान करता है। बैक-एंड आईटी सेवायें जैसे पंजीकरण अनुमोदन, करदाता विवरण व्यूअर, धनवापसी प्रसंस्करण, प्रबंधन सूचना प्रणाली रिपोर्ट (एम.आई.एस.) आदि मॉडल-2⁵ राज्यों को भी जीएसटीएन द्वारा प्रदान किया जाता है। छत्तीसगढ़ ने जीएसटी कार्यान्वयन के लिए मॉडल-2 चुना।

2.5.2 कानूनी /वैधानिक तैयारी

राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 और छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017 को अधिसूचित (जून 2017) किया। राज्य में 01 अप्रैल 2018 से अंतरराज्यीय लेनदेन और 01 जून 2018 से राज्य के अंदर लेनदेन पर ई-वे बिल⁶ प्रणाली लागू की गई। छत्तीसगढ़ शासन/राज्य कर विभाग द्वारा जीएसटी की

³ केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर जैसे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, औषधीय और शौचालय तैयारी अधिनियम के तहत लगाये गए उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क (सी.वी.डी.), सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क (एस.ए.डी.), राज्य अप्रत्यक्ष कर जैसे मूल्य संवर्धित कर, केन्द्रीय बिक्री कर, प्रवेश कर, मनोरंजन कर एवं क्रय कर

⁴ पेट्रोलियम उत्पाद: कच्चा तेल, उच्च गति डीजल, पेट्रोल, विमानन टरबाइन ईंधन और प्राकृतिक गैस

⁵ मॉडल-2 राज्य के मामले में जीएसटीएन द्वारा फ्रंट-एंड एवं बैक-एंड दोनों सेवायें प्रदान की जाती है, जबकि मॉडल-1 राज्य के मामले में केवल फ्रंट-एंड सेवायें जीएसटीएन द्वारा प्रदान की जाती है।

⁶ यह एक अनूठा दस्तावेज/बिल है, जो इलेक्ट्रोनिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर या तो अंतर-राज्य या राज्य के भीतर ₹ 50,000 से अधिक मूल्य के माल की विशिष्ट खेप/आवाजाही के लिए उत्पन्न होता है।

क्रियान्वयन की सुविधा के लिए जीएसटी से संबंधित 254 अधिसूचना/परिपत्र/आदेश जून 2017 से मार्च 2019 तक जारी किए गये।

2.5.3 सूचना प्रोद्योगिकी तैयारी और क्षमता निर्माण के प्रयास

जीएसटीएन करदाताओं को पंजीकरण, कर का भुगतान और रिटर्न दाखिल करने के लिए तीन फ्रंट-एंड सेवायें प्रदान करता है। जीएसटी कार्यान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ ने मॉडल-2 को चुना, इसलिए पंजीकरण अनुमोदन, करदाता विवरण व्यूअर, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग प्रोसेसिंग, रिफंड प्रोसेसिंग, एम.आई.एस रिपोर्ट इत्यादि जैसे बैक-एंड एप्लिकेशन जीएसटी प्रशासन के लिए जीएसटीएन द्वारा विकसित और रखरखाव किए जा रहे हैं। राज्य को बैक-एंड एप्लिकेशन की पहुंच राज्य डेटा केंद्र पर मल्टी-प्रोटोकॉल लेवल स्थिरिंग कनेक्टिविटी के माध्यम से उपलब्ध था।

विभाग ने 2016–17 के दौरान पाँच चरणों में क्षमता निर्माण का आयोजन किया था। प्रारंभिक चरण में, अतिरिक्त आयुक्त के स्तर तक के 10 अधिकारियों को रूचि एवं कम्प्युटर ज्ञान के आधार पर मुख्य प्रशिक्षक के रूप में नैशनल अकॉदमी ऑफ कस्टम्स, एक्साइज एंड नॉरकोटिक्स (एनएसीईएन), फरीदाबाद में ‘जीएसटी कानूनों पर विशेष प्रशिक्षण’ के लिए चुना गया। आगे, इन्फोसिस चेन्नई में सूचना प्रोद्योगिकी पर ‘जीएसटी पोर्टल पर मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण’ में 49 अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा भाग लिया गया। 960 कार्यबल में से, 861 अधिकारियों/कर्मचारियों को मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षित किया गया था जैसा कि तालिका 2.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2: अधिकारियों/कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षण

सं. क्र.	पद	प्रतिभागियों की संख्या
1.	संभागीय उपायुक्त	7
2.	सहायक आयुक्त	16
3.	वाणिज्यिक कर अधिकारी	53
4.	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	46
5.	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	100
6.	अन्य कर्मचारी	639
योग		861

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रदायित जानकारी)

इसके अलावा, विभाग ने डीलरों को जीएसटी के प्रावधानों के बारे में जागरूकता लाने के लिए 1,200 से अधिक कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। विभाग ने विभागीय वेबसाइट ‘comtax.cg.nic.in’ पर पाँच जीएसटी टैब्स (जीएसटी, जीएसटी अधिनियम, जीएसटी अधिसूचना, जीएसटी नियम और जीएसटी आदेश) शुरू किए। प्रत्येक कार्यालय में जीएसटी सहायता डेस्क की स्थापना की गई और करदाताओं को उनकी समस्याओं/प्रश्नों को हल करने में सुविधा के लिए एक टोल फ्री जीएसटी हेल्पलाइन नंबर भी प्रदान किया गया था।

2.5.4 करदाताओं का पंजीकरण

(अ) डीलर माइग्रेशन

छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम, 2005 के तहत जो डीलर पंजीकृत थे, उन्हें छत्तीसगढ़ जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 139 के तहत अनंतिम रूप से पंजीकृत होना आवश्यक था, यदि उनके पास वैद्य पैन नंबर था। विभाग द्वारा सभी आवश्यक सूचनाओं और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, पंजीकरण प्रमाणपत्र छत्तीसगढ़ जीएसटी अधिनियम 2017, के तहत प्रत्येक डीलरों को दिया जाना था।

छ.ग.मू.सं.क. से छत्तीसगढ़ जीएसटी में माईग्रेशन पूर्ण करने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा 30 जून 2017 रखी गई थी। हालांकि, छत्तीसगढ़ में प्राथमिक दौर में कुछ तकनीकी खराबी के कारण करदाता पंजीकरण नवम्बर 2016 से शुरू हुआ और लक्ष्य को दो मौकों पर संशोधित कर अंतिम रूप से 28 फरवरी 2019 तक बढ़ा दिया गया। 28 फरवरी 2019 तक, विभाग केवल 71.24 प्रतिशत (1,22,114 में से 86,990) डीलरों को पंजीकृत कर पाया।

31 मार्च 2019 तक विभाग में मौजूदा पंजीकृत करदाताओं के अनंतिम पंजीकरण और अंतिम पंजीकरण की स्थिति तालिका 2.3 में दर्शायी गई है।

तालिका 2.3: डीलर पंजीकरण की स्थिति

वैध पैन के साथ पूर्व-जीएसटी कानूनों के तहत पंजीकृत डीलरों की कुल संख्या	जीएसटीएन से प्राप्त अनंतिम आईडी की कुल संख्या (कॉलम-1 के आधार पर प्रतिशत)	प्राथमिक रूप से नामांकित डीलरों की संख्या (कॉलम-1 के आधार पर प्रतिशत)	राज्य को आवंटित डीलरों की संख्या (कॉलम-1 के आधार पर प्रतिशत)	पूर्ण नामांकन की संख्या (कॉलम-1 के आधार पर प्रतिशत)	सर्कल स्तर पर रद्द करने के बाद सक्रिय माईग्रेटेड करदाता (कॉलम-1 के आधार पर प्रतिशत)
1,22,114	1,10,033 (90.11 प्रतिशत)	1,07,773 (88.26 प्रतिशत)	91,547 (74.97 प्रतिशत)	86,990 (71.24 प्रतिशत)	74,148 (60.72 प्रतिशत)

(स्रोत: राज्य कर विभाग द्वारा प्रदायित जानकारी)

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि लगभग 29 प्रतिशत डीलर अभी तक जीएसटी के तहत पंजीकृत नहीं हुए हैं।

- केन्द्र और राज्य के बीच करदाताओं का आवंटन

31 मार्च 2019 तक, छत्तीसगढ़ में जीएसटी के अंतर्गत 1,07,773 कर भुगतान करने वाले डीलर थे। केन्द्र और छत्तीसगढ़ के बीच करदाताओं का आवंटन जीएसटी परिषद द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 20 सितम्बर 2017 के अनुसार किया जाना था।

करदाताओं के आवंटन के लिए जीएसटी परिषद द्वारा निर्धारित मानदंड निम्न अनुसार थे:

- ₹ 1.50 करोड़ से कम टर्नओवर वाले करदाताओं के 90 प्रतिशत करदाताओं पर सभी प्रशासनिक नियंत्रण राज्य कर प्रशासन का एवं 10 प्रतिशत करदाताओं पर केन्द्रीय कर प्रशासन का होगा;
- ₹ 1.50 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले करदाताओं के संबंध में, सभी प्रशासनिक नियंत्रण केन्द्र और राज्य कर प्रशासन 50 प्रतिशत के समानुपात में प्रत्येक को विभाजित किया जाएगा; एवं
- प्रत्येक राज्य में करदाताओं का विभाजन कम्प्युटर द्वारा स्तरीकृत यादृच्छिक नमूने के आधार पर किया जाएगा और करदाताओं की भौगोलिक स्थिति और प्रकार को भी ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति के अनुसार होगा।

तदनुसार, केन्द्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी के प्रतिनिधियों से युक्त एक समिति ने करदाताओं को 16 नवम्बर 2017 से 01 मार्च 2019 के दौरान छ: चरणों में अपने बीच आवंटित किया। राज्य कर विभाग को 91,547 मौजूदा पंजीकृत करदाताओं का अधिकार क्षेत्र आवंटित किया गया, जैसा कि तालिका 2.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.4: मौजूदा पंजीकृत करदाताओं का आवंटन

	मौजूदा पंजीकृत करदाता		योग
	1.5 करोड़ से अधिक टर्नओवर	1.5 करोड़ से कम टर्नओवर	
राज्य	6,769	84,778	91,547
केन्द्र	6,765	9,461	16,226
योग	13,534	94,239	1,07,773

(स्रोत: राज्य कर विभाग द्वारा प्रदायित जानकारी)

(ब) नये करदाताओं का पंजीकरण

छत्तीसगढ़ जीएसटी नियम, 2017 के नियम 9 के अनुसार, जीएसटी के तहत नये डीलरों का पंजीकरण आवेदन प्राप्त होने के तीन कार्य दिवस के भीतर किया जाना था। जीएसटी के तहत डीलरों के नये पंजीकरण 31 मार्च 2019 की स्थिति, तालिका 2.5 में दर्शायी गई है:

तालिका 2.5: नये करदाताओं का पंजीकरण

31 मार्च 2019 तक प्राप्त आवेदन	खारिज किये गए आवेदनों की संख्या	स्वीकृत आवेदनों की संख्या	पंजीकरण के लिए लंबित आवेदनों की संख्या
86,179	9,937	75,770 (87.92 प्रतिशत)	472

(स्रोत: राज्य कर विभाग द्वारा प्रदायित जानकारी)

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि विभिन्न आधारों पर 11.53 प्रतिशत आवेदन खारिज किये गए।

472 लंबित आवेदनों के बारे में शासन ने कहा (जुलाई 2019) कि ये नये आवेदन थे, जिनका तीन कार्य दिवस में निराकरण किया गया।

2.5.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा द्वारा संक्रमणकालीन क्रेडिट और वापसी से संबंधित जो अनियमिततायें पायी गई, उनका विवरण निम्नानुसार है:

2.5.5.1 संक्रमणकालीन क्रेडिट

छत्तीसगढ़ जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140 सहपठित छत्तीसगढ़ जीएसटी नियम, 2017 के नियम 117 के अनुसार पंजीकृत करदाता:

- अ) जीएसटी काल में आगत कर क्रेडिट (आईटीसी) के रूप में पूर्व जीएसटी काल (2017–18 की प्रथम तिमाही) के आगत कर छूट (आईटीआर) की अप्रयुक्त राशि को आगे बढ़ाने और दावा करने के हकदार थे;
- ब) वैट रिटर्न में पूँजीगत वस्तुओं के संबंध में अप्रयुक्त आईटीआर का दावा करने के हकदार; और
- स) स्टॉक में रखे गए आगत और स्टाक में अर्द्ध–तैयार या तैयार वस्तु में निहित आगत के संबंध में वैट का संक्रमणकालीन क्रेडिट लेने के हकदार, जिस पर पूर्व–जीएसटी काल में क्रेडिट का दावा नहीं किया गया था और करदाता ऐसे आगत पर आईटीसी के पात्र है।

पंजीकृत करदाताओं को निर्धारित प्रपत्र ट्रान-1⁷ में रिटर्न दाखिल करना था। हालांकि, करदाता जीएसटी के तहत संक्रमणकालीन क्रेडिट का दावा करने के लिए पात्र नहीं होंगे जब तक कि वे पूर्व-जीएसटी कानून के तहत छः महीने की अवधि (जनवरी से जून 2017) 01 जुलाई 2017 से ठीक पहले के तिमाही रिटर्न नहीं देते।

संक्रमणकालीन क्रेडिट आंकड़ों की जाँच में पाया गया है कि 3,335 करदाताओं ने एसजीएसटी के रूप में ₹ 285.13 करोड़ संक्रमणकालीन क्रेडिट का दावा किया। कुल 3,335 संक्रमणकालीन क्रेडिट मामलों में से विभाग ने सभी सर्कल में 222 संक्रमणकालीन क्रेडिट मामलों की जाँच की सात चयनित सर्कल में लेखापरीक्षा ने 58 मामलों की जाँच की जिनकी जाँच विभाग द्वारा पूर्व में की जा चुकी थी एवं कोई अनियमितता नहीं पाई गई। इन सर्कलों के शेष 709 मामलों में से 166 मामलों (23 प्रतिशत) की जाँच की गई, जो विभाग द्वारा सत्यापित नहीं किए गए एवं अनियमिततायें पाई गई जो कि तालिका 2.6 एवं आगामी कंडिकाओं में दर्शाया गया है:

तालिका 2.6 संक्रमणकालीन क्रेडिट की जाँच

संक्रमणकालीन क्रेडिट प्रकरणों की कुल संख्या: 3,335		
सात चयनित सर्किलों में संक्रमणकालीन क्रेडिट प्रकरणों की संख्या: 767		
	विभाग द्वारा सत्यापित किया गया	विभाग द्वारा सत्यापित नहीं किया गया
सात चयनित सर्किलों में प्रकरण	58 प्रकरण	709 प्रकरण
लेखापरीक्षा द्वारा किए गये जाँच प्रकरण	58 प्रकरण (100 प्रतिशत)	166 प्रकरण (23 प्रतिशत)
लेखापरीक्षा परिणाम	कोई अनियमिततायें नहीं देखी गई	₹ 5.30 करोड़ मूल्य के 45 प्रकरणों (27 प्रतिशत) में अनियमिततायें देखी गई।

देखे गए अनियमितताओं का विवरण (परिशिष्ट 2.1) निम्नानुसार है:

- 2017–18 के प्रथम तिमाही रिटर्न में 17 करदाताओं का कोई क्रेडिट बैलेंस (शून्य) नहीं था, लेकिन गलत तरीके से आईटीसी ₹ 1.59 करोड़ का दावा किया गया;
- आठ करदाताओं द्वारा ₹ 34.21 लाख का आईटीसी, 2017–18 की पहली तिमाही में दर्शाई गयी आईटीआर से अधिक दावा किया गया;
- चार करदाताओं द्वारा वैट रिटर्न में नकारात्मक शेष राशि के एवज में ₹ 77.19 लाख के क्रेडिट का दावा किया गया;
- 15 करदाताओं द्वारा पिछले छः महीनों (2016–17 की चौथी तिमाही या 2017–18 की प्रथम तिमाही) के लिए तिमाही रिटर्न जमा नहीं किया गया था, लेकिन अनियमित रूप से ₹ 2.40 करोड़ के आईटीसी का दावा किया गया; एवं
- एक करदाता जो जीएसटी के पूर्व के दौरान वैट, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर में पंजीकृत नहीं था, ने अनियमित रूप से ट्रान-1 के माध्यम से ₹ 19.60 लाख आईटीसी दावा किया।

⁷ ट्रान-1 को क्लोजिंग स्टॉक पर आगत कर क्रेडिट वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दायर किया जाना चाहिए जो वैट, सेवा कर अथवा केन्द्रीय उत्पाद से जीएसटी में माईग्रेट हुए हैं। जीएसटी व्यवस्था में पुराने स्टॉक पर आईटीसी का दावा करने के लिए 01 जुलाई 2017 को आयोजित क्लोजिंग स्टॉक की शेष राशि का ट्रान-1 में खुलासा किया जाना चाहिए।

⁸ वृत्त-2, दुर्ग; वृत्त-2, जगदलपुर; वृत्त-1, कोरबा; वृत्त मनेन्द्रगढ़; वृत्त-1,5 एवं 8, रायपुर।

उपरोक्त विचलन निम्नलिखित कारणों से थे:

- विभाग एवं जीएसटीएन द्वारा वैट से जीएसटी प्रणाली की विरासत डाटा के गैर-प्रवास के फलस्वरूप संक्रमणकालीन क्रेडिट शेष के डाटा में प्रत्यक्ष बेमेल रहा जो विभिन्न डीलरों को हेरफेर कर अनियमित संक्रमणकालीन क्रेडिट का दावा करने में सहायक रही।
- विभाग ने वैट विवरण के साथ संक्रमणकालीन क्रेडिट प्रकरणों को सत्यापित नहीं किया, हालांकि यह एक बार का महत्वपूर्ण कार्य था।

शासन द्वारा उत्तर (जुलाई 2019) में कहा गया कि 41 डीलरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, तीन डीलरों को माँग पत्र जारी किया गया और एक प्रकरण में डीलर ने 2016–17 का वार्षिक रिटर्न और 2017–18 का पहला तिमाही रिटर्न जमा किया था।

शासन का उत्तर इंगित करता है कि वैट से जीएसटी के लिए विरासत डाटा का गैर-प्रवासन और विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रासंगिक रिकार्ड के गैर-सत्यापन से पहले संक्रमणकालीन क्रेडिट की स्वीकार्यता के कारण परिहार्य राजस्व हानि हुई।

अनुशंसा:

विभाग सभी संक्रमणकालीन क्रेडिट प्रकरणों की जाँच करें और संबंधित डीलरों के अंतिम मूल्यांकन करते समय राजस्व की वसूली के लिए उचित कार्रवाई करें।

2.5.5.2 जीएसटी के अंतर्गत वापसी

छत्तीसगढ़ जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54 सहपठित धारा 56 में किसी निश्चित कर अवधि के अंत में इलेक्ट्रॉनिक नकद बहीखाता या अप्रयुक्त आईटीसी में शेष राशि की वापसी का प्रावधान है। इसके अलावा, वापसी का भुगतान डीलर को आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर किया जाना है, अन्यथा शासन ऐसे प्रकरणों में प्रति वर्ष छः प्रतिशत की दर से करदाताओं को ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।

विभाग द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार 1,620 प्रकरणों में ₹ 168.62 करोड़ की धन राशि की वापसी की अनुमति दी गयी। लेखापरीक्षा द्वारा सात जीएसटी वृत्तों में ₹ 3.59 करोड़ के सभी 321 वापसी प्रकरणों की जाँच की गयी और 130 प्रकरणों में देखा गया कि विभाग ने पाँच से 471 दिनों कि देरी के साथ ₹ 29.30 लाख की वापसी की। किसी भी प्रकरण में आवेदकों को ब्याज का भुगतान नहीं किया।

2.5.6 निष्कर्ष

शासन ने अधिनियम, नियमों और क्षमता निर्माण के प्रतिफल के साथ जीएसटी कार्यान्वयन के लिए अपनी तैयारियों में पर्याप्त कदम उठाए हैं हालांकि कुछ धूसर क्षेत्र की मौजूदगी जारी है, जैसा कि पहले इंगित किया गया है।

मूल्य संवर्धित कर

2.6 कर का अवरोपण

मूल्य संवर्धित कर की अल्प दर के अनुप्रयोग से कर की राशि ₹ 3.26 करोड़ एवं शास्ति ₹ 6.51 करोड़ का अवरोपण।

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम (छ.ग.मू.सं.क.अ.) 2005, प्रावधानित करता है कि इनमें संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट दर से कर आरोपणीय है।

लेखापरीक्षा द्वारा, कुल निर्धारण अभिलेखों 10,138 (स्व-कर निर्धारण प्रकरण 5,524 एवं कर निर्धारण प्रकरण 4,614) में से 2,043 (1,038 स्व-कर निर्धारण प्रकरण एवं 1,005 कर निर्धारण प्रकरण) अर्थात् सात⁹ इकाईयों के कुल प्रकरणों के 20.15 प्रतिशत में से 11 व्यवसायियों के 12 प्रकरणों (तीन स्व-कर निर्धारण प्रकरण एवं नौ कर निर्धारण प्रकरण) अर्थात् नमूना जाँच किये गये प्रकरणों का 0.59 प्रतिशत में लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि पाँच प्रतिशत तथा 12.5 / 14 प्रतिशत के स्थान पर शून्य एवं पाँच प्रतिशत का गलत दर लगाया गया। निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) कर निर्धारण प्रकरणों में भी माल पर गलत दर की जाँच करने में विफल रहे और कम कर दर लागू किया अथवा कर का कोई दर आरोपित नहीं किया गया। तथापि लेखापरीक्षा द्वारा रिटर्न में संलग्न दस्तावेजों (विक्रय/खरीद विवरण) की जाँच में पाया गया कि इन मालों¹⁰ पर पाँच अथवा 12.5 / 14 प्रतिशत के दर से कर आरोपणीय था। फलस्वरूप, कर की राशि ₹ 3.26 करोड़ एवं शास्ति ₹ 6.51 करोड़ का अवरोपण हुआ।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि विभाग द्वारा मू.सं.क. के करारोपण एवं कर निर्धारण के लिए CGCOMTAX सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली का उपयोग किया जा रहा था, तथापि इस प्रणाली में प्रत्येक वस्तु/माल को कर की दर के साथ कोडिंग का प्रावधान नहीं था जिसे डीलर इन्वांज कर सके। डीलरों द्वारा वस्तु/माल पर लागू की जा रही दर के सत्यापन हेतु कोई प्रणाली के अभाव में, निर्धारण प्राधिकारी द्वारा त्रुटि नहीं पकड़े जाने के मामले वर्ष दर वर्ष घटित हो रहे हैं, जिसके फलस्वरूप कर के कम दर का रोपण/भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा (फरवरी 2019) इंगित किए जाने पर विभाग ने (मार्च 2019) कहा कि तीन प्रकरणों में ₹ 18.60 लाख कर की वसूली की गई तथा सात प्रकरणों में ₹ 4.29 करोड़ कर की माँग जारी की गई। शेष प्रकरणों में आगे की कार्यवाही के संबंध में विभाग से उत्तर अप्राप्त (अगस्त 2019) है।

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिका 3.5 में भी समान अनियमिततायें दर्शायी गयी थीं जिसमें लेखापरीक्षा द्वारा विभाग को अपने कर निर्धारण प्राधिकारियों की विफलता का सतर्कता पूर्वक पता लगाकर उचित कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई थी। परन्तु उपरोक्त अनियमिततायें निरंतर बनी हुई थीं एवं लेखापरीक्षा किए जाने तक पकड़ी नहीं गयी।

केन्द्रीय विक्रय कर

2.7 घोषणा पत्रों के अभाव में केन्द्रीय विक्रय कर (के.वि.क.) अधिनियम के अंतर्गत कर का रियायती दर से मान्य किया जाना

निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा बगैर घोषणा पत्र फॉर्म 'सी' के रियायती दर पर कर मान्य किए जाने के कारण के.वि.क. की राशि ₹ 6.40 करोड़ का अवरोपण

के.वि.क. अधिनियम, 1956 प्रावधानित करती है कि वस्तुओं के अंतर्राज्यीय विक्रय, घोषणा पत्र 'सी' फॉर्म समर्थित होने पर जून 2008 से आवर्त पर दो प्रतिशत या संबंधित राज्य में लागू कर की दर, जो भी कम हो, का करारोपण किया जाएगा। फॉर्म 'सी' के अभाव में व्यवसायी छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम, 2005 में प्रावधानित दर पर कर का दायी होगा।

⁹ स.आ.-4, रायपुर; वा.क.अ.-4, रायपुर; वा.क.अ.-2, दुर्ग; वा.क.अ.-5, रायपुर; वा.क.अ.-9, रायपुर; वा.क.अ.-3, दुर्ग एवं स.आ.-5, रायपुर।

¹⁰ आइसन पैलेट्स; पैनल बोर्ड्स; डिजिटल कैमरा; एल्यूमीनियम कोम्पोजीट पैनल शीट; डीटीएच सेट अप बाक्स; टायर ऑइल; स्किम्ड मिल्क पाउडर; महुआ केक एवं टोस्ट।

लेखापरीक्षा के दौरान, कुल 7,278 प्रकरणों (स्व-कर निर्धारण प्रकरण 3,225 एवं कर निर्धारण प्रकरण 4,053) में से 1,583 प्रकरणों (स्व-कर निर्धारण प्रकरण 923 एवं कर निर्धारण प्रकरण 660) अर्थात् आठ¹¹ इकाईयों के कुल प्रकरणों के 21.75 प्रतिशत में से 32 व्यवसायियों के 34 स्व-कर निर्धारण प्रकरणों अर्थात् नमूना जाँच किये गये प्रकरणों का 2.15 प्रतिशत में लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि अंतर्राज्यीय विक्रय ₹ 195.81 करोड़ के समर्थन में कोई 'सी' फॉर्म प्रस्तुत नहीं किया गया। 'सी' फॉर्म के अभाव में व्यवसायियों को चार/पाँच अथवा 14 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान किया जाना था। अंतर्राज्यीय विक्रय 'सी' फॉर्म असमर्थित होने से कर निर्धारण प्राधिकारियों को नियम के अनुसार करारोपण करना था। परन्तु, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, के अंतर्गत सभी व्यवसायियों द्वारा रियायती दर एक/दो प्रतिशत पर कर का लाभ उठाने के फलस्वरूप, केन्द्रीय विक्रय कर की राशि ₹ 6.40 करोड़ की कम वसूली हुई। इस प्रकार, वैधानिक विवरणियों की संपूर्णता की जाँच जो विभागीय परिपत्र (नवम्बर 2012) के अनुसार अनिवार्य था, करने में निर्धारण प्राधिकारी विफल रहे।

लेखापरीक्षा द्वारा (फरवरी 2019) इंगित किए जाने पर विभाग ने कहा (मार्च 2019) कि 15 प्रकरणों में कर की राशि ₹ 36.16 लाख की माँग जारी की गई। अन्य प्रकरणों में आगे की कार्रवाई अपेक्षित (अगस्त 2019) है।

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिका 4.7 में भी समान प्रकार के अनियमितायें दर्शाये गए थे। यद्यपि, लेखापरीक्षा में कर निर्धारण प्राधिकारियों की छूट को इंगित किया गया था, ये अनियमितायें न सिर्फ निरंतर बनी हुई हैं लेकिन लेखापरीक्षा किए जाने तक पकड़ी भी नहीं गयी।

2.8 केन्द्रीय विक्रय कर (के.वि.क.) अधिनियम के अंतर्गत बगैर संवैधानिक पत्र के पारगमन विक्रय पर कर की छूट को मान्य किया जाना

कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा बिना वैधानिक 'ई-1/सी' फॉर्म जमा किए राशि ₹ 2.31 करोड़ के कर की छूट प्रदाय की गई।

के.वि.क. अधिनियम 1956, पारगमन विक्रय पर कर से छूट को प्रावधानित करता है। छूट का दावा करने के लिए, व्यवसायियों को उक्त विक्रय के समर्थन में वैधानिक 'ई-1/ई-2' तथा 'सी' फॉर्म प्रस्तुत करना अनिवार्य है। 'ई-1/ई-2/सी' फॉर्म के अभाव में छ.मू.सं.क.अ., 2005 एवं के.वि.क. अधिनियम, 1956, में प्रावधानित दर से संबंधित वस्तुओं पर करारोपणीय है। आगे, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अनुसार, घोषणा पत्र 'सी' समर्थित होने पर वस्तुओं के अंतर्राज्यीय विक्रय पर जून 2008 से दो प्रतिशत की दर से करारोपणीय है।

लेखापरीक्षा के दौरान, कुल 3,045 प्रकरणों (स्व-कर निर्धारण प्रकरण 2,328 एवं कर निर्धारण प्रकरण 717) में से 694 प्रकरणों (स्व-कर निर्धारण प्रकरण 404 एवं कर निर्धारण प्रकरण 290) अर्थात् तीन¹² इकाईयों के कुल प्रकरणों के 22.79 प्रतिशत में से पाँच व्यवसायियों के छ: स्व-कर निर्धारण प्रकरण अर्थात् नमूना जाँच किये गये प्रकरणों का 0.86 प्रतिशत में लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि के.वि.क. अधिनियम 1956 के अंतर्गत पारगमन विक्रय ₹ 85.09 करोड़ के समर्थन में 'ई-1' एवं 'सी' फॉर्म प्रस्तुत नहीं किया गया परन्तु उपरोक्त संव्यवहार पर छूट का दावा किया। वैधानिक पत्रों के आभाव में व्यवसायियों द्वारा चार/पाँच अथवा 14 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान किया जाना था। लेकिन निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा वैधानिक विवरणियों की संपूर्णता की जाँच

¹¹ स.आ.-3, रायपुर; वा.क.अ.-9, रायपुर; स.आ.-1, वृत्त-9, रायपुर; वा.क.अ.-8, रायपुर; उपायुक्त, रायपुर; वा.क.अ.-1, रायगढ़; स.आ.-3, दुर्ग एवं स.आ.-4, रायपुर।

¹² वा.क.अ.8, रायपुर; स.आ.-1, वृत्त-9, संभाग -2, रायपुर एवं स.आ.-5, रायपुर

किए बिना कर के भुगतान से छूट मान्य किया गया जिसके फलस्वरूप कर की राशि ₹ 2.31 करोड़ की कम वसूली हुई। इस प्रकार, वैधानिक विवरणियों की संपूर्णता की जाँच जो विभागीय परिपत्र (नवम्बर 2012) के अनुसार अनिवार्य था, करने में निर्धारण प्राधिकारी विफल रहे।

लेखापरीक्षा द्वारा (फरवरी 2019) इंगित किए जाने पर विभाग ने (मार्च 2019) कहा कि चार प्रकरणों में कर की राशि ₹ 1.76 करोड़ की माँग जारी की गई है। अन्य दो प्रकरणों में आगे की कार्रवाई अपेक्षित (अगस्त 2019) है।

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिका 4.8 में भी समान प्रकार की अनियमितता दर्शायी गई थी। यद्यपि, लेखापरीक्षा में कर निर्धारण प्राधिकारियों की चूक को इंगित किया गया था, ये अनियमिततायें न सिर्फ निरंतर बनी हुई हैं लेकिन लेखापरीक्षा किए जाने तक पकड़ी नहीं गयी।

प्रवेश कर

2.9 कर के गलत दर के अनुप्रयोग से प्रवेश कर की कम वसूली

कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा बाह्य क्षेत्र से स्थानीय क्षेत्र में मालों के प्रवेश पर कर के गलत दर के अनुप्रयोग से प्रवेश कर की राशि ₹ 6.45 करोड़ की कम वसूली।

छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम (सी.जी.इ.टी.) 1976, यह प्रावधानित करता है कि कोई व्यवसायी इसमें संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से प्रवेश कर का दायी होगा।

लेखापरीक्षा के दौरान, कुल 3,225 प्रकरणों (स्व—कर निर्धारण प्रकरण 1,678 एवं कर निर्धारण प्रकरण 1,547) में से 1,320 प्रकरणों (स्व—कर निर्धारण प्रकरण 715 एवं कर निर्धारण प्रकरण 605) अर्थात् सात इकाईयों¹³ के कुल प्रकरणों के 40.93 प्रतिशत में से 12 (तीन स्व—कर निर्धारण एवं नौ कर निर्धारण प्रकरण) अर्थात् नमूना जाँच किये गये प्रकरणों का 0.91 प्रतिशत में लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा प्रकरण/रिटर्न निर्धारण/दाखिल करते समय प्रवेश कर का सही दर लागू नहीं किया गया। कर निर्धारण प्रकरणों में भी वस्तुओं पर कर का सही दर लागू करने में निर्धारण प्राधिकारी विफल रहे एवं कोई दर लागू नहीं की अथवा निम्न कर दर आरोपित किया गया।

ये सभी प्रकरण यह इंगित करते हैं कि कर निर्धारण प्राधिकारी/व्यवसायी द्वारा प्रकरणों/विवरणियों का निर्धारण/दाखिल करते समय अनुसूचियों तथा अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट प्रवेश कर की उचित दर लागू नहीं की गयी। फलस्वरूप, प्रवेश कर की राशि ₹ 6.45 करोड़ की कम वसूली हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा (फरवरी 2019) में इंगित किए जाने पर विभाग ने (मार्च 2019) कहा कि प्रकरणों में प्रवेश कर की राशि ₹ 10.00 करोड़ (₹ 5.66 करोड़ लेखापरीक्षा अवलोकन से संबंधित) की माँग जारी की गई है। अन्य प्रकरणों में आगे की कार्रवाई अपेक्षित (जुलाई 2019) है।

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिका 4.9 में भी समान प्रकार के अवलोकन दर्शाये गए थे। यद्यपि, लेखापरीक्षा में कर निर्धारण प्राधिकारियों की चूक को इंगित किया गया था फिर भी ये अनियमिततायें न सिर्फ निरंतर बनी हुई हैं लेकिन लेखापरीक्षा किए जाने तक पकड़ी नहीं गयी।

¹³ स.आ.—9, रायपुर; स.आ.—3, रायपुर; स.आ.—2, दुर्ग; उ.आ., दुर्ग; स.आ., कोरबा; स.आ.—5, रायपुर एवं उ.आ.—4, रायपुर

अध्याय 3:

मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस

अध्याय—3


मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस

3.1 कर प्रशासन

राज्य में मुद्रांक शुल्क (मु. शु.) एवं पंजीयन फीस (प. फी.) से प्राप्ति का निर्धारण भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899; पंजीयन अधिनियम, 1908; भारतीय मुद्रांक नियम, 1975; छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य मार्गदर्शिका निर्धारण एवं पुनरीक्षण नियम, 2000 तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इनके अधीन निर्मित नियमों द्वारा होता है। दस्तावेजों/विलेखों का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय में होता है और मुद्रांक शुल्क का आरोपण दस्तावेजों के निष्पादन पर एवं पंजीयन फीस दस्तावेजों के पंजीयन पर देय है। वरिष्ठ जिला पंजीयक (व. जि. पं.)/जिला पंजीयक (जि.पं.) का कार्य उप पंजीयक (उ.पं.) के प्रतिदिन कार्यों में मार्गदर्शन देना, जहाँ आवश्यक हो ऐसे प्रकरणों में मुद्रांकों के मूल्यांकन के संबंध में आदेश पारित करना, शास्ति, वापसी एवं उप पंजीयकों का निरीक्षण करना है।

सचिव, मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग शासन स्तर पर नीतियों के निर्धारण, निगरानी एवं नियंत्रण करने हेतु उत्तरदायी है। महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक (म.नि.पं. एवं अ.मु.) पंजीयन विभाग का प्रमुख होता है, जिसकी सहायता हेतु दो उप महानिरीक्षक पंजीयन (उ.म.नि.पं.), 19 व.जि.पं./जि.पं. एवं 69 उ.पं. हैं। विभाग का संगठनात्मक संरचना चार्ट 3.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.1: संगठनात्मक संरचना



3.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई (आ.ले.इ.) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह संगठन को आश्वासित करता है कि निर्धारित प्रणालियाँ सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं।

विभाग ने उत्तर में कहा (नवंबर 2018) कि आ.ले.इ. में दो सहायक आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकारी (स.आं.ले.प.अ.) के स्वीकृत पद हैं। हालांकि लेखापरीक्षा द्वारा यह देखा गया कि दोनों पद वर्ष 2015–16 से रिक्त हैं और इस अवधि में कोई आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्य नहीं किया गया है। विभाग द्वारा उनके स्तर पर रिक्त पदों को भरने हेतु किये गये प्रयासों के संबंध में पूछे जाने पर, विभाग ने बताया कि, स.आं.ले.प.अ. के

रिक्त पदों को भरने के लिए संचालक, कोष लेखा एवं पेशन को पत्र भेजा गया है (अक्टूबर 2018)।

अनुसंधान:

शासन आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई को सुदृढ़ करने हेतु समर्पित कर्मचारियों की नियुक्ति करें।

3.3 लेखापरीक्षा परिणाम

लेखापरीक्षा द्वारा 2017–18 में 114 इकाईयों में से पाँच¹ उप पंजीयकों के अभिलेखों की नमूना जांच की गई। लेखापरीक्षा द्वारा पाँच इकाईयों में 87,509 प्रकरणों में से 8,710 प्रकरणों की नमूना जांच की गई जो चयनित इकाईयों के कुल प्रकरणों का 9.95 प्रतिशत था। वर्ष 2016–17 में विभाग द्वारा ₹ 1,211.35 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया गया जिसमें से लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा ₹ 446.61 करोड़ प्राप्त किये गये। लेखापरीक्षा द्वारा 147 प्रकरणों में ₹ 4.37 करोड़ की अनियमिततायें पाई गयी जो तालिका 3.1 में वर्णित है।

तालिका 3.1: लेखापरीक्षा परिणाम

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस में अनियमित छूट	1	0.99
2.	न्यून मूल्यांकन, दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण तथा मुद्रांक शुल्क का कम निर्धारण से राजस्व की हानि	146	3.38
	योग	147	4.37

विभाग द्वारा पाँच प्रकरण जिसमें राशि ₹ 1.06 करोड़ सन्निहित है को स्वीकार किया गया। परंतु कोई वसूली नहीं की गई। शेष प्रकरणों में, लेखापरीक्षा द्वारा विभाग से अनुशीलन किया जा रहा है।

वर्ष 2017–18 में दो प्रारूप कंडिकाओं में सम्मिलित 16 प्रकरणों जिसमें राशि ₹ 2.23 करोड़ सन्निहित है जारी करने के उपरांत विभाग द्वारा न्यून मूल्यांकन/अनियमित छूट के चार प्रकरणों जिसमें राशि ₹ 1.05 करोड़ सन्निहित थी, को स्वीकार किया तथा तीन प्रकरणों में ₹ 0.06 करोड़ की वसूली की गयी।

3.4 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुसरण

अवधि 2012–16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में, लेखापरीक्षा द्वारा 10 कंडिकाओं के माध्यम से राशि ₹ 83.59 करोड़ की विभिन्न आक्षेप इंगित किये गये, जिसमें से विभाग द्वारा राशि ₹ 67.64 करोड़ को स्वीकारते हुए ₹ 0.27 करोड़ की वसूली की गयी।

लोक लेखा समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों 2003–04 से 2006–07, 2008–09, 2010–11 एवं 2012–13 की 19 कंडिकाओं का चयन किया गया एवं छ: कंडिकाओं पर अनुशंसा (वर्ष 2003–04 से 2005–06 एवं 2008–09) प्रदान की गयी। सभी छ: कंडिकाओं पर कार्रवाई टीप प्राप्त हो चुकी है।

¹ उ.पं; राजनांदगांव, दुर्ग, महासमुंद, रायपुर एवं जांजगीर

3.5 अस्वीकार्य छूट

छत्तीसगढ़ विशेष प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस राशि ₹ 1.11 करोड़ की अस्वीकार्य छूट

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बीमार/बन्द उद्योगों के पुनः संचालन/पुनः स्थापना हेतु बीमार/बन्द उद्योगों के विक्रय/पुनः विक्रय पर पंजीयन के समय औद्योगिक नीति 2014–19 के अंतर्गत विशेष प्रोत्साहन नीति 2016 में मुद्रांक शुल्क (मु.शु.) एवं पंजीयन फीस (पं.फी.) के भुगतान से पूर्ण छूट अप्रैल 2017 को अधिसूचित की गई। तथापि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा यह छूट को पूर्वव्यापी प्रभाव, 25 मई 2017 से वापिस (22 जून 2017) लिया गया था।

उद्योग विभाग द्वारा जारी छूट प्रमाणपत्र में उल्लेखित नियमों और शर्तों के अनुसार छूट प्रमाणपत्र जारी होने के तीन माह के अंदर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करना आवश्यक है। पुनः छूट प्रमाणपत्र में कहीं भी दिये गये नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर दिया गया लाभ वापिस लिया जायेगा और लाभ लेने के दिनांक से उसकी वसूली 12.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज की दर से भू–राजस्व के बकाया के समान की जायेगी।

उप पंजीयक, जांजगीर के कार्यालय में पंजीकृत कुल 6,568 (पट्टा अनुबंध/विक्रय पत्र) दस्तावेजों में से 1,128 (17 प्रतिशत) की नमूना जांच (फरवरी 2018) में लेखापरीक्षा ने देखा कि, मे. महिन्द्रा पावर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा औद्योगिक क्षेत्र ग्राम मडवा, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर चांपा में उपस्थित 28.34 एकड़ भूमि का विक्रय विलेख निष्पादित (जून 2017) किया गया। योजना के अंतर्गत कंपनी को उपरोक्त विक्रय विलेख के मूल्य ₹ 14.04 करोड़ पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के भुगतान से छूट प्राप्त (8 जून 2017) हुई। मे. महिन्द्रा पावर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा औद्योगिक भूमि 28.34 एकड़ मे. सूर्यचक्र ग्लोबल एनवाइरो पावर लिमिटेड से निलामी में क्रय की गई थी जो मे. इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनांस लिमिटेड के पास बंधक थी।

पुनः दस्तावेजों के नमूना जांच में पाया गया कि उद्योग विभाग द्वारा मे. सूर्यचक्र ग्लोबल एनवाइरो पावर लिमिटेड का बीमार/बन्द उद्योग (पावर प्लांट) क्रय करने हेतु छूट प्रमाणपत्र (अप्रैल 2017) जारी किया गया था और दस्तावेज जून 2017 में पंजीकृत हुआ। लेखापरीक्षा द्वारा मे. महिन्द्रा पावर प्राईवेट लिमिटेड के अभिलेखों का प्रतिसत्यापन जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र (जि.व्या.उ.के.), जांजगीर से करने पर पाया गया की उद्योग द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन का प्रारंभ अक्टूबर 2017 से किया गया था। दस्तावेज का पंजीयन (8 जून 2017) अधिसूचना के वापसी (25 मई 2017 से प्रभावशील) के पश्चात हुआ था, छूट प्रमाणपत्र में उल्लेखित तीन माह में वाणिज्यिक उत्पादन का प्रारंभ करने के नियमों एवं शर्तों का भी उल्लंघन किया गया।

लेकिन शासन के अधिसूचना (22 जून 2017) जो पूर्वव्यापी प्रभाव (25 मई 2017) से बीमार/बन्द उद्योग का विक्रय/पुनः विक्रय के पंजीयन के समय मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के भुगतान से छूट प्रदाय करती थी, को वापस लिए जाने के बावजूद उप पंजीयक मे. महिन्द्रा पावर प्राईवेट लिमिटेड से ब्याज ₹ 12.37 लाख सहित मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की राशि ₹ 1.11 करोड़ वसूली करने हेतु कोई कार्रवाई करने में विफल रहे।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर (सितंबर 2018) शासन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2018) कि ₹ 98.98 लाख की मांग उठाई गयी है। पुनः वसूली संबंधी प्रगति अपेक्षित है (अगस्त 2019)।

अध्याय 4:

वाहनों पर कर

अध्याय–4: वाहनों पर कर

4.1 कर प्रशासन

परिवहन विभाग, अपर मुख्य सचिव सह परिवहन आयुक्त (प.आ.) के संपूर्ण प्रभार में कार्य करता है, जो की नीतियों, निर्देशों एवं प्रशासन, कर दरों में बदलाव के प्रारम्भिक प्रस्ताव आदि के निष्पादन एवं कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, वह अधीनस्थों द्वारा प्रकरणों के निर्धारण के संबंध में एक अपीलीय प्राधिकारी के रूप में भी कार्य करते हैं और उनकी सहायता हेतु एक अपर परिवहन आयुक्त, एक संयुक्त परिवहन आयुक्त, एक सहायक परिवहन आयुक्त एवं एक उपसंचालक, वित्त (उ.सं.वि.) मुख्यालय में होते हैं। परिवहन आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण में पाँच क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (क्षे.प.अ.), एक अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (अ.क्षे.प.अ.) एवं 19 जिला परिवहन अधिकारी (जि.प.अ.) होते हैं। क्षे.प.अ. परमिट, लायसेंस का जारी करना, वाहनों का पंजीयन एवं मोटर यान कर का निर्धारण एवं संग्रहण करने हेतु उत्तरदायी हैं और अ.क्षे.प.अ./जि.प.अ. परमिट जारी करने को छोड़कर शेष कार्य क्षे.प.अ. के समान हैं। अ.क्षे.प.अ./जि.प.अ. के अधीन पंजीकृत वाहनों का परमिट संबंधित क्षे.प.अ. द्वारा जारी किया जाता है। राज्य में सात¹ उड़नदस्ता हैं, जो संबंधित क्षे.प.अ./जि.प.अ. के अधीन कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त संपूर्ण राज्य हेतु एक केन्द्रीय उड़नदस्ता है।

वाहन कर की प्राप्तियाँ निम्न प्रावधानों के अंतर्गत प्रशासित होती हैं:

- मोटर यान (मो.या.) अधिनियम, 1988;
- केन्द्रीय मोटर यान (के.मो.या.) नियम, 1989;
- छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (छ.ग.मो.या.क.) अधिनियम, 1991;
- छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान नियम, 1992;
- छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994; एवं
- समय—समय पर इन अधिनियमों एवं नियमों के अंतर्गत जारी किये गये कार्यपालिक आदेश।

4.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

परिवहन विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई (आं.ले.इ.) में एक आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकारी (आं.ले.प.अ.), तीन कनिष्ठ लेखा अधिकारी (क.ले.अ.), दो वरिष्ठ लेखापरीक्षक एवं तीन कनिष्ठ लेखापरीक्षक के स्वीकृत पद के विरुद्ध एक आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकारी और दो वरिष्ठ लेखापरीक्षक पदस्थ थे। इस प्रकार वर्ष 2017–18 के दौरान मानव—शक्ति में कनिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी और कनिष्ठ लेखापरीक्षक के संवर्ग में कमी थी।

वर्ष 2017–18 के दौरान, आं.ले.इ. ने कुल योजित 22 इकाईयों में से मात्र सात इकाईयों का ही लेखापरीक्षा कार्य संपन्न किया। लेखापरीक्षा ने आं.ले.इ. के सात इकाईयों के निरीक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा की और पाया कि आं.ले.इ. ने लगभग सभी इकाई में यात्री यान और माल यान कर की अवसूली को इंगित किया था। यद्यपि समान आपत्ति लेखापरीक्षा द्वारा अभी भी देखा जा रहा है।

विभाग ने बताया कि (नवंबर 2018) लेखापरीक्षा की गई इकाईयों को आं.ले.इ. के टिप्पणियों के अनुपालन हेतु निर्देश जारी कर दिये गये थे। विभाग ने आगे बताया कि आं.ले.इ. में पदस्थ तीन कर्मचारी विभाग के अन्य कार्य भी कर रहे थे, जो कि संपूर्ण इकाईयों के

¹ अम्बिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, कोरबा, रायगढ़ एवं रायपुर

लेखापरीक्षा नहीं किए जाने का कारण हो सकता है। आगे, कनिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी का एक पद भर (मार्च 2019) लिया गया है।

अनुशंसा:

शासन रिक्त पद को भर कर एवं समर्पित कर्मचारियों की पदस्थापना कर आं.ले.इ. को सुदृढ़ करें।

4.3 लेखापरीक्षा परिणाम

परिवहन विभाग के 23 इकाईयों ने वर्ष 2016–17 में कुल ₹ 985.27 करोड़ अर्जित किए। लेखापरीक्षा द्वारा सात इकाईयों की कुल 11 प्रतिशत प्रकरणों की (कुल 3,19,638 में से 33,992) नमूना जांच की गयी जो कुल राजस्व का 67.42 प्रतिशत है। लेखापरीक्षा द्वारा 60 प्रतिशत प्रकरणों (कुल 33,992 में से 20,508) में ₹ 60.14 करोड़ के विभिन्न अनियमिततायें देखी गयी जिसका विवरण तालिका 4.1 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.1: लेखापरीक्षा परिणाम

(₹ करोड़ में)			
स. क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	वाहनों से कर/शास्ति की अप्राप्ति	12,892	55.03
2.	कर की कम प्राप्ति	229	2.09
3.	अन्य अनियमिततायें ²	7,387	3.02
योग		20,508	60.14

विभाग द्वारा कर की कम प्राप्ति, कर एवं शास्ति की अप्राप्ति एवं अन्य अनियमितताओं से संबंधित 16,574 प्रकरणों (81 प्रतिशत) में सन्निहित राशि ₹ 51.64 करोड़ को स्वीकारते हुए 288 प्रकरणों में राशि ₹ 91.94 लाख वसूली की गयी। शेष प्रकरणों में लेखापरीक्षा द्वारा विभाग से अनुशीलन किया जा रहा है।

2017–18 के दौरान 1,274 प्रकरणों में सन्निहित राशि ₹ 5.05 करोड़ के एक प्रारूप कंडिका को जारी करने के पश्चात विभाग ने कर की अप्राप्ति/कम प्राप्ति के 1,259 प्रकरणों में सन्निहित राशि ₹ 4.92 करोड़ को स्वीकार किया और 136 प्रकरणों में सन्निहित राशि ₹ 0.37 करोड़ की वसूली की।

4.4 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुसरण

अवधि 2012–13 से 2016–17 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा द्वारा 10 कंडिकाओं के माध्यम से राशि ₹ 38.45 करोड़ के विभिन्न आपत्तियों को इंगित किया था, जिसमें से विभाग द्वारा ₹ 36.92 करोड़ को स्वीकारते हुए ₹ 2.18 करोड़ की वसूली की गई।

लोक लेखा समिति द्वारा वर्ष 2003–04, 2004–05, 2006–07 से 2011–12 और 2013–14 के नौ लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के चर्चा हेतु 15 कंडिकाओं का चयन किया गया एवं समिति द्वारा वर्ष 2003–04, 2004–05, 2006–07 से 2008–09 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के छ:

² अन्य अनियमितताओं में सम्मिलित है निर्धारित आयु से अधिक आयु के वाहनों का परिचालन, बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के वाहनों का परिचालन एवं परिवहन वाहनों के परमिटों का नवीनीकरण नहीं होना इत्यादि।

कंडिकाओं पर अपनी अनुशंसा प्रदान की गयी। हालांकि वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 के तीन कंडिकाओं पर कार्रवाई टीप प्राप्त नहीं हुई है।

4.5 वाहन स्वामियों से मोटर यान कर की अप्राप्ति

क्षे.प.अ./अ.क्षे.प.अ./जि.प.अ. द्वारा कार्यवाही न किये जाने के कारण 1,138 वाहन स्वामियों से कर की राशि ₹ 2.60 करोड़ एवं शास्ति की राशि ₹ 2.84 करोड़ की अप्राप्ति।

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 प्रावधानित करता है कि राज्य में रखे या उपयोग हेतु रखे गये प्रत्येक माल एवं यात्री वाहनों पर कर, यात्री यानों पर ₹ 1,200 से ₹ 36,000 प्रतिमाह की दर से एवं माल यानों पर उनके सकल वाहन भार 2,000 किलोग्राम (कि.ग्रा.) तक ₹ 300 प्रति तिमाही एवं अतिरिक्त ₹ 100 प्रत्येक 500 कि.ग्रा. या उसके भाग के लिये आरोपित किया जायेगा। भुगतान न करने की दशा में माल एवं यात्री वाहन स्वामियों द्वारा शास्ति³ देय होगी परन्तु असंदर्भ कर से अधिक नहीं। अगर वाहन स्वामी कर, शास्ति या दोनों भुगतान करने में असफल रहता है तो कराधान प्राधिकारी मांग जारी करेगा एवं बकाया वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूलने हेतु कार्रवाई करेगा। अगर वाहन स्वामी किसी अवधि के लिए वाहन 'ऑफ-रोड' रखना चाहता है तो वह संबंधित कराधान प्राधिकारी को अवधि की शुरुआत से पहले वाहन के अनुपयोग हेतु सूचित करेगा।

पाँच परिवहन कार्यालयों⁴ में 10,012 पंजीकृत वाहनों से संबंधित मांग एवं संग्रहण पंजी एवं वाहन 2.0 डेटाबेस की नमूना जाँच अवधि 2013–14 से 2017–18 के लिये किये जाने पर लेखा परीक्षा ने पाया कि कर अवधि अप्रैल 2013 से अक्टूबर 2017 के लिये संबंधित 1,274 वाहनों⁵ (12.72 प्रतिशत) से राशि ₹ 2.90 करोड़, वाहन स्वामियों द्वारा भुगतान नहीं किया गया है। अभिलेखों में कोई साक्ष्य नहीं था जो यह प्रमाणित कर सके की वाहन ऑफ-रोड थे। क्षे.प.अ./अ.क्षे.प.अ./जि.प.अ. द्वारा वाहन साफ्टवेयर में रिपोर्ट उत्पन्न करने कि सुविधा उपलब्ध होने के बाद भी, बकाया कर पर कार्यवाही हेतु कोई कदम नहीं उठाये गये। यदि कोई असंदर्भ मोटर यान कर एवं शास्ति हो तो, वाहन साफ्टवेयर में बकायदारों की सूची उत्पन्न किये जाने का प्रावधान है। साफ्टवेयर की सुविधा उपलब्ध होने के बाद भी, क्षे.प.अ./अ.क्षे.प.अ./जि.प.अ. द्वारा 1,274 वाहन स्वामियों से कर एवं शास्ति की वसूली के लिये कोई कार्रवाई नहीं की गयी। अतः क्षे.प.अ./अ.क्षे.प.अ./जि.प.अ. द्वारा उपयुक्त कार्यवाही करने में असफल रहने के कारण ₹ 2.90 करोड़ के कर एवं ₹ 2.91 करोड़ की शास्ति की वसूली नहीं हो सकी।

इंगित किये जाने पर (मार्च 2019) विभाग ने उत्तर (अप्रैल 2019) में कहा कि 136 वाहन स्वामियों से राशि ₹ 37.00 लाख (कर: ₹ 29.41 लाख एवं शास्ति: ₹ 7.59 लाख) वसूल कर ली गयी है। विभाग ने आगे बताया की शेष बकाया राशि की वसूली हेतु संबंधित परिवहन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं। इस प्रकार 1,138 वाहन स्वामियों से राशि ₹ 5.44 करोड़ (कर ₹ 2.60 करोड़ एवं शास्ति ₹ 2.84 करोड़) अभी तक बकाया है।

वर्ष 2012–13 से 2016–17 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समान आक्षेप इंगित किये गये थे परन्तु विभाग द्वारा ऐसी अनियमितताओं की रोकथाम हेतु कोई प्रभावकारी कार्यवाही नहीं की गयी।

³ प्रतिमाह एवं उसके भाग के चुक के लिए असंदर्भ कर का एक बटा बारहवां भाग

⁴ अ.क्षे.प.अ., दुर्ग; अ.क्षे.प.अ., राजनांदगांव; जि.प.अ., बैकुण्ठपुर (कोरिया); जि.प.अ., महासमुंद एवं क्षे.प.अ., रायपुर

⁵ 1,062 (मालयान) + 212 (यात्रीयान) = 1,274 वाहन

लेखा परीक्षा ने अनुशंसा की थी (लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 2016–17) कि विभाग एक ऐसा तंत्र विकसित करे, जिससे वाहन कर एवं शास्ति की पूर्ण वसूली हो सके। हालांकि, अवसूली अभी भी बनी हुई है।

अध्याय 5:


करेतर प्राप्तियाँ

अध्याय—5: करेतर प्राप्तियाँ

अनुभाग क: वानिकी तथा वन्य प्राणी (प्राप्तियाँ)

5.1 कर प्रशासन

वन विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव (अ.मु.स.) के समग्र नियंत्रण में कार्य करता है जो शासन के स्तर पर विभाग के मुख्य नियंत्रण अधिकारी है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्र.मु.व.स.) विभाग के प्रमुख होते हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक की देखरेख में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य करते हैं। प्र.मु.व.स. को वृत्त स्तर पर मुख्य वन संरक्षक द्वारा सहायता प्रदान किया जाता है और उन्हें वनमंडलाधिकारी द्वारा वनमंडल स्तर पर सहयोग प्रदान की जाती है। वन विभाग के संगठनात्मक संरचना को नीचे दिए गए ओरगेनोग्राम में दर्शाया गया है:



5.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई की स्थापना (2010) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्र.मु.व.स.) के कार्यालय में की गई जो अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट) के अधीन कार्य कर रही है। प्र.मु.व.स. के आदेशों के अनुसार, वित्त/बजट एवं अन्य इकाई के कर्मचारीगण अपने अधीनस्थ कार्यालयों का आंतरिक लेखापरीक्षा दौरा कार्यक्रम के अनुसार करते हैं। वर्ष 2013–14 से 2017–18 की अवधि में योजित एवं सम्पन्न आंतरिक लेखापरीक्षा का विवरण तालिका 5.1 में दिया गया है:

तालिका 5.1: योजित एवं सम्पन्न आंतरिक लेखापरीक्षा का विवरण

वर्ष	योजित लेखापरीक्षा	सम्पन्न लेखापरीक्षा	प्रतिशत में कमी	जारी नि.प्र.	जारी नि.प्र. का अनुपालन
2013–14	09	09	0	09	02
2014–15	17	17	0	17	08
2015–16	34	27	21	27	06
2016–17	18	14	22	14	03
2017–18	12	10	17	प्रक्रियाधीन	—

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2015–18 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा में 17 से 22 प्रतिशत की कमी थी। आगे यह भी देखा गया कि उच्चतर प्राधिकारी को 53 से 79 प्रतिशत निरीक्षण प्रतिवेदनों का अनुपालन प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके

अलावा, विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई द्वारा जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की जाँच से पता चलता है कि इसमें मुख्य रूप से स्थापना और अनियमित व्यय से संबंधित मुद्दों को इंगित किया गया है।

विभाग ने उत्तर में कहा (जुन 2019) की विधानसभा सत्र, महत्वपूर्ण अधिकारिक कार्य एवं कर्मचारियों के चुनाव प्रशिक्षण के कारण वनमंडलों की आंतरिक लेखापरीक्षा योजना के अनुसार आयोजित नहीं की जा सकी। निरीक्षण प्रतिवेदनों को जारी करने के लिए पत्राचार किया जा रहा है।

तथ्य यह है कि वनमंडलों का आंतरिक लेखापरीक्षा योजना के अनुसार पूरा नहीं किया जा सका और लेखापरीक्षा अप्रभावी रहा क्योंकि निरीक्षण प्रतिवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

5.3 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 2017–18 में, वानिकी तथा वन्य प्राणी विभाग से संबंधित 67 इकाइयों में से 19¹ के अभिलेखों की जाँच लेखापरीक्षा में की गई। वर्ष 2016–17 के दौरान विभाग द्वारा अर्जित राजस्व ₹ 405.15 करोड़ था, जिसमें से लेखापरीक्षित इकाइयों ने ₹ 256.12 करोड़ प्राप्त किए। वर्ष 2017–18 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा 63.22 प्रतिशत लेन–देन संव्यवहारों की लेखापरीक्षा की गई। लेखापरीक्षा ने 47 प्रकरणों में ₹ 16.17 करोड़ की अनियमिततायें पायी जो निम्न श्रेणियों के अंतर्गत आती है जैसा कि तालिका 5.2 में दिया गया है।

तालिका 5.2 : लेखापरीक्षा परिणाम

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	वन उपज की बिक्री अवरोध मुल्य से कम पर किये जाने के कारण राजस्व की कम प्राप्ति।	14	6.64
2.	वनोपज के क्षय/कमी होने के कारण राजस्व की अप्राप्ति।	15	2.04
3.	अन्य अनियमिततायें	18	7.49
योग		47	16.17

2017–18 की अवधि में, विभाग ने किसी भी प्रकरणों को स्वीकार नहीं किया और कोई वसूली नहीं की गई। लेखापरीक्षा द्वारा विभाग से अनुशीलन किया जा रहा है।

5.4 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुसरण

वर्ष 2012–13 से 2016–17 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा द्वारा 29 कंडिकाओं में ₹ 299.02 करोड़ के विभिन्न आक्षेप इंगित किए गये जिसमें से विभाग द्वारा राशि ₹ 84.62 करोड़ की टिप्पणियों को स्वीकार किया गया। हालाँकि, कोई वसूली नहीं हुई है।

लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (2002–07 और 2009–14) के 26 कंडिकाओं का चयन किया गया और पाँच कंडिकाओं पर अनुशंसा (2002–07 और

¹ वनमंडलाधिकारी मरवाही, मनेन्द्रगढ़, कोणडागाँव, बैकुंठपुर, रायपुर, कोरबा, धरमजयगढ़, महासमुंद, दुर्ग, गरियाबंद, राजनांदगाँव, कांकेर, दंतवाडा, रायगढ़, जगदलपुर, धमतरी, बिलासपुर, अम्बिकापुर और बलौदाबाजार

2010–11) प्रदान की गयी। जबकि, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों 2004–05, 2005–06 और 2010–11 की केवल तीन कंडिकाओं पर कार्रवाई टीप प्राप्त हुई।

5.5 पारगमन शुल्क की कम वसूली

वन विभाग और खनिज साधन विभाग के बीच निकाले गए एवं परिवहन किए गए खनिज मात्रा के आँकड़ों का मिलान हेतु किसी भी निर्धारित प्रणाली की अनुपस्थिति के कारण, पारगमन शुल्क की कम वसूली राशि ₹ 42.88 लाख।

भारतीय वन अधिनियम, 1927 में प्रावधान है कि खानों से प्राप्त वे सभी सामग्रियाँ चाहे वह वन भूमि से निकाली जाती हैं या वन क्षेत्र के माध्यम से परिवहन किया जाता है, इसे वन उत्पाद कहा जाएगा। छत्तीसगढ़ पारगमन (वन उपज) नियम, 2001 के अनुसार वन भूमि से किसी भी प्रकार के वन उपज के परिवहन के लिए एक पारगमन पास अनिवार्य है जो निर्धारित पारगमन शुल्क² के भुगतान के बाद वन विभाग द्वारा जारी किया जाता है। पारगमन शुल्क लीज धारक द्वारा निकाली और परिवहन की जा रही वन उपज की मात्रा पर लगाया जाता है।

तीन वनमंडलों³ के पारगमन पास से संबंधित दस्तावेजों की जाँच के दौरान यह देखा गया कि वन भूमि को खनन के लिए विभिन्न एजेंसियों⁴ को हस्तांतरित किया गया। इन वनमंडलों द्वारा संधारित वन क्षेत्र से वन उपज की मात्रा के परिवहन से संबंधित अभिलेखों का प्रति-सत्यापन खनिज साधन विभाग के साथ किए जाने पर पाया गया कि:

- वर्ष 2013–14 और 2017–18 के बीच की अवधि के दौरान धरमजयगढ़ और मनेन्द्रगढ़ वनमंडलों में, विभाग द्वारा वन भूमि से निकाले गए 3.12 लाख मैट्रिक टन कोयले के परिवहन के लिए पारगमन शुल्क के रूप में ₹ 22.53⁵ लाख आरोपण एवं संग्रहण किया गया। हालांकि, खनिज साधन विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, वन भूमि से 7.23 लाख मैट्रिक टन कोयला निकाला गया और परिवहन किया गया, जिस पर ₹ 56.99 लाख का पारगमन शुल्क आरोपित किया जाना था। हालांकि, विभाग ने ₹ 22.53 लाख आरोपित किया, परिणामस्वरूप ₹ 34.46 लाख का अवरोपण हुआ।
- आगे, कोरबा वनमंडल में लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि उपयोगकर्ता एजेन्सी (एस.ई.सी.एल.) द्वारा 1.08 लाख मैट्रिक टन कोयला सात माह तक वर्ष 2013–14 एवं 2017–18 के दौरान पट्टा क्षेत्र से परिवहन किया गया जिसपर पारगमन शुल्क ₹ 8.42 लाख जमा नहीं किया गया।

इस प्रकार, निकाले गए और परिवहन किए गए खनिज की मात्रा का वन विभाग और खनिज साधन विभाग के बीच आँकड़ों के मिलान के लिए निर्धारित प्रणाली के अभाव में राशि ₹ 42.88 लाख का कम राजस्व प्राप्त हुआ।

विभाग ने उत्तर दिया कि कोरबा के मामले में, पारगमन शुल्क की शेष राशि जमा करने के लिए उपयोगकर्ता ऐजेन्सी को पत्र जारी किया गया है और मनेन्द्रगढ़ के मामले में, वन क्षेत्र से परिवहन किए गए खनिज की मात्रा का मिलान किया जायेगा और यदि कोई विसंगति पाई जाती है, तो राशि वसूल की जायेगी। इसके अलावा, वनमण्डल के

² जून 2002 से राशि ₹ सात प्रति टन की दर से और 30 जून 2015 से संशोधित दर राशि ₹ 15 प्रति टन।

³ वनमण्डलाधिकारी, धरमजयगढ़, कोरबा और मनेन्द्रगढ़।

⁴ एस.ई.सी.एल. हसदेव क्षेत्र, एस.ई.सी.एल. रायगढ़, एस.ई.सी.एल. कोरबा।

⁵ जून 2015 तक ₹ सात प्रति टन पारगमन शुल्क और उसके बाद ₹ 15 प्रति टन।

अधिकार क्षेत्र के अन्दर खनन क्षेत्रों के निकास बिंदुओं पर चेक पोस्ट स्थापित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

तथ्य यह है कि खनन और वन विभाग के बीच आँकड़ों के मिलान के लिए कोई निर्धारित प्रणाली के अभाव में पारगमन शुल्क की कम वसूली हुई।

अनुसंशा:

वन विभाग का खनन विभाग के साथ सामंजस्य कर वन क्षेत्र से निकाले एवं परिवहन किए गए मात्रा के मिलान हेतु एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए।

5.6 वन उत्पाद और निरीक्षण शुल्क के मूल्य की अवसूली/अनारोपण

वनमण्डलाधिकारियों वन उपज का मूल्य वसूल करने में विफल रहे और अन्य विभाग/संगठन को आपूर्ति की गई वन उपज पर भी निरीक्षण शुल्क आरोपित नहीं किया जिसके कारण राशि ₹ 34.34 लाख की अवसूली/अनारोपण हुई।

छत्तीसगढ़ शासन के आदेशानुसार (जुलाई 2002) प्रत्येक जिले में सार्वजनिक कार्यों में अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों (वी.आई.पी.) के सुरक्षा उद्देश्यों के लिए बैरिकेड्स में इस्तेमाल किए जाने वाले बाँस, बल्ली आदि की लागत का भुगतान राज्य लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.) द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा, वन वित्तीय नियमों के अनुसार, वन विभाग अन्य विभागों या गैर सरकारी संस्थाओं (एन.जी.ओ.) को किए गए आपूर्ति की लागत के 10 प्रतिशत की दर से निरीक्षण शुल्क वसूल करेगा। साथ ही, अन्य विभागों से प्राप्त भुगतानों को विभागीय राजस्व के रूप में देखा जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि दो⁶ वनमण्डलों में, वनमण्डलाधिकारियों ने वर्ष 2013–18 के दौरान वी.आई.पी कार्यक्रमों/अन्य कार्यों के लिए विभिन्न विभागों को राशि ₹ 53.42 लाख मूल्य का 66,965 बाँस, 11,019 बल्ली, 6,523 बाड़ा लगाने वाली बल्ली एवं 540 जलाऊ चट्टे प्रदाय किये। इसमें से 31,592 बाँस, 1,102 बल्ली, 1,029 बाड़ा लगाने वाले बल्ली एवं 540 जलाऊ चट्टे न तो वापस किए गये और न ही इन सामग्रियों का मूल्य राशि ₹ 29.00 लाख विभिन्न विभागों से वसूल किया गया।

इसके अतिरिक्त, अन्य विभागों को प्रदाय किये गये वन उपज पर आरोपणीय 10 प्रतिशत निरीक्षण शुल्क ₹ 5.34 लाख भी आरोपित नहीं किया गया।

परिणामस्वरूप, वन उपज का मूल्य राशि ₹ 29.00 लाख की अवसूली और राशि ₹ 5.34 लाख का निरीक्षण शुल्क का अनारोपण हुआ।

विभाग का उत्तर अपेक्षित (अगस्त 2019) है।

अनुभाग ख: खनिज प्राप्तियाँ

5.7 कर प्रशासन

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची की प्रविष्टि 54 (सूची 1) एवं राज्य सूची की प्रविष्टि 23 (सूची 2) के अनुसार खनिज संसाधनों का प्रबंधन केन्द्र सरकार एवं राज्य शासन दोनों का उत्तरदायित्व है। भारत सरकार (भा.स.) ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (एम.एम.डी.आर.), जनवरी 2015 में संशोधित, अधिनियमित किया जो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के अतिरिक्त खान एवं खनिजों के विनियमन हेतु कानूनी प्रावधान प्रावधानित करता है। एम.एम.डी.आर. अधिनियम के द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा समय–समय पर

⁶ गरियाबंद और कोरबा।

अनेक नियम बनाए गए हैं। केन्द्र शासन ने खनिज रियायत नियम (एम.सी.आर.), 1960 बनाया है। एम.एम.डी.आर., अधिनियम के अंतर्गत गौण खनिज के संबंध में खनि पट्टों के विनियमन एवं खनि पट्टे प्रदान करने की शक्ति राज्य शासन को है। तदनुसार, राज्य शासन द्वारा 'छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम', 2015 बनाया गया है।

पूर्वक्षण एवं खनन संक्रियाएं केवल नियमों के अंतर्गत प्रदत्त अनुज्ञाप्ति या खनि पट्टे के द्वारा ही किया जा सकता है। खनि प्राप्तियों में मुख्यतः पट्टे/अनुज्ञाप्ति/पूर्वक्षण अनुज्ञाप्ति के लिए आवेदन फीस, रॉयल्टी, उपकर, अनिवार्य भाटक⁷, सतह कर, जुर्माने एवं दंड, देय राशि के विलंबित भुगतान पर ब्याज आदि शामिल है। खनि पट्टेदारों द्वारा पट्टा क्षेत्र से खनिज के प्रेषण के पूर्व रॉयल्टी देय है।

सचिव, खनिज साधन विभाग, शासन स्तर पर विभाग प्रमुख है तथा संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म (स.भौ.ख) विभागीय स्तर पर विभाग प्रमुख है जो प्रशासन एवं खनि अधिनियम एवं नियमों को लागू करने हेतु जिम्मेदार है। संचालनालय के अंतर्गत तीन क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर, जगदलपुर एवं रायपुर में स्थित हैं जो संयुक्त संचालक (क्षेत्रीय प्रमुख) के अधीन हैं एवं जो राज्य में स्थित खनिजों के पूर्वक्षण, सर्वे एवं नमूनीकरण हेतु जिम्मेदार हैं।

प्रत्येक जिले में जिला खनि कार्यालय स्थित हैं जो संबंधित जिला कलेक्टर के अधीन हैं। राज्य में 27 उप संचालक खनि प्रशासन (उ.सं.ख.प्र.)/जिला खनि अधिकारी (जि. ख.अ.)/सहायक खनि अधिकारी (स.ख.अ.) हैं जो जिला कलेक्टर की सहायता करते हैं। जिले में पदस्थ 49 खनि निरीक्षक उनके नियंत्रण के अंतर्गत राजस्व के आकलन एवं संग्रहण, खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन तथा अन्य गतिविधियाँ जिससे राजस्व की चोरी हो सकती है, को रोकने के लिए जिम्मेदार हैं। इसके अलावा, खनिजों की चोरी एवं रॉयल्टी के अपवंचन रोकने के लिए एक उड़नदस्ता है जो संचालक को प्रतिवेदित करता है।

5.8 आंतरिक लेखापरीक्षा

खनिज साधन विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई (आं.ले.इ.) में संयुक्त संचालक (वित्त) एवं दो लेखापरीक्षक हैं।

वर्ष 2013–18 में संपादित आंतरिक लेखापरीक्षा का विस्तृत विवरण तालिका 5.3 में वर्णित है:

तालिका 5.3: आंतरिक लेखापरीक्षा का विस्तृत विवरण

वर्ष	कार्यालयों की कुल संख्या	आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु स्वीकृत पद ⁸	पदस्थ	लेखापरीक्षा हेतु योजित कार्यालयों की संख्या	लेखापरीक्षित कार्यालयों की संख्या	जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	संनिहित राशि (₹)
2013–14	30	04	02	13	13	13	निरंक
2014–15	30	04	02	07	07	07	निरंक
2015–16	30	04	03	16	16	16	निरंक
2016–17	30	04	03	14	14	14	निरंक
2017–18	30	04	03	19	19	19	निरंक
योग				69	69	69	निरंक

(स्रोत: संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा प्रदाय की गयी जानकारी)

⁷ अनिवार्य भाटक प्रति वर्ष देय न्यूनतम रायल्टी है। जब देय रायल्टी जमा किये गये अनिवार्य भाटक से ज्यादा हो जाता है, तो पट्टेदार अनिवार्य भाटक की राशि के उपर की रकम के लिए रायल्टी देगा।

⁸ उप संचालक (वित्त एवं प्रशासन) सहित।

विभाग ने कहा (दिसंबर 2018) कि केवल सुझावात्मक टीप जारी किये गये हैं। यद्यपि आं.ले.इ. शाखा में स्टाफ की कमी थी, विभाग द्वारा वर्ष 2013–18 की अवधि में आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु योजित सभी कार्यालयों की लेखापरीक्षा संपादित की गयी एवं 69 निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये गये।

लेखापरीक्षा का मत है कि विभाग केवल सुझावात्मक टीप जारी करने के बदले जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों पर अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त करे।

5.9 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 2017–18 में लेखापरीक्षा द्वारा खनिज साधन विभाग के 32 इकाईयों में से 11⁹ इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी। वर्ष 2016–17 के दौरान विभाग द्वारा खान एवं खनिज से राशि ₹ 4,141.47 करोड़ का राजस्व संग्रहण किया गया। ग्यारह लेखापरीक्षित इकाईयों ने राशि ₹ 3,319.66 करोड़ का राजस्व संग्रहण किया। वर्ष 2017–18 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा 80.15 प्रतिशत लेन–देन संव्यवहारों की लेखापरीक्षा की गयी। लेखापरीक्षा ने कुल 1,356 प्रकरणों में से 958 प्रकरणों में राशि ₹ 1,070.45 करोड़ की अनियमिततायें पायीं। विभाग ने 121 प्रकरणों में राशि ₹ 46.62 करोड़ स्वीकार किया।

5.10 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुसरण

वर्ष 2012–17 की अवधि के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा ने 15 कंडिकाओं में राशि ₹ 278.62 करोड़ की विभिन्न आपत्तियों को इंगित किया, जिसके विरुद्ध विभाग ने राशि ₹ 51.39 करोड़ की आपत्तियां स्वीकार की तथा राशि ₹ 6.97 करोड़ की वसूली की।

लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) ने आठ लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के 10 कंडिकाओं का चयन किया जिसमें से वर्ष 2002–03, 2004–05, 2005–06, 2006–07, 2009–10 एवं 2015–16 के छः लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की सात कंडिकाओं पर चर्चा की एवं वर्ष 2002–03, 2004–05, 2005–06, 2006–07 एवं 2009–10 के छः कंडिकाओं पर अपनी अनुशंसा दी। यद्यपि, वर्ष 2005–06 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक कंडिका पर कार्रवाई टीप प्राप्त नहीं हुई।

5.11 औसत वार्षिक रॉयल्टी की गलत गणना के फलस्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण

उप संचालक, रायपुर द्वारा उत्पादन अवधि के औसत उत्पादन, जैसा कि खनन योजना में दर्शाया गया है, को लेने के बजाय संपूर्ण लीज अवधि को ध्यान में लिया गया जिसके कारण औसत वार्षिक रॉयल्टी की गणना गलत हुई, परिणामस्वरूप राशि ₹ 0.76 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ।

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 के अनुसार जहाँ पट्टा अवधि 20 वर्ष एवं 30 वर्ष के मध्य है, औसत वार्षिक रॉयल्टी के पाँच गुणे के बराबर बाजार मूल्य पर पाँच प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क देय है। मध्य प्रदेश शासन के निर्देश (मार्च 1993) के अनुसार, जैसा कि छत्तीसगढ़ में लागू है, उत्तर्खनी पट्टों के लिए मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के संबंध में लीजधारक के आवेदन पत्र में उल्लेखित अनुमानित मात्रा अथवा

⁹ जि.ख.अ: बलरामपुर, कांकेर, दन्तेवाड़ा, राजनांदगाँव, कबीरधाम एवं जांजगीर–चांपा,
उ.सं.ख.प्र.: कोरबा, बलौदाबाजार, रायगढ़, बिलासपुर एवं रायपुर

उत्तराखण्डी पट्टा क्षेत्र पर देय अनिवार्य भाटक, जो भी अधिक हो, पर गणना की जानी है।

उप संचालक (खनि प्रशासन), रायपुर के 13 उत्थनि पट्टों की नमूना जांच (फरवरी 2018) में लेखापरीक्षा ने पाया कि 12 प्रकरणों में औसत वार्षिक रॉयल्टी की गणना हेतु उपरोक्त नियमों का पालन किया गया परंतु चूनापत्थर के एक उत्थनि पट्टे के प्रकरण में उक्त नियम से विचलन पाया गया तथा विचलन हेतु कोई कारण उल्लेखित नहीं था।

एक चूनापत्थर उत्थनि पट्टा का अनुबंध 30 वर्ष हेतु मे. बी.आर.के. डेवलपर्स एवं माइनर्स प्राईवेट लिमिटेड के पक्ष में निष्पादित किया गया (अगस्त 2016)। औसत वार्षिक रॉयल्टी (औ.वा.रा.) की गणना खनन योजना में दर्शित 10 वर्ष हेतु औसत संभावित उत्पादन तथा शेष 20 वर्ष के लिए अनिवार्य भाटक के आधार पर किया गया। तदनुसार औसत वार्षिक रॉयल्टी की राशि ₹ 0.88 करोड़¹⁰ पर मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस क्रमशः राशि ₹ 0.23 करोड़ तथा ₹ 0.17 करोड़ आरोपित एवं वसूल की गयी। यदि उप संचालक (खनि प्रशा.) द्वारा पट्टेदार द्वारा जमा मार्झिनिंग प्लान के आधार पर औसत वार्षिक रॉयल्टी की गणना की गयी होती तो औसत वार्षिक रॉयल्टी राशि ₹ 2.64 करोड़¹¹ पर मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस क्रमशः राशि ₹ 0.66 करोड़¹² तथा ₹ 0.50 करोड़¹³ आरोपित होती। इस प्रकार, औसत वार्षिक रॉयल्टी की गणना हेतु 20 वर्ष के लिए अनिवार्य भाटक की राशि लिए जाने से न केवल पट्टेदार को अनुचित लाभ दिया गया बल्कि इसके कारण मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस क्रमशः राशि ₹ 0.43 करोड़ तथा ₹ 0.33 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर (फरवरी 2018) उप संचालक (खनि प्रशा.), रायपुर ने उत्तर दिया कि जिला पंजीयक से सलाह मांगी गयी है।

तथ्य उनके टिप्पणियों के लिए शासन/विभाग के ध्यान में लाया गया (फरवरी 2019)। उत्तर अप्राप्त है (अगस्त 2019)।

5.12 एल्युमिनियम का गलत मूल्य लिए जाने के फलस्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण

जिला खनि अधिकारी, कवर्धा ने औसत वार्षिक रॉयल्टी की गणना हेतु पट्टे के अनुबंध के समय एल्युमिनियम के मूल्य को लेने के बदले आवेदन के समय लागू मूल्य को गणना में लिया जिसके कारण औसत वार्षिक रॉयल्टी की गणना गलत हुई जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 0.99 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ।

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 के अनुसार जहाँ पट्टा अवधि 20 वर्ष एवं 30 वर्ष के मध्य है, औसत वार्षिक रॉयल्टी के पाँच गुणे के बराबर बाजार मूल्य पर पाँच प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क देय है। मध्य प्रदेश शासन के निर्देश (मार्च 1993) के अनुसार, जैसे छत्तीसगढ़ में लागू है, पट्टे के नवीनीकरण के लिए मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का निर्धारण आवेदन पत्र में दर्शित खनिज की उत्पादित की जाने वाली मात्रा पर

¹⁰ रॉयल्टी: 33,01,426 एम.टी. x 80 प्रति एम.टी. (चूनापत्थर हेतु रॉयल्टी की दर) = ₹ 26,41,14,080;

अनिवार्य भाटक: ₹ 7,500 प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष x 7,870 हे. x 20 वर्ष = ₹ 11,80,500

औसत: (₹ 26,41,14,080 + ₹ 11,80,500) / 30 = ₹ 88,43,153

¹¹ ₹ 26,41,14,080 / 10

¹² ₹ 13,20,57,040 (₹ 2,64,11,408 x 5) का 5 प्रतिशत

¹³ ₹ 66.03 लाख का 75 प्रतिशत

औसत वार्षिक रॉयल्टी, विगत तीन वर्षों में उत्पादित मात्रा एवं खनन योजना में दिए गए अनुमानित उत्पादन की मात्रा, जो भी अधिक हो, के आधार पर की जानी है। बॉक्साइट पर रॉयल्टी की दर, पट्टे के अनुबंध के समय लागू विक्रय मूल्य¹⁴ का 0.60 प्रतिशत है।

जिला खनि अधिकारी (जि.ख.अ.) कवर्धा के अभिलेखों की नमूना जांच (अप्रैल 2018) के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि 626.117 हेक्टेयर क्षेत्र में एक बॉक्साइट खनि पट्टा 27 मार्च 1997 से 26 मार्च 2017 तक की अवधि हेतु 20 वर्ष के लिए भारत एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (बाल्को) के पक्ष में स्वीकृत किया गया। पट्टेदार ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 8 क (5) के प्रावधान के अनुसार खनि पट्टे के 30 वर्ष अवधि विस्तार के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें वार्षिक उत्पादन 12.50 मीट्रिक टन का उल्लेख किया। अभिलेखों की जांच में पाया गया कि जि.ख.अ. ने माह अक्टूबर 2016 के लंदन मेटल एक्सचेंज (एल.एम.ई.) के एल्युमीनियम के मूल्य के आधार पर औसत वार्षिक रॉयल्टी¹⁵ की राशि ₹ 19.46 करोड़ की गणना की। तदनुसार, पट्टेदार ने मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस राशि क्रमशः ₹ 5.11 करोड़ एवं ₹ 3.65 करोड़ जमा कर 30 वर्ष के लिए पूरक पट्टा अनुबंध निष्पादित किया (मार्च 2017)। चूंकि पट्टे का अनुबंध मार्च 2017 में निष्पादित किया गया था, जि.ख.अ. को एल्युमीनियम के मार्च 2017 के एल.एम.ई. मूल्य को लेते हुए औसत वार्षिक रॉयल्टी की गणना की जानी थी। अतः विक्रय मूल्य राशि ₹ 28,880.77¹⁶ प्रति मीट्रिक टन पर औसत वार्षिक रॉयल्टी की राशि ₹ 21.66 करोड़¹⁷ पर मुद्रांक शुल्क की राशि ₹ 5.69 करोड़¹⁸ एवं पंजीयन फीस की राशि ₹ 4.06 करोड़¹⁹ आरोपणीय थी। इस प्रकार, जि.ख.अ. द्वारा एल्युमीनियम के गलत मूल्य लिए जाने के फलस्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की राशि ₹ 0.99 करोड़ (मु.शु. ₹ 0.58 करोड़ एवं प.फी. ₹ 0.41 करोड़) का कम आरोपण हुआ।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (अप्रैल 2018), जि.ख.अ. ने उत्तर दिया कि प्रकरण की जांच पश्चात कार्यवाही की जायेगी।

तथ्य उनके टिप्पणियों के लिए शासन/विभाग के ध्यान में लाया गया (फरवरी 2019)। उत्तर अप्राप्त है (अगस्त 2019)।

¹⁴ विक्रय मूल्य = 0.529 (Al_2O_3 में एल्यूमिनियम का अनुपात) x बॉक्साइट में Al_2O_3 का प्रतिशत x लंदन मेटल एक्सचेंज (एल.एम.ई.) में एल्यूमिनियम का मूल्य (डॉलर में) x भारतीय रूपयों में डॉलर का विनियम दर

¹⁵ विक्रय मूल्य x खनिज की उत्पादित की जाने वाली मात्रा का औसत x रॉयल्टी की दर

¹⁶ विक्रय मूल्य = 0.529 x 0.4417 में \$ 1901.57 x 65 प्रति \$ = ₹ 28,880.77

¹⁷ औसत वार्षिक रॉयल्टी = ₹ 28,880.77 x 12,50,000 x 0.60 प्रतिशत = ₹ 21,66,05,775

¹⁸ ₹ 21.66 करोड़ x 5 गुणा x 5.25 प्रतिशत (0.25 प्रतिशत सेस के साथ) = ₹ 5.69 करोड़

¹⁹ ₹ 5.42 करोड़ का 75 प्रतिशत = ₹ 4.06 करोड़

अध्याय 6:

वानिकी तथा वन्य प्राणी (व्यय)

अध्याय–6: वानिकी तथा वन्य प्राणी (व्यय)

6.1 लेखापरीक्षा परिणाम

लेखापरीक्षा द्वारा अवधि 2017–18 के दौरान वन विभाग के कुल 67 में से 24¹ कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई। वर्ष 2016–17 के दौरान विभाग द्वारा किया गया व्यय ₹ 1,030.74 करोड़ था। लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा कुल ₹ 623.21 करोड़ व्यय किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा 195 प्रकरणों में राशि ₹ 119.68 करोड़ की अनियमिततायें पायी गई, जिनका श्रेणीवार विवरण तालिका 6.1 में वर्णित है :

तालिका 6.1: लेखापरीक्षा परिणाम

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	अनियमित व्यय	93	76.51
2.	परिहार्य व्यय	10	4.88
3.	अलाभकारी व्यय	19	19.21
4.	अधिक व्यय	23	7.51
5.	अन्य अनियमितताएँ	50	11.57
योग		195	119.68

अवधि 2017–18 के दौरान, विभाग द्वारा दो प्रकरण जिसमें राशि ₹ 0.04 करोड़ सन्निहित है, को स्वीकार किया गया। शेष प्रकरणों में लेखापरीक्षा द्वारा विभाग से अनुशीलन किया जा रहा है।

6.2 क्षतिपूर्ति वनीकरण, कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा) के अंतर्गत वृक्षारोपण के लिए अपात्र स्थानों का चयन

दो वनमंडलाधिकारियों (व.म.अ.) द्वारा प्रस्तावित क्षतिपूर्ति वनीकरण (क्ष. वनि.) हेतु अपात्र स्थानों का चयन किया गया, चयनित क्षेत्र के उपचार पर वृक्षारोपण कार्य किये बिना ही ₹ 3.73 करोड़ का अनियमित व्यय किया गया एवं अ.प्र.मु.व.सं.(राज्य कैम्पा) द्वारा निर्धारित नाम्स से कम पौधों का रोपण कर ₹ 0.79 करोड़ का अधिक व्यय किया गया।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी (2004) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, वन (संरक्षण) नियम, 2003 पर हस्तपुस्तिका की कंडिका 3.2 एवं 3.3 के अनुसार, क्षतिपूर्ति वनीकरण (क्ष.वनी) समान क्षेत्रफल के गैर वनीकृत भूमि में किया जायेगा। यदि गैर वनीकृत भूमि उपलब्ध नहीं होने पर क्ष.वनी. बिगड़े वन भूमि के दुगने क्षेत्रफल पर किया जायेगा। क्ष.वनी. वार्षिक वृक्षारोपण कार्यक्रम का भाग न होकर स्पष्ट रूप से एक अतिरिक्त वृक्षारोपण गतिविधि होनी चाहिए। आगे, कोरबा वनमण्डल की कार्य आयोजना (का.आ.) के अनुसार प्रवरण सह सुधार कार्यवृत्त (एस.सी.आई.) में वृक्षारोपण कार्य नहीं किया जाना चाहिए, केवल सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधी कार्य किये जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त, क्ष.वनी. के अंतर्गत 1,100 पौधे प्रति हेक्टेयर हेतु क्षेत्र तैयारी एवं वृक्षारोपण कार्य के लिए क्रमशः ₹ 52,000 एवं ₹ 38,000 मानदंड निर्धारित है।

¹ व.म.अ., मरवाही, मनेन्द्रगढ़, कोण्डागांव(द.), बैकुण्ठपुर, रायपुर, कोरबा, धरमजयगढ़, महासमुंद, दुर्ग, गरियाबांद, राजनांदगांव, कांकेर, दंतेवाड़ा, रायगढ़, बिलासपुर, जगदलपुर, धमतरी, सरगुजा, बलौदाबाजार, व.सं. वन्य प्राणी रायपुर, प्र.मु.व.सं. वन्यप्राणी, रायपुर, पादप बोर्ड, रायपुर, प्र.मु.व. सं., नया रायपुर एवं सामाजिक वानिकी, बिलासपुर

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी (व.मं.अ.), धरमजयगढ़ एवं कोरबा की नमूना जांच (सितंबर 2017) के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि, क्ष.वनी. के अंतर्गत बिगड़े वन क्षेत्र के 841.929² हेक्टेयर में 9,26,122³ पौधों की तैयारी एवं वृक्षारोपण हेतु ₹ 7.20 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी। वनमण्डलाधिकारियों ने वृक्षारोपण के लिये प्रवरण सह सुधार (एस.सी.आई.)⁴/सुधार कार्य वृत्त (आई.डब्लू.सी.)⁵ के स्थलों का चयन किया एवं तदनुसार मु.व.सं. ने दोनों वनमण्डलों, कोरबा (22,950.901 हे.) एवं धरमजयगढ़ (6,452.336 हे.) में बिगड़े वन की उपलब्धता के बावजूद तकनीकी स्वीकृति प्रदान (जनवरी 2016) की। वनमण्डलाधिकारियों द्वारा बिगड़े वन क्षेत्रों का पुर्नस्थापना/वृक्षारोपण कार्यवृत्तों (आर.डब्लू.सी.⁶/पी.एल.डब्लू.सी.⁷) के स्थान पर प्रवरण सह सुधार (एस.सी.आई.)/सुधार कार्यवृत्तों (आई.डब्लू.सी.) के चयन करने के कारण, वृक्षारोपण कार्य 841.929 हेक्टेयर के स्थान पर 522.253⁸ हेक्टेयर में 4,59,565⁹ पौधों के वृक्षारोपण तक सीमित रहा। शेष 319.676 हेक्टेयर चयनित क्षेत्र में वृक्षारोपण रहित उपचार किया गया। दोनों ही कार्यों पर विभाग द्वारा ₹ 6.16¹⁰ करोड़ का व्यय किया गया। चूंकि राज्य कैम्पा द्वारा 841.929 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु राशि स्वीकृत की गयी थी, 319.676 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण रहित उपचार पर किया गया व्यय ₹ 2.31¹¹ करोड़ अनियमित था। आगे वनमण्डलाधिकारियों द्वारा 522.253 हेक्टेयर क्षेत्र में 5,74,478¹² पौधों के स्थान पर केवल 4,59,565 वृक्षों का रोपण किया गया परिणामस्वरूप कथित क्षेत्र में 1,14,913¹³ कम पौधों का वृक्षारोपण किये जाने के कारण ₹ 0.79¹⁴ करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

इस प्रकार, वनमण्डलाधिकारियों द्वारा वृक्षारोपण के लिये अनार्हक स्थलों का चयन तदनुसार मु.व.सं. द्वारा तकनीकी स्वीकृति दिये जाने से न केवल अनियमित व्यय ₹ 2.31 करोड़ एवं अधिक व्यय ₹ 0.79 करोड़ के साथ व.सं. अधिनियम का उल्लंघन हुआ अपितु क्ष.वनी. के उद्देश्यों का भी हनन् हुआ। यह आश्वर्यजनक है कि सघन वन क्षेत्र में 100 प्रतिशत वृक्षारोपण कार्य किया गया जबकि बिगड़े वन क्षेत्र में एक भी वृक्ष का रोपण नहीं किया गया।

² कोरबा: 615.929 हे., धरमजयगढ़: 226 हे.

³ 841.929 × 1,100

⁴ एस.सी.आई. कार्यवृत्त में ऐसे वन क्षेत्र समाविष्ट होते हैं जिनका घनत्व 0.5 से अधिक होता है एवं पुर्नोत्पादन प्रचुर मात्रा में है। इस वृत्त के गठन का मुख्य उद्देश्य इमारती काष्ठ का व्यावसायिक विदोहन है।

⁵ आई.डब्लू.सी. कार्यवृत्त में, वे वन क्षेत्र समाविष्ट होते हैं जिनका घनत्व 0.5 से अधिक होता है। इस वृत्त के गठन का मुख्य उद्देश्य इमारती काष्ठ का व्यावसायिक विदोहन करने के लिये नहीं अपितु सुधार कार्य कर वृक्षों में पायी गयी कमियों का निराकरण करना है जिससे ये वन भविष्य में उत्पादक वनों में परिवर्तित हो जाये।

⁶ इन कार्यवृत्तों में 0.4 से कम घनत्व वाले वन क्षेत्र समाहित हैं, इस वृत्त के गठन का मुख्य उद्देश्य उपलब्ध जड़ भण्डार से वनों की पुर्नस्थापना करना है।

⁷ पी.एल.डब्लू.सी. में मुख्यतः रिक्त वन क्षेत्र समाविष्ट हैं जहां पुनरुत्पादन उपलब्ध नहीं है। इस वृत्त के गठन का मुख्य उद्देश्य वृक्षों का सिंचित/असिंचित वृक्षारोपण कर वन क्षेत्रों को समृद्ध करना है।

⁸ कोरबा: 368.253 हे. एवं धरमजयगढ़: 154 हे.

⁹ कोरबा: 3,35,653 + धरमजयगढ़: 1,23,912

¹⁰ कोरबा: ₹ 4.19 करोड़ + धरमजयगढ़: ₹ 1.97 करोड़

¹¹ ₹ 1.68 करोड़ + ₹ 0.63 करोड़ (कोरबा: ₹ 4.19 करोड़ / 615.929 हे. × 247.676 हे. एवं धरमजयगढ़: ₹ 1.97 करोड़ / 226 हे. × 72 हे.)

¹² 522.253 × 1,100 = 5,74,478

¹³ 5,74,478 (522.253 × 1,100) – 4,59,565

¹⁴ कोरबा: ₹ 42,94,095 (₹ 250.55 लाख / 4,05,078 पौधों × 69,425 पौधों) + धरमजयगढ़: ₹ 36,02,520 (₹ 134.16 लाख / 1,69,400 पौधों × 45,488 पौधों)

आगे, लेखा परीक्षा ने कार्य आयोजना (का.आ.), कक्ष इतिहास एवं कार्यों के परियोजना प्रतिवेदनों की जांच में पाया कि, 16 कूपों में से जिनमें कोरबा वनमण्डल द्वारा 368.253 हेक्टेयर में वृक्षारोपण कार्य कराया गया था, एस.सी.आई. कार्यवृत्त के तीन कक्ष जिनके नाम पी.1120, पी.1364 और पी.1367 हैं, 115 हेक्टेयर में 1,12,750 वृक्षों के रोपण कराया गया जिन पर ₹ 1.42 करोड़ का व्यय हुआ। लेखा परीक्षा एवं संबंधित परिक्षेत्राधिकारी के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि सभी तीन कक्ष सघन वन क्षेत्रों से आच्छादित थे एवं पुनरुत्पादन पहले से ही प्रचुर मात्रा में था; वृक्षारोपण सघन वन के मध्य खाली क्षेत्रों में रिक्त वृक्षारोपण के रूप में किया गया था।

वनमण्डल द्वारा किया गया उपरोक्त वृक्षारोपण स्पष्टतः वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, वन (संरक्षण) नियम, 2003 पर जारी हस्तापुस्तिका का उल्लंघन था जहां यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि, सघन वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण नहीं किया जाना है और एस.सी.आई. कूप में सघन वन क्षेत्र होते हैं। अतः क्ष.वनी. के अंतर्गत एस.सी.आई. कूप में वृक्षारोपण कार्य पर किया गया व्यय ₹ 1.42 करोड़ अनियमित था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित (सितंबर 2017) किये जाने पर वनमण्डलाधिकारियों ने उत्तर में कहा कि, चिन्हित किये गये कूप एस.सी.आई. एवं आई.डब्लू.सी. कूप हैं जहां पूर्णतः रिक्त क्षेत्र होना संभव नहीं है। क्षेत्र को उपचारित करने के दो तरीके हैं, प्रथम रिक्त क्षेत्रों में वृक्षारोपण एवं द्वितीय जड़भण्डार क्षेत्रों में प्राकृतिक पुनरुत्पादन (अंगीकरण)। आगे, उपरोक्त कूप अतिक्रमण से असुरक्षित थे, क्योंकि ये मानव बस्ती के समीप थे। इन परिस्थितियों को देखते हुये, स्थल की वास्तविक स्थिति के आधार पर वृक्षारोपण प्रस्तावित था। वन को संरक्षित करने के लिये रिक्त/विरल क्षेत्रों में वृक्षारोपण कराया गया।

वनमण्डलाधिकारियों का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बिगड़े वन क्षेत्र उपलब्ध होने के बावजूद, ऐसे पुनरुत्पादन क्षमता वाले एस.सी.आई./आई.डब्लू.सी. कूप में क्ष.वनी. कार्य किया गया जहाँ रिक्त क्षेत्रों में भी का.आ. अनुसार वृक्षारोपण प्रतिबंधित था। आगे, कूपों के कक्ष इतिहास में किसी प्रकार के अतिक्रमण का उल्लेख नहीं था। अतः लेखा परीक्षा का यह मत है कि विभाग इसे निगरानी की दृष्टि से जांच करें ताकि इस प्रकार के अनियमित व्यय की पुनरावृत्ति न होना सुनिश्चित किया जा सके।

प्रकरण को अभिमत के लिये शासन/विभाग के ध्यान में लाया गया (जून एवं सितंबर 2018)। उत्तर अभी तक अप्राप्त है (अगस्त 2019)।

6.3 पूर्व में उपचार किये गये कूपों में सहायक प्राकृतिक पुनरुत्पादन (ए.एन.आर.) कार्य पर अनियमित एवं परिहार्य व्यय

ऐसे क्षेत्र जहां पहले से कार्य किया जा चुका था, में सहायक प्राकृतिक पुनरुत्पादन पर किया गया परिहार्य व्यय ₹ 3.97 करोड़।

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्र.मु.व.सं.), छ.ग. ने सभी मुख्य वन संरक्षकों (मु.व.सं.)/वनमण्डलाधिकारियों (व.म.अ.) को निर्देशित किया (नवंबर 2012) कि, सहायक प्राकृतिक पुनरुत्पादन (ए.एन.आर.¹⁵) कार्य उन्हीं प्रवरण सह सुधार (एस.सी.आई.) और सुधार पातन श्रेणी (आई.एफ.एस.) कूपों में किया जाना है जिनमें पूर्व वर्ष में पातन कार्य किया जा चुका है।

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोणडागांव (दक्षिण) के वर्ष 2016–17 के अभिलेखों की जांच (जून 2017) में पाया गया कि, अपर प्र.मु.व.सं. (राज्य कैम्पा) ने राज्य कैम्पा के अंतर्गत 4,940.130 हेक्टेयर में प्रथम वर्ष के लिये ए.एन.आर. कार्य हेतु ₹ 3.95 करोड़ (जनवरी

¹⁵ ए.एन.आर. वानिकी गतिविधि है जो वृक्ष विदोहन के उपरांत एकलीकरण, भू एवं जल संरक्षण तथा सुरक्षा कार्य के द्वारा स्वस्थ कटाई के पुनरुत्पादन को बढ़ावा देती है।

2017) स्वीकृत किये। स्वीकृति सशर्त थी की कार्य उन्हीं कूपों में कराया जाना है जहां वर्ष 2014–15 में पातन कार्य कराया गया हो एवं कार्य शुरू करने के पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जाना था कि अन्य मदों से समान प्रकार का कार्य स्वीकृत न किया गया हो। तथापि व.म.अ. ने 2017–18 के दौरान कैम्पा मद से ₹ 3.97 करोड़ का व्यय उन 27 कूपों में ए.एन.आर. कार्य सम्पादित करने में किया जहाँ पातन कार्य वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 में कराया गया था। आगे जांच में पाया गया कि कूप पहले से ही वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में विभागीय मद से ₹ 38.36 लाख के व्यय के साथ प्राकृतिक पुनरुत्पादन कार्य से उपचारित थे साथ ही साथ उपरोक्त कूपों में वर्ष 2013–14 और 2014–15 में छठवें वर्ष का सफाई कार्य भी किया जा चुका था। अतः व.म.अ. ने न केवल स्वीकृति आदेश में उल्लेखित शर्तों का उल्लंघन किया बल्कि ₹ 3.97 करोड़ का अनियमित एवं परिहार्य व्यय भी किया। इसे राज्य सरकार द्वारा आगे जांच कराये जाने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर (जून 2017), व.म.अ. ने उत्तर में कहा कि ए.एन.आर. कार्य पातन कूपों में अनुवर्ती वर्षों में कराया गया था, परंतु विभागीय मद के अंतर्गत बजट आबंटन न दिये जाने के कारण कार्य का प्रस्ताव वर्ष 2016–17 में तैयार किया गया था। कूपों में ए.एन.आर. कार्य अन्य मदों से नहीं कराया गया था।

वनमण्डलाधिकारी का उत्तर तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है, क्योंकि वनमण्डल द्वारा वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के दौरान विभागीय मद से पहले ही ए.एन.आर. कराया जा चुका था। आगे 2013–14 एवं 2014–15 में इन कूपों में पहले ही छठवें वर्ष की सफाई का कार्य किया गया था, इसलिए प्रथम एवं द्वितीय वर्षों से संबंधित ए.एन.आर. कार्य कराये जाने की आवश्यकता नहीं थी। राज्य कैम्पा निधि से आबंटन उन कूपों के लिये था, जहां केवल वर्ष 2014–15 में पातन कार्य कराया गया था। यह तथ्य की क्षेत्र पूर्व में ही विभागीय मद के अंतर्गत उपचारित है, ए.एन.आर. के लिये परियोजना तैयार करते समय संज्ञान में नहीं लिया गया था जिसके परिणामस्वरूप उसी कूप में कार्य की पुनरावृत्ति हुई।

प्रकरण को अभिमत के लिये शासन/विभाग को सूचित (अक्टूबर 2018) किया गया। उत्तर अपेक्षित है (अगस्त 2019)।

6.4 वृक्षारोपण पर परिहार्य व्यय

वनमण्डल की कार्य आयोजना के अनुसार वृक्षारोपण प्रतिबंधित होने के बावजूद ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत संरक्षण कार्यवृत्त में वृक्षारोपण पर ₹ 1.36 करोड़ का परिहार्य व्यय।

सरगुजा वनमण्डल की कार्य आयोजना (का.आ.) के अनुसार, संरक्षण कार्य वृत्तों (पी.डब्ल्यू.सी.) का गठन ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों को शामिल करते हुये जिनमें 25 डिग्री से अधिक का ढलान तथा कुल क्षेत्र का 78.93 प्रतिशत सघन वनों से अच्छादित हो किया गया है। आगे, का.आ. निर्धारित करती है कि, वनों के विश्व एवं स्थिति क्षेत्रों में कोई वृक्षारोपण कार्य नहीं किया जाये।

व.म.अ., सरगुजा वनमण्डल की वृक्षारोपण प्रतिवेदनों, परियोजना प्रतिवेदनों, कार्य आयोजना आदि की नमूना जांच (मार्च 2017) के दौरान लेखा परीक्षा ने पाया कि ग्रीन इंडिया मिशन (जी.आई.एम.) के अंतर्गत ₹ 3.90 करोड़ का व्यय कर 14 कक्षों के 755 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य कराया गया। वनमण्डल की का.आ. का अवलोकन किये जाने पर यह पाया गया कि 14 में से छः¹⁶ कक्ष पी.डब्ल्यू.सी. कार्यवृत्त के थे एवं इन छः कक्षों के 290

¹⁶ कक्ष क्रमांक – पी. 2363 (70 हे.), पी. 2351 (50 हे.), पी. 2350 (50 हे.), पी. 2361 (35 हे.), पी. 2357(70 हे.) और पी. 2376 (15 हे.)

हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य किया जाकर ₹ 1.36 करोड़ का व्यय किया गया। कार्य आयोजना के अनुसार पी.डब्ल्यू.सी. कूप जहाँ पहले से ही सघन बन उपलब्ध है, के विरल एवं रिक्त क्षेत्र में भी वृक्षारोपण निषेध है, ऐसे कूपों पर कोई भी वृक्षारोपण कार्य नहीं किया जाना था। अतः व.म.अ. द्वारा वृक्षारोपण कार्य कराए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 1.36 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

लेखापरीक्षा में इंगित (सितंबर 2017) किये जाने पर शासन ने उत्तर (मई 2018) में कहा कि, जी.आई.एम. के तहत वृक्षारोपण जी.आई.एम. के प्रावधानों एवं निर्देशों के अनुसार कराया गया था जो भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। जी.आई.एम. का मुख्य उद्देश्य समीपस्थ स्थानों को हरा बनाये रखना है। 25 डिग्री से कम ढाल वाले मैदानी क्षेत्रों का प्रारंभिक सर्वेक्षण एवं सीमांकन संचालित किया गया एवं वृक्षारोपण के लिये उपयुक्त पाये जाने पर वृक्षारोपण कार्य किया गया।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पी.डब्ल्यू.सी. का गठन जैव विविधता, प्राकृतिक वनस्पति के साथ भू एवं जल संरक्षण को बचाने हेतु है। कक्ष के रिक्त स्थानों में भी वृक्षारोपण प्रतिबंधित था। आगे, चार¹⁷ कक्षों में 30 डिग्री से भी अधिक ढलान थी।

रायपुर
दिनांक 14 जनवरी 2020

(दिनेश रायभानजी पाटील)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
छत्तीसगढ़

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक 20 जनवरी 2020

(राजीव महिर)
भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक

¹⁷ पी.2351, पी.2350, पी.2361, पी.2376

परिशिष्ट

परिशिष्ट 2.1
(संदर्भ कंडिका 2.5.5.1)

डीलर्स जिन्होने एस.जी.एस.टी. संक्रमणकालीन क्रेडिट मू.सं. कर रिटन में दर्शाया आई.टी.आर. से ज्यादा दावा किया जा तालिका में दर्शाया गया है।

संक्र.	इकाई का नाम	करदाता का नाम (मेसर्स)	जी.एस.टी. आई.एन.	तिमाही रिटन में उपलब्ध मू. सं.कर (₹)	मू.सं. कर जिसे आगे ले जाया गया (₹)	अधिक जमा/अनुचित जमा जो आगे ले जाया गया (₹)	टिप्पणी
1	वा.क.अ.—1, रायपुर	एस.वी.एस. फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर	22AAXFS2085A1Z8	0	8,04,310	8,04,310	अंतिम शेष पहली तिमाही 2017–18 में शून्य थी लेकिन आगे लाया गया संक्रमणकालीन क्रेडिट ₹ 8,04,310 था जो गलत है।
2	वा.क.अ.—1, रायपुर	लक्ष्मी मेडिकल ऐजन्सी	22AAFFL9471R1ZM	0	5,95,840	5,95,840	अंतिम शेष पहली तिमाही 2017–18 में शून्य थी लेकिन आगे लाया गया संक्रमणकालीन क्रेडिट ₹ 5,95,840 था जो गलत है।
3	वा.क.अ.—1, रायपुर	ए.टी. बिल्डकॉन प्रा.लि.	22AAECA7431N1ZO	0	9,40,100	9,40,100	अंतिम शेष पहली तिमाही 2017–18 में शून्य थी लेकिन आगे लाया गया संक्रमणकालीन क्रेडिट ₹ 9,40,100 था जो गलत है।
4	वा.क.अ.—1, रायपुर	प्रकाश मेडिकल स्टोर्स	22AAJFP7759A1ZA	0	9,26,750	9,26,750	अंतिम शेष पहली तिमाही 2017–18 में शून्य थी लेकिन आगे लाया गया संक्रमणकालीन क्रेडिट ₹ 9,26,750 था जो गलत है।
5	वा.क.अ.—1, रायपुर	रिशभ बिल्डटेक इंडिया प्रा.लि.	22AADCR8166N1ZY	0	14,40,090	14,40,090	अंतिम शेष पहली तिमाही 2017–18 में शून्य थी लेकिन आगे लाया गया संक्रमणकालीन क्रेडिट ₹ 14,40,090 था जो गलत है।
6	वा.क.अ., मनेन्द्रगढ़	अभिषेक बदेरिया	22AHXPB2785R1ZK	11,556	2,01,440	1,89,884	अंतिम शेष पहली तिमाही 2017–18 में ₹ 11,556 थी लेकिन ट्रान— 1 ₹ 2,01,440 दर्शित है। अतः संक्रमणकालीन क्रेडिट ₹ 1,89,884 अनुचित है।
7	वा.क.अ., मनेन्द्रगढ़	दीपेश कुमार गुप्ता	22ATWPG4236B1ZY	38,817	38,820	38,820	2016–17 का अंतिम शेष (−) ₹ 73,127 था लेकिन 2017–18 की पहली तिमाही में प्रारम्भिक शेष ₹ 1,40,369 थी। अतः गणना में त्रुटी होने के कारण संक्रमणकालीन क्रेडिट अनुचित है।

31 मार्च 2018 समाप्ति वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र)

8	वा.क.अ., मनेन्द्रगढ़	गुप्ता एन्टरप्राइसेस	22AAIHD5860K1Z8	1,51,780	1,51,780	86,640	2016–17 का अंतिम शेष ₹ 30,182 था लेकिन 2017–18 की पहली तिमाही में प्रारम्भिक शेष ₹ 1,16,822 थी। अतः ₹ 86,640 का अधिक/अनुचित क्रेडिट था।
9	वा.क.अ., मनेन्द्रगढ़	आर. राजेन्द्रपाल एवं कम्पनी	22AAKHR7074K1ZQ	1,64,380	1,64,380	18,109	गलत गणना के फलस्वरूप 18,109 ज्यादा संक्रमणकालीन क्रेडिट आगे लाया गया। अतः अधिक/अनुचित है।
10	वा.क.अ., मनेन्द्रगढ़	आनन्द एजेन्सीस	22ACRPJ0914H1ZU	0	2,78,910	2,78,910	अंतिम शेष पहली तिमाही 2017–18 में शून्य थी लेकिन आगे लाया गया संक्रमणकालीन क्रेडिट ₹ 2,78,910 था जो गलत है।
11	वा.क.अ., मनेन्द्रगढ़	आकाश मेडीकोस	22AKXPS5740C1ZY	0	1,52,160	1,52,160	अंतिम शेष पहली तिमाही 2017–18 में शून्य थी लेकिन आगे लाया गया संक्रमणकालीन क्रेडिट ₹ 1,52,160 था जो गलत है।
12	वा.क.अ.–1, कोरबा	मोहन लाल जैन	22ADGPJ2105A1ZM	59,07,639	77,79,860	18,72,221	मू.सं. कर क्रेडिट के अंतिम शेष की गणना तिमाही रिटर्न में गलत था अतः सही नहीं था।
13	वा.क.अ.–1, कोरबा	जी.एम.एम. कं.लि.	22AABCG0949C1Z7	0	4,90,180	4,90,180	मू.सं. कर क्रेडिट के अंतिम शेष की गणना तिमाही रिटर्न में गलत था अतः सही नहीं था।
14	वा.क.अ.–2, दुर्ग	श्री विबग्योर ऑफसेट प्रेस	22ACBFS5774L1ZT	-1,68,28,868	67,85,995	67,85,995	2017–18 की पहली तिमाही में डीलर का मू.सं. कर क्रेडिट शेष (-) ₹ 1,68,28,868 था। हालांकि डीलर द्वारा ट्रान–1 में ₹ 67,85,995 गलत भरा गया था।
15	वा.क.अ.–2, दुर्ग	श्रीराम एन्टरप्राइसेस	22AFHPA6107J1ZX	1,48,375	3,49,360	2,00,985	2017–18 की पहली तिमाही में डीलर का मू.सं. कर क्रेडिट शेष सिर्फ ₹ 1,48,375 था। हालांकि डीलर द्वारा ₹ 3,49,360 आगे ले जाना गलत था।
16	वा.क.अ.–5, रायपुर	हनुमान इन्नोट्स प्रा. लि.	22AACCH4665D1ZY	-2,49,60,166	8,40,532	8,40,532	2017–18 की पहली तिमाही में डीलर का मू.सं. कर क्रेडिट शेष (-) ₹ 24,960,166 था। हालांकि डीलर द्वारा ट्रान–1 में गलती से ₹ 8,40,532 भरा गया था।
17	वा.क.अ.–5, रायपुर	काशी पॉवर कोन	22ACAPC6211H1ZG	0	3,66,736	3,66,736	2017–18 की पहली तिमाही में कोई क्रेडिट शेष नहीं थी अतः जमा आगे ले जाना गलत था।
18	वा.क.अ.–5, रायपुर	जयश्री स्टील	22AWWPA9860C1ZG	2,08,248	6,86,398	4,78,150	2017–18 की पहली तिमाही में डीलर का मू.सं. कर क्रेडिट शेष सिर्फ ₹ 2,08,248 था। हालांकि

							डीलर द्वारा ₹ 6,86,398 आगे ले जाना गलत था।
19	वा.क.अ.—5, रायपुर	जेएसके कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	22AADCJ1960A1Z9	0	2,57,034	2,57,034	2017–18 की पहली तिमाही में कोई क्रेडिट नहीं थी अतः जमा आगे ले जाना गलत था।
20	वा.क.अ.—5, रायपुर	हेटेरो हेल्थकेयर लिमिटेड	22AABCH6890D1ZS	0	4,870	4,870	2017–18 की पहली तिमाही में कोई क्रेडिट नहीं थी अतः जमा आगे ले जाना गलत था।
21	वा.क.अ.—5, रायपुर	सरला ट्रेडिंग कम्पनी	22BXPPP4812C1ZN	0	1,19,676	1,19,676	2017–18 की पहली तिमाही में कोई क्रेडिट नहीं था अतः जमा आगे ले जाना गलत था।
22	वा.क.अ.—5, रायपुर	आर.एस. एन्टरप्राईसेस	22AJHPB2708A1Z7	0	13,722	13,722	2017–18 की पहली तिमाही में कोई क्रेडिट नहीं थी अतः जमा आगे ले जाना गलत था।
23	वा.क.अ.—5, रायपुर	राजश्री राजेन्द्र पटस्कर	22AJGPP8158F1Z4	0	34,419	34,419	2017–18 की पहली तिमाही में कोई क्रेडिट नहीं थी अतः जमा आगे ले जाना गलत था।
24	वा.क.अ.—8, रायपुर	स्वास्तिक पेस्टीसाईड्स लिमिटेड	22AAGCS0057A1Z3	0	10,31,680	10,31,680	2017–18 की पहली तिमाही में कोई क्रेडिट नहीं थी अतः जमा आगे ले जाना गलत था।
25	वा.क.अ.—8, रायपुर	सुमित सिनफैबर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	22AAHCS7997Q1ZA	0	26,62,400	26,62,400	2017–18 की पहली तिमाही में कोई क्रेडिट नहीं थी अतः जमा आगे ले जाना गलत था।
26	वा.क.अ., जगदलपुर	अशोक शर्मा	22AJNPS3638J1ZU	—25,076	2,34,130	4,569	वर्षिक रिटर्न 2016–17 अनुसार ₹ 2,59,208 का आई.टी.आर. अंतिम शेष के रूप में उपलब्ध था। डीलर द्वारा 2017–18 की पहली तिमाही में शून्य आई.टी.आर. आगे लाया गया। आई.टी.आर का सही प्रारंभिक शेष ₹ 2,59,208 एवं कर देयित ₹ 29,647 उस तिमाही का शुद्ध प्रभाव यह था कि डीलर द्वारा ₹ 4,569 का अधिक क्रेडिट ट्रान्सफर किया गया।
27	वा.क.अ., जगदलपुर	बीएमएस प्रोजेक्ट	22AAOFB3108J1ZP	0	57,42,090	57,42,090	2017–18 के पहले तिमाही का अंतिम शेष शून्य था लेकिन ₹ 57,42,090 का संक्रमणकालीन क्रेडिट आगे ले जाया गया जो गलत था।
28	वा.क.अ., जगदलपुर	साहू एन्टरप्राईसेस	22ABIIFS3263J1Z4	—69,398	1,64,300	87,797	वर्षिक रिटर्न 2016–17 अनुसार ₹ 69,398 का आई.टी.आर. अंतिम शेष के रूप में उपलब्ध था। डीलर द्वारा 2017–18 की पहली तिमाही में शून्य आई.टी.आर. आगे लाया गया। आई.टी.आर का सही प्रारंभिक शेष ₹ 69,398 एवं कर देयित ₹ 0 उस तिमाही का शुद्ध प्रभाव यह था कि डीलर

31 मार्च 2018 समाप्ति वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र)

							द्वारा ₹ 87,797 का अधिक क्रेडिट ट्रान्सफर किया गया।
29	वा.क.अ., जगदलपुर	एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड	22AAACE1741P1ZR	30,82,989	5,36,050	5,36,050	मू. सं कर क्रेडिट अंतिम शेष की गणना तिमाही रिपोर्ट में गलत थी अतः सही नहीं था।
योग					2,70,00,719		

(नोट:- अंकों को निकटतम दस में बढ़ाया/घटाया गया है।)

डीलरों का विवरण जिन्होने तिमाही रिटर्न जमा नहीं किए लेकिन एसजीएसटी संक्रमणकालीन क्रेडिट का आगे ले गये जो तालिका में दर्शाया गया है।

सं. क्र.	इकाई का नाम	करदाता का नाम (मेसर्स)	जी.एस.टी. आई.एन.	तिमाही रिटर्न में उपलब्ध मू. स.कर (₹)	मू.सं. कर जिसे आगे ले जाया गया (₹)	गलत क्रेडिट/अनुचित क्रेडिट जो आगे ले जाया गया (₹)	टिप्पणी
1	वा.क.अ., वृत्त-1, रायपुर	शारदा लोजिस्टिक्स	22ADIFS0553K1Z3	--	11,40,060	11,40,060	2016-17 का चौथा तिमाही रिटर्न जमा नहीं किया गया अतः लिया गया संक्रमणकालीन क्रेडिट गलत है।
2	वा.क.अ., वृत्त-1, रायपुर	मंधन मोटर प्रा.लि.	22AACCR7744R2ZS	--	6,53,200	6,53,200	2017-18 का पहला तिमाही रिटर्न जमा नहीं किया गया अतः लिया गया संक्रमणकालीन क्रेडिट गलत है।
3	वा.क.अ., वृत्त-1, रायपुर	अविनाश इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा.लि.	22AABCJ3884H1ZM	--	8,79,722	8,79,722	अंतिम छ: तिमाही रिटर्न्स जमा नहीं किए गये अतः लिया गया संक्रमणकालीन क्रेडिट गलत है।
4	वा.क.अ., वृत्त-1, रायपुर	आनंद सिंघानिया	22AJKPS7492K2ZI	--	38,19,840	38,19,840	अंतिम छ: तिमाही रिटर्न्स जमा नहीं किए गये अतः लिया गया संक्रमणकालीन क्रेडिट गलत है।
5	वा.क.अ., वृत्त-1, रायपुर	श्री इक्युपमेंट फैनान्स लि.	22AAKCS3431L1ZC	--	25,10,220	25,10,220	2017-18 का पहला तिमाही रिटर्न जमा नहीं किया गया अतः लिया गया संक्रमणकालीन क्रेडिट गलत है।
6	वा.क.अ., वृत्त-1, रायपुर	यूनिवर्सल डिस्ट्रिब्यूटर्स	22AAEFU2126M1ZA	--	6,23,680	6,23,680	अंतिम छ: तिमाही रिटर्न्स जमा नहीं किए गये अतः लिया गया संक्रमणकालीन क्रेडिट गलत है।

(नोट:- अंकों को निकटतम दस में बढ़ाया/घटाया गया है।)

7	वा.क.अ., मनेन्द्रगढ़	सुनील प्रसाद	22AKCPP1657N1ZZ	--	10,240	10,240	अंतिम छ: तिमाही रिटर्न्स जमा नहीं किए गये अतः लिया गया संक्रमणकालीन क्रेडिट गलत क्रेडिट था।
8	वा.क.अ., मनेन्द्रगढ़	जितेन्द्र कुमार शाह	22APBPS7104M1ZV	72,200	72,200	72,200	2016–17 का चौथा तिमाही रिटर्न जमा नहीं किया गया अतः लिया गया संक्रमणकालीन क्रेडिट गलत है।
9	वा.क.अ., मनेन्द्रगढ़	बड़ेरिया मेडिकल स्टोर	22ADAPA2460M1ZY	--	2,38,380	2,38,380	अंतिम छ: तिमाही रिटर्न्स जमा नहीं किए गये अतः लिया गया संक्रमणकालीन क्रेडिट गलत है।
10	वा.क.अ., मनेन्द्रगढ़	अग्रवाल एम्पोरियम	22ADNPA2509E1Z8	--	28,170	28,170	2017–18 का पहला तिमाही रिटर्न जमा नहीं किया गया अतः लिया गया संक्रमणकालीन क्रेडिट गलत है।
11	वा.क.अ., मनेन्द्रगढ़	बंशी लाल शाह	22BDMPS4635K1Z6	1,18,997	1,35,184	1,35,184	2016–17 का चौथा तिमाही रिटर्न जमा नहीं किया गया अतः लिया गया संक्रमणकालीन क्रेडिट गलत है।
12	वा.क.अ., वृत्त-1, कोरबा	अग्रवाल मेडिशिन्स	22AMYPA0520H1ZH	5,79,499	5,79,499	5,79,499	करदाता द्वारा 2016–17 का चौथा तिमाही रिटर्न जमा नहीं किया गया। अतः लिया गया संक्रमणकालीन क्रेडिट गलत है।
13	वा.क.अ., वृत्त-8, रायपुर	एस के एम ब्यूल्डकोन	22ABNFS3804J1Z4	--	13,91,780	13,91,780	डीलर द्वारा 2017–18 का पहला तिमाही जमा नहीं किया गया अतः लिया गया संक्रमणकालीन क्रेडिट गलत है।
14	वा.क.अ., वृत्त-8, रायपुर	श्री बालाजी डेवलपर्स	22ABVFS3319J1ZU	--	18,49,960	18,49,960	डीलर द्वारा 2017–18 का पहला तिमाही जमा नहीं किया गया अतः लिया गया संक्रमणकालीन क्रेडिट गलत है।
15	वा.क.अ., वृत्त-2, दुर्ग	रिको इंडिया लिमिटेड	22AAACR4151J1ZO	--	1,01,05,035	1,01,05,035	डीलर द्वारा 2017–18 का पहला तिमाही जमा नहीं किया गया अतः लिया गया संक्रमणकालीन क्रेडिट गलत है।
योग					2,40,37,170		

अपंजोकृत व्यावसयियों (मू.सं.क., केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवा कर मे) का विवरण जिन्होने ट्रान-1 द्वारा जीएसटी संक्रमणकालीन क्रेडिट आगे बढ़ाया जो तालिका में दर्शाया गया है।

सं. क्र.	इकाई का नाम	करदाता का नाम (मेसर्स)	जी.एस.टी. आई.एन.	तिमाही रिटर्न में उपलब्ध मू. सं.कर (₹)	मू.सं. कर जिसे आगे ले जाया गया (₹)	गलत क्रेडिट/ अनुचित क्रेडिट जो आगे ले जाया गया (₹)	टिप्पणी
1	वा.क.अ., वृत्त-1, रायपुर	बेनिपाल ट्रान्स लिंक	22AHHPB6381K1ZE	--	19,59,620	19,59,620	जी.एस.टी. के पहले डीलर मू.सं.क., केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवा कर मे पंजीकृत नहीं था लेकिन ₹ 19,59,620 का संक्रमणकालीन क्रेडिट ट्रान- 1 मे आगे बढ़ाया जो गलत है।
योग						19,59,620	

(नोट:- अंको को निकटतम दस मे बढ़ाया/घटाया गया है।)

शब्दकोष

संक्षेप की शब्दावली

संक्षिप्त	पूरा रूप
नि.प्रा.	निर्धारण प्राधिकारी
स.ले.अ.	सहायक लेखा अधिकारी
औ.वा.उ.	औसत वार्षिक उत्पादन
औ.वा.रॉ.	औसत वार्षिक रॉयल्टी
स.आ.	सहायक आयुक्त
स.आ.वा.क.	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर
ले.स.बै.	लेखापरीक्षा समिति बैठक
स.वा.क.अ.	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
स.आं.ले.प.अ.	सहायक आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकारी
स.ख.अ.	सहायक खनि अधिकारी
अ.प्र.मु.व.सं.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
अ.क्षे.प.अ.	अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी
ए.टी.एन	कार्बवाई टीप
ब.अ.	बजट अनुमान
कैम्पा	क्षतिपूर्ति वनीकरण, कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण
मु.व.सं	मुख्य वन संरक्षक
वा.क.आ.	वाणिज्यिक कर आयुक्त
छ.ग.प्र.क.	छत्तीसगढ़ प्रवेश कर
छ.ग.मो.या.क.अ.	छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम
छ.ग.मू.सं.क	छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर
सी.एम.एम.आर.	छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम
कें.बि.क.	केंद्रीय बिक्री कर
वा.क.वि.	वाणिज्यिक कर विभाग
वा.क.नि.	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
वा.क.अ.	वाणिज्यिक कर अधिकारी
उ.आ.	उपायुक्त
उ.सं.वि	उपसंचालक वित्त
उ.सं.ख.प्र.	उपसंचालक खनिज प्रशासन
व.म.अ.	वनमंडलाधिकारी
सं.भौ.ख.	संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म
उ.म.नि.प.	उप महा निरीक्षक पंजीयन
जि.ख.अ.	जिला खनि अधिकारी
डी.टी.एच.	डायरेक्ट टू होम

जि.प.अ.	जिला परिवहन अधिकारी
प्र.क.	प्रवेश कर
वि.वि.	वित्त विभाग
ग्री.इं.मि.	ग्रीन इंडिया मिशन
छ.ग.शासन	छत्तीसगढ़ शासन
भा.स.	भारत सरकार
व.से.क.	वस्तु एवं सेवा कर
आ.ले.इ.	आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई
आई.बी.एम.	भारतीय खान ब्यूरो
आई.जी.एस.टी.	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर
नि.प्र.	निरीक्षण प्रतिवेदन
म.नि.प.	महानिरीक्षक पंजीयन
आ.क.क्रे.	आगत कर क्रेडिट
आ.क.रि.	आगत कर रिबेट
सू.प्रौ.	सूचना प्रौद्योगिकी
आई.डब्लू.सी.	सुधार कार्यवृत्त
क.ले.अ.	कनिष्ठ लेखा अधिकारी
सं.नि.	संयुक्त निदेशक
एल.एम.ई.	लंदन मेटल एक्सचेंज
एल.यू.टी.	लेटर ऑफ अन्डरटेकिंग
एम.सी.आर.	खनिज रियायत नियम
ख.नि.	खनिज निरीक्षक
एम.एम.डी.आर.	खान एवं खनिज विकास एवं नियामक
म.प्रो.ले.स्च.	मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग
एम.आर.डी.	खनिज साधन विभाग
मी.ट.	मीट्रिक टन
एन.ए.सी.ई.एन.	सीमा शुल्क और मादक पदार्थों की राष्ट्रीय अकादमी
एन.डब्लू.पी.सी.	राष्ट्रीय कार्य योजना कोड
नि.ले.प.	निष्पादन लेखापरीक्षा
पी.ए.सी.	लोक लेखा समिति
स्था.खा.सं.	स्थायी खाता संख्या
प्र.मु.व.सं.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक
वृ.का.वृ.	वृक्षारोपण कार्य वृत्त
सं.का.वृ.	संरक्षण कार्यवृत्त
पं.फी.	पंजीयन फीस
प.अ.	परिक्षेत्र अधिकारी

रा.व.प्र.प	राजस्व वसूली प्रमाण पत्र
क्षे.प.अ.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी
पु.का.वृ.	पुनर्स्थापना कार्यवृत्त
च.स.सु.	चयन सह सुधार
मु.शु.	मुद्रांक शुल्क
उ.म.अ.	उपमण्डल अधिकारी
रा.व.से.क.	राज्य वस्तु एवं सेवा कर
उ.प.	उप पंजीयक
स्टा.अ.	स्टाम्प अधीक्षक
रा.क.वि.	राज्य कर विभाग
प.आ.	परिवहन आयुक्त
टी.डी.एस.	स्रोत पर कर कटौती
टी.टी.ओ.	करयोग्य आवर्त
मू.सं.क.	मूल्य संवर्धित कर
का.आ.	कार्य आयोजना



भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

www.cag.gov.in

ईमेल:: agauchhattisgarh@cag.gov.in